बृहस्पतिवार,
२२ अप्रैल, १९५४

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

बृहस्पतिवार, २२ अप्रैल, १९५४

सभा सवा आठ बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नो के मौखिकउत्तर

सहकारी दूध संभरण योजना, पटना

*१९७१. **श्री झूलन सिन्हा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने सहकारी दूध संभरण योजना पटना के लिये एक लाख रुपये का ऋण मंजूर कर दिया है;

(ख) ऋण किन शर्तों पर मंजूर किया गया है;

(ग) यह ऋण वास्तव में योजना के संचालकों को कब तक दे दिया जायेगा; तथा

(घ) योजना की इस समय क्या स्थिति है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

(घ) बिहार सरकार को सूचित किया गया है ऋण के लिये उसकी प्रार्थना को स्वीकार करना भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् के लिये संभव नहीं था, क्योंकि ऐसा पाया गया था कि इस योजना में कोई गवेषणा कार्य नहीं होना था, जिस के लिये राज्य सरकार द्वारा पूर्णतया आर्थिक सहायता दी जा सकती ।

श्री झूलन सिन्हा : जब बिहार सरकार ने ऋण के लिये केन्द्रीय सरकार से मांग की, तो क्या उसने अपने भाग के लिये कोई कारण बताया था ?

डा० पी० एस० देशमुख : जहां तक मेरे मंत्रालय का सम्बन्ध है, कोई भी प्रार्थना पत्र या निवेदन, भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् योजनाओं के अधीन ही दिया जा सकता है । इस विषय में मुझे केवल इतना ही मालूम है ।

श्री पी० सी० बोस : क्या केन्द्रीय सरकार ने किसी अन्य राज्य को, दूध संभरण योजना के लिये कुछ ऋण दिया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : वह भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् के अतिरिक्त और किसी श्रेणी में आ सकती है ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : केन्द्रीय सरकार किस श्रेणी के अधीन, दूध सहकारी संस्थाओं को सहायता देती है ?

डा० पी० एस० देशमुख : पंच वर्षीय योजना में सहकारी उपक्रम को सहायता देने के लिये कुछ रकम का उप-

बन्ध किया गया है । हाल में ही, हमने डेरी फार्मों की स्थापना में सहायता देने के लिये कुछ राशि निर्धारित करने का प्रयत्न किया है, किन्तु वह योजना अभी प्रारम्भ नहीं की गई है ।

तारघर

*१९७२. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३–५४ में कितने तार-घर खोले गये थे ;

(ख) उन में से कितने तारघर देहाती क्षेत्रों में हैं और कितने तारघर नागरिक क्षेत्रों में हैं ; तथा

(ग) उस अवधि में तारघर खोलने के लिये कितने आवेदन पत्र प्राप्त किये गये थे ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की की जा रही है, और ज्यों ही एकत्रित हो जायेगी, सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

श्री एस० सी० सामन्त : देहाती तार-घर खोलने में किन किन बातों की छूट दी जा चुकी है और सरकार भविष्य में किन किन बातों की छूट देने का विचार करती है ?

श्री राज बहादुर : क्या माननीय सदस्य का अभिप्राय तारघरों से है या डाक घरों से ?

श्री एस० सी० सामन्त : जी, हां ।

श्री राज बहादुर : प्रारम्भ में, प्रत्येक जिला केन्द्र को तारघर और टैलीफ़ोन के साथ मिलाया जायेगा अथवा डाकघर को संयुक्त कार्यालय के रूप में बदल दिया जायेगा । फिर सबडिविजन या तहसील केन्द्र में, हम तारघर की सुविधायें स्थापित करना चाहते हैं, यदि हानि की राशि प्रतिवर्ष १००० रुपये से अधिक न बढ़े और यदि वहां पांच मील के घेरे में कोई तारघर न हो ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या तारघर खोलने के विषय सम्बन्धी प्रत्याभूति में में कुछ छूट दी गई है ?

श्री राज बहादुर : यह उन राज्य सरकारों के मामलों में दी गई है जिन्होंने प्रस्ताव का सुझाव रखा है और जो उस उद्देश्य के लिये सब तार और डाक घरों के, जिनकी वे प्रत्याभूति देती हैं, खर्च और आय को इकट्ठा कर सकते हैं, ताकि सब प्रस्तावित तार तथा डाक घरों पर इकट्ठे खर्च और आय के अन्तर की प्रत्याभूति ली जाती है । आसाम क्षेत्र में हमने सभी छः स्थानों में और अधिक छूट दी है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या राज्य सरकारें इस विशेषाधिकार का उपयोग करने से कुछ लाभ उठायेंगी ?

श्री राज बहादुर : जी, हां, और मुझे बम्बई के एक मामले का पता है ।

सरदार हुक्म सिंह : ये छः ज़िला केन्द्र कौन से हैं, जो ५,००० जनसंख्या की अथवा ५०० रुपये से कम हानि की वह शर्त पूरी नहीं कर सके हैं जो इन नियमों के अधीन छूट में दी गई हैं ?

श्री राज बहादुर : एक उड़ीसा में और पांच आसाम क्षेत्र में है । यह अधिकतर वहां की भूमि सम्बन्धी कठिनाई, और उन जिला केन्द्रों तक पहुंचने में होने वाली कठिनाई के कारण किया गया है फिर भी हम वहां तारघर खोलने का भी प्रयत्न कर रहे हैं ।

विस्थापित व्यक्तियों के बीमा पत्र

*१९७४. **श्री आर० एन० सिंह :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत सरकार उन विस्था-पित व्यक्तियों के डाक जीवन बीमा पत्रों

का दायित्व स्वीकार करेगी, जिन्होंने ३१ मार्च, १९४८ के पश्चात् भारतीय संघ में प्रव्रजन किया है ;

(ख) यदि उपरोक्त (क) भाग का उत्तर नकारात्मक हो, तो क्या सरकार इस मामले पर पाकिस्तान सरकार के साथ चर्चा करेगी और इस मामले को निष्क्रान्त सम्पत्ति के मामले जैसा समान स्थान देगी ?

(ग) क्या यह सच है कि पाकिस्तान सरकार ने हाल में ही, अपने डाक जीवन बीमा नियमों में परिवर्तन किया है, जिन के अनुसार इन विस्थापित व्यक्तियों के बीमा-पत्र जब्त कर लिये जायेंगे ; तथा

(घ) क्या सरकार को इस विषय में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) पाकिस्तान सरकार ने हाल में इस प्रकार के बीमा पत्रों (परिपक्व तथा अपरिपक्व बीमापत्रों के पूंजीकृत मूल्य) के कारण होने वाले दावों का केन्द्रीय दावा संघ के द्वारा समझौता करना स्वीकार कर लिया है।

(ग) भारत सरकार के पास इस मामले की कोई जानकारी नहीं है ।

(घ) कुछ बीमा कराने वालों ने, इस बात पर आग्रह करते हुए कि उनके बीमा पत्रों का दायित्व भारत सरकार को उठाना चाहिये, बताया है कि पाकिस्तान सरकार ने भारत में दी गई किश्त को स्वीकार नहीं किया है और उनके बीमापत्रों को कालातीत हुआ मान लिया है ।

श्री गिडवानी : क्या यह सत्य है कि ऐसे बीमाधारियों से, जिनके पाकिस्तान सरकार की ओर दावे हैं, अब पाकिस्तान सरकार की ओर बीमा कराई गई राशि के अपने दावे प्रस्तुत करने के लिये कहा गया है ? यदि ऐसी बात है, तो क्या पाकिस्तान सरकार के लिये इन दावों का भुगतान करना संभव है, जबकि पिछले पांच वर्षों की किश्तें भारत सरकार द्वारा प्राप्त की जा रही हैं ?

श्री राज बहादुर : जैसा मैंने अभी कहा है दावों की इस विशिष्ट श्रेणी को सम्मिलित करने के लिये भारत सरकार के केन्द्रीय दावा संघ के कार्यों की परिधि विस्तृत कर दी गई है। इसलिये दावे मांगे गये हैं । जहां तक किश्तों के देने और भारत में पहले से दी गई किश्तों के भुगतान के प्रश्न का सम्बन्ध है, मैंने सदन को पहले ही आश्वासन दिया है कि इसमें कोई हानि नहीं होगी, और यदि पाकिस्तान सरकार इन किश्तों को स्वीकार करने से इनकार करेगी तो यह राशि बीमा कराने वाले व्यक्तियों को लौटा दी जायेगी ।

श्री गिडवानी : क्या यह सच है कि किश्तें भारत में उन विस्थापित व्यक्तियों से ली गई थीं, जो भारत सरकार और राज्य सरकारों की नौकरी में आ गये थे ?

श्री राज बहादुर : हमने इसे बीमा कराने वालों की रियायत और सुविधा के लिये दिया । हमने उन्हें भारत में किश्तें देने की अनुमति दी थी, क्योंकि इस उद्देश्य विशेष के लिये पाकिस्तान सरकार का कोई निश्चित प्रबन्ध नहीं है । किन्तु यह भी केवल १३-१-५२ तक चला । उसके पश्चात्, हमने उनसे किश्तें नहीं लीं, क्योंकि पाकिस्तान सरकार ने हमें सलाह दी कि किश्तें सामान्य बैंकों के द्वारा ही दी जानी चाहिये ।

श्री जेठालाल जोशी : क्या पाकिस्तानी रुपये के भारतीय रुपये की तुलना में बाजार मूल्य और शासकीय मूल्य के बीच के अन्तर से इन बीमा पत्रों पर कुछ प्रभाव पड़ेगा ?

श्री राज बहादुर : यह प्रश्न वित्त मंत्रालय से पूछा जाना चाहिये ।

बिहार में नल कूप योजनायें

*१९७५. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) दिसम्बर १९५३ तक नल-कूप योजना के अधीन बिहार सरकार को कुल कितनी राशि दी गई है ;

(ख) एक नल-कूप के द्वारा कितने क्षेत्र में सिंचाई की जायेगी ; तथा

(ग) प्रति एकड़, लगभग सिंचाई की क्या दर होगी ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) ८३·०१ लाख रुपये ।

(ख) लगभग ४०० एकड़ ।

(ग) अन्न की फसलों के लिये सिंचाई की दर प्रति एकड़ आठ रुपये और १५ रुपये के बीच है तथा व्यापारिक फसलों के लिये २५ रुपये और ४५ रुपये के बीच है ।

श्री विभूति मिश्र : क्या केन्द्रीय सरकार ने प्रादेशिक सरकार को कोई निर्देश दिया है कि ये टयूब वैल किस जगह लगाये जायं ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी हां, यह एग्रीमेंट में मौजूद है ।

श्री विभूति मिश्र : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह टयूब वैल रेलवे लाइन के दोनों तरफ लगाये जायेंगे या दूर देहातों में भी लगाये जायेंगे ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह फैसला स्टेट सरकार और गवर्नमेंट आफ इंडिया और टी० सी० ए० के बीच में होता है और यह सब एग्रीमेंट में दर्ज है ।

श्री विभूति मिश्र : क्या यह सरकार इस तरह का कोई निर्देश देना चाहती है कि जिस प्रान्त में ये ट्यूब वैल लगाये जायें वहां के पबलिक रिप्रेजेंटेटिव्स जैसे एम० एल० ए० और एम० पीज़० से भी राय ली जाय कि कहां पर यह टयूब वैल लगाये जायं ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं समझता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट्स इस बारे में पबलिक ओपीनियन जानती हैं ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या सरकार की यह नीति है कि नल-कूप उन स्थानों पर लगाये जायें, जहां छोटे, मध्यम, या मुख्य सिंचाई के कार्य प्रारम्भ किये गये हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी, नहीं । जहां तक संभव है, हम ऐसे स्थानों पर कोई नल-कूप नहीं लगाना चाहते हैं, जहां किसी सिंचाई योजना के कार्यान्वित होने की संभावना है । इन स्थानों का चुनाव राज्य सरकार द्वारा किया जाता है ।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

*१९७६. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) उन औद्योगिक कर्मचारियों की संख्या जो राज्यवार, कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत आते हैं; तथा

(ख) १९५४ में कितने औद्योगिक केन्द्रों में इस योजना के विस्तार किये जाने की संभावना है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) तथा (ख). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण पत्र सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबंध संख्या ५८]**

डा० राम सुभग सिंह : यह योजना कई राज्यों में चालू की जा रही है, इस बात को विचार में रखते हुए, क्या योजना को क्रियान्वित करने में राज्य स्वास्थ्य विभाग से भी सलाह ली जायेगी ?

श्री वी० वी० गिरि : जी, हां, निश्चय ही ।

डा० राम सुभग सिंह : जहां तक चिकित्सकीय सहायता का सम्बन्ध है, क्या इस योजना का लाभ कर्मकरों के परिवारों को भी दिया जाता है ?

श्री वी० वी० गिरि : हम इस प्रश्न पर विचार रहे हैं ।

श्री सिंहासन सिंह : क्या इस योजना को चीनी के कारखानों तक भी विस्तृत करने की प्रस्थापना है ?

श्री वी० वी० गिरि : इस समय नहीं ।

श्री बंसल : सरकार का इस योजना की क्रियान्विति के विषय में क्या अनुभव है, और क्या सरकार इस योजना की कार्यान्विति से संतुष्ट है ?

श्री वी० वी० गिरि : हम संतुष्ट हैं, और हम भली प्रकार प्रगति कर रहे हैं ।

श्री पुन्नूस : विवरण में बताया गया है कि योजना त्रावनकोर-कोचीन के कुछ नगरों अर्थात आलप्पी, त्रिचुर, क्विलोन इत्यादि, राज्य तक में चालू की जा रही है । क्या सरकार के पास आंकड़े हैं, जिनसे इस योजना का लाभ उठाने वाले कर्मकरों की संख्या जानी जा सके ?

श्री वी० वी० गिरि : मुझे इस प्रश्न के लिये पूर्व सूचना की आवश्यकता है ।

डा० राम सुभग सिंह : श्री सिंहासन सिंह द्वारा पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा कि यह चीनी के कारखानों पर लागू नहीं की जा रही है, किन्तु विवरण में दिखाया गया है कि यह डालमिया नगर में लागू की जाने वाली है, जो एक चीनी के कारखाने वाला क्षेत्र है । क्या उस स्थान का चीनी का कारखाना इस में सम्मिलित किया जायेगा, या निकाल दिया जायेगा ?

श्री वी० वी० गिरि : यह क्षेत्रवार है ।

रेलवे प्रशिक्षण केन्द्र

*१९७८. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या रेलवे मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में विभिन्न रेलवे केन्द्रों के अन्तर्गत वर्तमान में कितने व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ; और

(ख) वह किन-किन विषयों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) ७१६७ इसमें रेलवे के विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले तथा दूसरे उम्मीदवार और रेलवे में सेवानियोजित कर्मचारी भी सम्मिलित हैं जो पदवृद्धि और दोहराने का (रिफ्रेशर) कोर्स सीख रहे हैं ।

(ख) गार्ड, ड्राइवर, स्टेशन मास्टर, सिगनलर्स, बुकिंग और पार्सल क्लर्क्स, टिकट कलक्टर्स, ट्रेन परीक्षक, कोयला-झोंकने वाले, स्थाई मार्ग निरीक्षक, कुशल मजदूर, जर्नीमेन, चार्जमेन और असिस्टेंट मेकेनिकल इञ्जीनियर्स रेलवे के विभिन्न पदों पर लेने के लिये आवश्यक सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक प्रशिक्षण ।

श्री डी० सी० शर्मा : मैं जानना चाहता हूं कि क्या रेलवे मंत्रालय की नीति नियमित अवकाश के बाद विशिष्ट कोर्स के लिये इन केन्द्रों को संचालित करना है ?

श्री अलगेशन : हम इन स्कूलों का संचालन कर रहे हैं । वस्तुतः, रेलवे पदाधिकारियों की एक समिति उक्त सुविधाओं में सम्वृद्धि करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ।

श्री डी० सी० शर्मा : पिछले वर्ष कितने रिफ्रेशर कोर्सों का आयोजन किया गया था ?

श्री अलगेशन : इस समय मेरे पास संख्या नहीं है लेकिन चित्तरंजन लोको-मोटिव वर्क्स और पीराम्बूर की नवीन फैक्टरी सहित समस्त रेलों को मिला कर हमारे पास लगभग ३२ प्रशिक्षण केन्द्र हैं ।

श्री डी० सी० शर्मा : प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों और पदाधिकारियों द्वारा इन प्रशिक्षण केन्द्रों से प्राप्त प्रतिवेदनों पर उक्त व्यक्तियों की पदवद्धि किस तरह अवलम्बित है ?

श्री अलगेशन : यदि वह इस कोर्स में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होते हैं तो उनकी पदवृद्धि कर दी जाती है । यदि माननीय सदस्य की दृष्टि में कोई विशिष्ट घटना हो तो वह उसे स्वतंत्र प्रश्न में रख सकते हैं।

श्री नानादास : मैं जानना चाहता हूं कि उक्त प्रशिक्षण केन्द्रे में चुनाव के समय अनुसूचित जातियों और अनसूचित आदिम-जातियों के प्रति किस वृत्ति से काम लिया गया है ?

श्री अलगेशन : जब प्रारम्भ में इनका चुनाव किया जाता है तो प्रतिशतता अनु-सूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों दोनों पर ही लागू होती है । हम यथासंभव अधिक प्रतिशत जगहें देने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

भारतीय जहाज

*१९७९. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५२–५३ में कितने टन माल जहाजों द्वारा विदेशों से भारत आया ;

(ख) क्या यह सच है कि आयात किये गये माल का केवल ४·७ प्रतिशत भारतीय जहाज़ों द्वारा लाया गया ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (ग). जहाज के आयात टन भार का कुल परिमाण और भारतीय जहाज़ों द्वारा ले जाया गया अनपात उपलब्ध नहीं है । उपलब्ध सांख्यकी के अनुसार कुल टन भार के अनुपात में भारतीय जहाज़ों का कुल पंजीकृत टनभार भारतीय पत्तन को जहाज़ों पर १९५२-५३ में ७ और ४ के अनुपात में था । इससे भारतीय जहाजों द्वारा किये जाने वाले आयात व्यापार के विषय में विहंगम जानकारी प्राप्त होती है ।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार के पास कोई ऐसे आंकड़े हैं जिससे जाना जा सके कि हिन्दुस्तान में बाहर से कितना सामान आया ?

श्री अलगेशन : जैसा मैंने कहा हमारे पास केवल भारतीय जहाज़ों से सम्बंधित आंकड़े हैं । हम विदेशी जहाज़ों के सम्बन्ध में आंकड़े नहीं रखते हैं ।

श्री रघुनाथ सिंह : हम यह जानना चाहते हैं कि भारत वर्ष में जोकि बाहर से सामान आता है, इंडियन शिपिंग में जो आंकड़े दिये गये हैं कि सिर्फ ४ परसेंट सामान हिन्दुस्तानी जहाज़ से हिन्दुस्तान में आता है, जब कि आपके पास कोई आंकड़े नहीं हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि ये आंकड़े ठीक हैं या नहीं ?

श्री अलगेशन : माननीय सदस्य द्वारा बताया गया संख्या का प्रतिशत सही नहीं है । सही प्रतिशत ७·४ है । वह स्वयं उत्तर में दे दिया गया है ।

श्री रघुनाथ सिंह : वह तो टनेज के आंकड़े लास्ट टाइम दिये थे, हम टनेज के आंकड़े नहीं चाहते । हम तो यह जानना चाहते हैं कि कितने का सामान हिन्दुस्तान

में आया, इस प्रकार के कोई आंकड़े भारत सरकार के पास हैं कि नहीं ?

उपाध्यक्ष महोदय : वह टनभार नहीं चाहते हैं ।

श्री अलगेशन : वस्तुतः हमारे पास वर्तमान में आंकड़े नहीं हैं । आंकड़े संग्रह करने के लिये नेशनल हार्बर बोर्ड की एक उपसमिति बनाई गई है। उनकी सिफारिशें प्राप्त होने पर जब तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध हो जायेंगे हम आंकड़े बताने की स्थिति में होंगे ।

उद्यानविद्या समिति

***१९८०. श्री संगण्णा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् की उद्यानविद्या समिति की कौन कौन सी सिफारिशें अभी तक कार्यान्वित की गई हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : भारत सरकार के भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् की उद्यानविद्या समिति की उन सिफारिशों को जिन से वह सम्बन्धित हैं, यथासंभव रूप में कार्यान्वित कर दिया है ।

श्री संगण्णा : मैं जानना चाहता हूं कि क्या उद्यानविद्या के विकास के लिये सरकार द्वारा कोई नवीन तरीके ढूंढे गये हैं और यदि हां, तो वे क्या हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : प्रश्न समिति तथा उसकी सिफारिशों से सम्बन्धित है । यदि अपेक्षित हो तो मैं आपको परिषद् द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशें बता सकता हूं

बिरौल में तार घर

***१९८५. श्री अनिरुद्ध सिंह :** क्या **संचार** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि दरभंगा जिले के विरौल पुलिस हेड क्वार्टर के लिये चारमहीने पूर्व एक तारघर की मंजूरी दी गई थी लेकिन वह अभी तक नहीं खोला गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) वहां तार घर खुलने में कितना समय और लगेगा ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) हां ।

(ख) काम के लिये अपेक्षित कुछ स्टोर्स उपलब्ध नहीं थे ।

(ग) अब तीन महीने में तारघर खुल जायेगा ।

श्री अनिरुद्ध सिंह : वहां पर टेलीग्राफ आफिस कब तक खुल जायगा ?

श्री राज बहादुर : करीब ६ महीने में यह दफ्तर खुल जायगा ।

श्री अनिरुद्ध सिंह : क्या यह बात सही है कि बिरौल पुलिस हेडक्वाटर के पन्द्रह मील इर्द गिर्द में कोई तार घर नहीं है ?

श्री राज बहादुर : इसी आधार पर इसकी मंजूरी दी गई होगी ।

श्री एल० एन० मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि क्या दरभंगा में नये तारघर खोलने के लिये कोई और प्रस्ताव भी है ?

श्री राज बहादुर : स्मरणशक्ति के आधार पर उत्तर देना मेरे लिये सम्भव नहीं है ।

अण्डमान-निकोबार द्वीप

***१९८६. श्री पी० रामस्वामी :** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अण्डमान और निकोबार द्वीप में बन सम्पत्ति के साधनों का उपयोग करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

(ख) इन जंगलों से प्रतिवर्ष कितनी इमारती लकड़ी प्राप्त होने की आशा है ?

(ग) इस लकड़ी को शीघ्रता पूर्वक मुख्यभूमि में निर्यात करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) दक्षिण और मध्य अण्डमान के वनों का काम अण्डमान बन विभाग द्वारा चलाया जाता है जब कि उत्तरी अण्डमान के वन एक सार्थ को ३१ अगस्त १९५१ से २५ वर्ष के लिये पट्टे पर दे दिये गये हैं। अभी हाल में निकोबार द्वीप का अन्वेषण किया गया है और इन वनों के अनुसंधान के लिये कार्यवाही की जा रही है ।

(ख) अधिकतम सम्भावित उत्पादन अनुमानतः १ लाख पचास हजार टन है लेकिन इन से प्रतिवर्ष प्राप्त होने वाली इमारती लकड़ी का निर्धारण विभिन्न तत्वों के लेखे-जोखे के बाद किया जाता है ।

(ग) वनविभाग से मुख्यभूमि को नियमित रूप से इमारती लकड़ी ले जाने के लिये एक जहाज़ नियुक्त किया गया है । आवश्यक होने पर अतिरिक्त जहाज़ों से भी यह काम कराया जायेगा लेकिन स्वीकृति भाड़े पर इमारती लकड़ी के परिवहन के लिये भारतीय तटीय सम्मेलन के साथ हाल ही में व्यवस्था की गई है ।

प्रश्न के भाग (क) में निर्देशित उत्तरी अण्डमान से प्राप्त लकड़ी का सार्थ के स्वयं अपने जहाज़ में तथा इस कार्य के लिये प्राप्त एक अन्य जहाज़ में परिवहन किया जाता है।

श्री पी० रामस्वामी : मैं जानना चाहता हूं कि पिछले वर्ष भारत के विभिन्न भागों में कितनी मात्रा में लकड़ी निर्यात की गई थी और सरकार को उससे कितना लाभ हुआ ?

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे भय है कि मेरे पास विस्तृत आंकड़े नहीं हैं क्योंकि वह इस समय उपलब्ध नहीं हैं ।

श्री भागवत झा आज़ाद : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकार मध्य और दक्षिण अण्डमान में बहुत समय से इमारती लकड़ी के संसाधनों का अन्वेषण कर रही है, एक निजी समवाय को ठेका देने की क्या आवश्यकता थी ?

डा० पी० एस० देशमुख : १९५१ में ठेका दिया गया था। इस सम्बन्ध में लगभग दो वर्षों तक चर्चायें और परामर्श होते रहे। मैं ठेका देने के कारणों का विस्तृत ब्यौरा नहीं बता सकता ।

श्री पुन्नूस : क्या मैं जान सकता हूं कि अण्डमान से निर्यात की गई इमारती लकड़ी की क्या कीमत है और स्थानीय लकड़ी से उसकी क्या तुलना हो सकती है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

श्री भागवत झा आजाद : जब उत्तरी अण्डमान में १९५१ में एक निजी समवाय को ठेका दिया गया है तो पिछले दो वर्षों से सरकार को कितना स्वामित्व मिलता रहा है और जब सरकार द्वारा ही इसका अन्वेषण किया जाता था, उस समय उसकी आमदनी क्या थी ?

डा० पी० एस० देशमुख : वास्तव में सरकार को मिलने वाली आय में वृद्धि हुई है।

रेलवे पर बिना दावे का सामान

*१९८८. **श्री के० सी० सोधिया** : (क) क्या रेलवे मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय रेलों को १९५३-५४ में ऐसे माल की बिक्री से क्षेत्रवार कितनी रकम प्राप्त हुई है जिनके सम्बन्ध में किसी ने दावे प्रकट नहीं किये ।

(ख) क्या माल बेचने के बाद जनता द्वारा कोई दावे पेश किये गये थे और यदि हां, तो उनमें से कितनों को जांच कर निबटाया गया ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) १९५३–५४ की (३१ दिसम्बर सन् ५३ तक) जानकारी प्रकट करने वाला विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ५९]**।

(ख) कुछ मामलों में सामान की नीलामी कर देने के बाद रेलों को उनके सम्बन्ध में दावे प्राप्त होते हैं, लेकिन ऐसे मामलों की अलग सांख्यकी नहीं रखी जाती है।

श्री के० सी० सोधिया: इन वस्तुओं के सम्बन्ध में रेलवे की देय राशि कितनी है जिसके लिए कि इनका नीलाम किया गया ?

अध्यक्ष महोदय: वह यह जानना चाहते हैं कि भाड़ा आदि के रूप में रेलवे को कितनी राशि देय है।

श्री अलगेशन: मेरे पास इसके आंकड़े नहीं।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

श्री के० सी० सोधिया: क्या मैं जान सकता हूं कि इस राशि को किस शीर्ष के अन्तर्गत जमा किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय: : माननीय सदस्य अपना अगला प्रश्न पूछने में इतना अधिक समय लेते हैं।

श्री के० सी० सोधिया: मुझे इस बात का खेद है, श्रीमान्।

श्री अलगेशन: मुझे मालूम नहीं कि यह राशि किस शीर्ष के अन्तर्गत जमा की गई है। एक निश्चित कालावधि के बीत जाने के पश्चात् लावारिस माल का नीलाम किया जाता है। इन वस्तुओं को इकट्ठे करके एक विशेष कार्यालय के पास भेज दिया जाता है जोकि नीलाम द्वारा इन्हें बेच डालता है। मुझे मालूम नहीं कि किस शीर्ष के अन्तर्गत यह राशि खाते में डाल दी जाती है।

सैंट्रल बैंक आफ इंडिया के कर्मचारी

*१९८९. **श्री एच० एन० मुकर्जी:** क्या **श्रम** मंत्री ९ मार्च, १९५४ को सैंट्रल बैंक आफ इंडिया तथा इसके कर्मचारियों के बीच बोनस के झगड़े के सम्बन्ध में पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या ८४९ के उत्तर की ओर निर्देश करके यह बताने की कृपा करेंगे कि इस मामले में क्या कुछ फैसला किया गया है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि): यह मामला विचाराधीन है तथा इस सम्बन्ध में अभी कोई फैसला नहीं किया गया है।

श्री एच० एन० मुकर्जी: ९ मार्च को हमें बताया कि शीघ्र ही कोई फैसला किया जायगा। आज भी उत्तर में यहीं कुछ कहा गया है। क्या मुझे अनुमानतः यह बताया जायगा कि कितने समय में इस सम्बन्ध में कोई निश्चय किया जायगा ?

श्री वी० वी० गिरि: मुझे यह बात माननीय चाहिये कि इस मामले में विलम्ब हुआ है परन्तु मुझे भरोसा है कि अगले दो तीन सप्ताहों में इस मामले का फैसला होगा।

श्री एच० एन० मुकर्जी: क्या यह सत्य है कि तथ्यों को देखने से मुख्य श्रम आयुक्त को इस बात का संतोष हुआ है कि कर्मचारी बोनस के हकदार हैं तथा बैंक यह देने में समर्थ है ?

श्री वी० वी० गिरि : उन्होंने : . . :

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

चीनी का उत्पादन

*१९९०. **श्री सारंगधर दास** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) चीनी उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की जा रही है ;

(ख) क्या कारखानों के वर्तमान सामर्थ्य को पूर्ण रूप से उपयोग में लाया जा रहा है ;

(ग) यदि नहीं तो कारखानों का कितना प्रतिशत सामर्थ्य उपयोग में नहीं लाया जा रहा है ; तथा

(घ) १९५४-५५ तथा १९५५-५६ में कितने और कारखाने खोलने की योजना है तथा इनका उत्पादन सामर्थ्य कितना होगा ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) चीनी का उत्पादन निम्नलिखित उपायों द्वारा बढ़ाया जायेगा :

(१) प्रकृष्ट खेती द्वारा गन्ने के उत्पादन में वृद्धि ; (२) नई फैक्टरियों का खोलना जिनकी वार्षिक उत्पादन सामर्थ्य ४·५ लाख टन होगा ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) ३·५८ प्रतिशत ।

(घ) सात नई फैक्टरियां खोलने के लिये लाइसैंस दिये गए हैं । इस में से ६ संयंत्र अनुपयुक्त जगहों से हटा कर नई जगहों पर लगाए जायेंगे तथा एक आयात किया जायगा, यह कहना कठिन है कि इन में से कितने कारखाने १९५४-५५ अथवा १९५५-५६ में मन्ना पेरना शुरू करेंगे । इसके अलावा और कितनीं फैक्टरियां खोलो जायेंगी, यह इस बात पर निर्भर होगा कि खोले जाने वाले कारखानों का गन्ना पेरने का सामर्थ्य क्या होगा। अतिरिक्त सामर्थ्य का लक्ष्य ४·५ लाख टन रखा गया है ।

श्री सारंगधर दास : क्या उत्पादन बढ़ाने के लिए आयात की गई अशोधित चीनी को साफ करवाने का काम भी हाथ में लिया जायगा ?

डा० पी० एस० देशमुख : जहां तक मुझे मालूम है, इस आशय की एक प्रस्थापना सरकार के विचाराधीन है ।

श्री सारंगधर दास : क्या कारखानों के अनुपयुक्त सामर्थ्य का कारण बेकार तथा टूटी फूटी मशीनें हैं ।

डा० पी० एस० देशमुख : प्रत्येक मामले में यह बात नहीं है; परन्तु मेरे मित्र जो कुछ कह रहे हैं, उस में कुछ सच्चाई है ?

डा० केलप्पन : क्या सरकार ने इस कमी को ताड़ के गुड़ के उत्पादन से पूरा करने की बात पर विचार किया है ?

श्री पी० एस० देशमुख : वह एक अलग बात है । परन्तु हम ताड़ के गुड़ के उद्योग को प्रोत्साहन देने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या गन्ने का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने गन्ना उत्पादकों को लाभप्रद कीमतें देने के प्रश्न पर विचार किया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : चूंकि माननीय सदस्यों को कीमतों की इतनी चिन्ता लगी रहती है, इसलिये यह मामला निरन्तर रूप से सरकार के विचाराधीन है ।

श्री अच्युतन : क्या मैं जान सकता हूं कि गन्ने का उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है, तथा चावल की खेती के लिये जैसे 'जापानी विधि' प्रस्तुत की गई है, क्या इस मामले में भी ऐसा ही कोई तरीका प्रस्तुत किया जायगा ?

डा० पी० एस० देशमुख : जहां तक . . .

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न पर गम्भीरता से ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं ।

श्री गिडवानी : क्या सरकार को मालूम है कि चीनी की कीमतें बढ़ती जा रही हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : कुछेक स्थानों पर वह कुछ बढ़ने लगी है ।

श्री भागवत झा आजाद : कितने मामलों में प्रबन्धकों को अपने कारखाने एक जगह से हटा कर दूसरी जगह पर ले जाने की अनुमति दी गई है तथा कितने मामलों में अनुमति नहीं दी गई है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं इस सम्बन्ध में सविस्तर सूचना नहीं दे सकता हूं । परन्तु यह एक तथ्य है कि कुछ प्रबन्धकों को फैक्टरियां एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की अनमति दी गई है ।

श्री सारंगधर दास : क्या मैं जान सकता हूं कि किस क्षेत्र में——उत्तर अथवा दक्षिण में ——यह प्रकृष्ट खेती करवाई जायगी ?

डा० पी० एस० देशमुख : हमारा इसे उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पंजाब में करवाने का विचार है । दक्षिण में गन्ने का उत्पादन अच्छा तथा उत्साहजनक है ।

रेल दुर्घटना

*१९९१. **सरदार ए० एस० सहगल :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या उत्तर रेलवे के नगरोटा जोगेन्द्र नगर सेक्शन पर स्थित अहजू स्टेशन के समीप ८ अप्रैल १९५४ को रात के साढ़े दस बजे एक विभागीय रेलगाड़ी पटरी से उतर गई ;

(ख) इस दुर्घटना के कारण क्या थे ;

(ग) इस में कितने व्यक्ति मारे गए तथा कितने आहत हुए ; तथा

(घ) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच हुई है तथा यदि हुई है तो इसकी उपपत्तियां क्या हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) ८–४–१९५४ को लगभग रात के दस बज कर दस मिनिट पर एक विभागीय रेल गाड़ी जोकि उत्तर रेलवे के नगरोटा-जोगेन्द्रनगर सेक्शन पर अहजू तथा जोगेन्द्रनगर स्टेशनों के बीच चल रही थी पटरी से उतर गई । दुर्घटना के दिन यह लाइन लोक यातायात के लिए खुली नहीं थी ।

(ख) तथा (घ). लखनऊ स्थित रेलवे विभाग के सरकारी इन्सपेक्टर ने १९–४–५४ को जांच आरम्भ कर दी है । उसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ग) तीन व्यक्ति दुर्घटना में मारे गए तथा १४ आहत हुए ।

सरदार ए० एस० सहगल : विभागीय रेल गाड़ी के पटरी से उतर जाने के परिणामस्वरूप कुल कितनी हानि हुई है ?

श्री अलगेशन : लगभग ४८,५०० रुपये ।

सरदार ए० एस० सहगल : जो लोग इस दुर्घटना में मर गए हैं क्या उनके परिवारों को कोई प्रतिकर दिया गया है ?

श्री अलगेशन : तीन व्यक्ति जो मर गए हैं, उन में से दो तो रेलवे विभाग के कर्मचारी थे तथा शेष एक कर्मचारी की पत्नी थी । यह एक विभागीय रेलगाड़ी थी तथा मुसाफिर गाडी नहीं थी । इस तरह की दुर्घटनाएं प्रतिकर के सामान्य नियमों के अन्तर्गत नहीं आ जाती हैं । सामान्य सेवा नियमों के अन्तर्गत शायद उन्हें कछ प्रतिकर मिले ।

नौ परिवहन

*१९९३. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार वर्ष १९५४ में कुछ और पोत अर्जित करने का विचार रखती है ; तथा

(ख) यदि रखती है, तो कितने टन के और पोत अर्जित करने का विचार है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). १९५४ में सरकार अपने खाते पर और अधिक पोत अर्जित करने का कोई विचार नहीं रखती है। नौपरिवहन उद्योग निजी क्षेत्र के अन्तर्गत आ जाता है तथा कई नौपरिवहन समवाय पोत खरीदने का विचार रखते हैं। वर्तमान सूचना के अनुसार वह वित्तीय वर्ष १९५४-५५ में लगभग कुल ७२,००० टन की धारिता के पोत खरीदेंगे ।

श्री एम० डी० जोशी : क्या सरकार हमें बता सकती है कि क्या प्राइवेट क्षेत्र तटीय नौपरिवहन के सम्बन्ध में और पोत खरीदने का विचार रखता है ?

श्री अलगेशन : मैंने जो धारिता दी है उस में तटीय तथा समुद्रपार नौ-परिवहन दोनों शामिल हैं।

श्री रघुनाथ सिंह : आप ने एक सवाल के उत्तर में कहा था कि भारतीय शिपिंग के द्वारा सिर्फ आठ परसेन्ट टनेज का व्यापार होता है और विदेशों द्वारा ९२ परसेन्ट होता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार कोई ऐसी कार्रवाई करेगी जिस से हिन्दुस्तान का टनेज इन्क्रीज़ हो ?

श्री अलगेशन : हां ज़रूर । हम इसका प्रबन्ध कर रहे हैं।

श्री जेठालाल जोशी : क्या यह सत्य है कि दो देशीय पोत, शायद सिन्ध्या वालों के—जोकि भारत तथा विदेशों के बीच चलते थे सेवा से हटाये गए हैं तथा उस सीमा तक धारिता कम हुई है ? धारिता में कितनी कमी हुई है ?

श्री अलगेशन : यह दो पोत मुसाफिरों के लिए सिन्ध्या वालों द्वारा चलाये जा रहे थे। यह सच है कि इन्हें सेवा से हटाया गया है। वह इस्टर्न शिपिंग कार्पोरेशन को बेच दिए गये हैं तथा वह इन पोतों को भारत-अफ़्रीका सेवा तथा शायद भारत बर्मा–सेवा पर काम में लाने की सोच रहे हैं।

प्रौढ़ नागरिक प्रशिक्षण योजना

*१९९४. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **श्रम** मंत्री उन विषयों को बताने की कृपा करेंगे जिनमें प्रौढ़ नागरिक प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षा दी जाती है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : एक विवरण सदन पटल पर रखा है। **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ६०]**

श्री डी० सी० शर्मा : टेक्निकल उप-विभाग में जिसमें ३२ शाखायें हैं कितने व्यक्ति प्रशिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और व्यवसायिक उप-विभाग में जिसमें ३२ शाखायें हैं कितने व्यक्ति प्रशिक्षा प्राप्त कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य दोनों उप-विभागों के प्रशिक्षार्थियों की संख्या अलग-अलग जानना चाहते हैं ?

श्री वी० वी० गिरि : इस समय देश में ५९ टेक्निकल प्रशिक्षण केन्द्र तथा संस्थायें, प्रौढ़ नागरिक प्रशिक्षण योजना तथा विस्थापित व्यक्ति प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत कार्य कर रही हैं जिनमें क्रमशः ९५०८ तथा २७६० प्रशिक्षार्थियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था है।

श्री डी० सी० शर्मा : मैं समझता हूं कि १२,००० व्यक्तियों को इन योजनाओं के अन्तर्गत प्रशिक्षा मिली है, मैं अब यह जानना

चाहूंगा कि उनको रोज़गार देने के कौन-कौन से मार्ग खुले हैं और श्रम मंत्रालय किस प्रकार उनको काम दिलाने की व्यवस्था कर रहा है ?

श्री वी० वी० गिरि : उनकी काफी मांग है और प्रशिक्षा समाप्त हो जाने के पश्चात् ही उनको काम मिल रहा हैं ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या अभी तक के सभी प्रशिक्षित लोगों को काम मिल गया है और यदि सबको अभी तक काम नहीं मिल सका है तो प्रतीक्षा-सूची में कितने लोग है ?

श्री वी० वी० गिरि : हम को यह सूचना मिली है कि उनमें से अधिकांश लोगों को काम मिल गया है और कुछ लोग जिनको अभी काम नहीं मिला है, उनमें से कुछ लोगों के नाम प्रतीक्षा-सूची में दर्ज हैं ।

श्री के० सुब्रह्मण्यम् : क्या यह सच नहीं कि उत्तर प्रदेश तथा बम्बई की सरकारों ने इन प्रशिक्षण संस्थाओं के डिप्लोमा को मान्यता नहीं दी है ? इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री वी० वी० गिरि : हम उन सरकारों को इस डिप्लोमा को मान्यता देने के लिये तैयार करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

डाकखाने की छुट्टियां

*१९९५. **श्री संगण्णा :** क्या **संचार** मंत्री डाकखाने की छट्टियां निर्धारित करने का आधार बताने की कृपा करेंगे ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : डाकखाने की १६ वार्षिक छुट्टियां राष्ट्रीय दृष्टिकोण से महत्व रखन वाले त्यौहारों के आधार पर स्वीकृत की जाती हैं और यथा-संभव सम्पूर्ण भारत में एक ही तिथि पर होती हैं । साधारणत : डाकखाने की छुट्टियां तारघरों की छुट्टियों के ही दिन होती हैं क्योंकि अधिकांशत: तार का काम भी डाकखाने के सम्मिलित कार्यालय में होता है ।

श्री संगण्णा : क्या सम्बन्धित स्थानों की छुट्टियों की घोषणा करने से पूर्व राज्य सरकारों से परामर्श लिया गया है ?

श्री राज बहादुर : जैसा कि मैं कह चुका हूं, हम छुट्टियां सम्पूर्ण भारत के लिये महत्वपूर्ण होने के आधार पर ही निश्चित करते हैं और इस सिद्धान्त पर भी ध्यान रखते हैं कि सभी महत्वपूर्ण त्यौहारों तथा सम्प्रदायों की छुट्टियां होनी चाहिये ।

श्री संगण्णा : क्या उड़ीसा के डाक सर्कल ने पोंगल तथा रथ उत्सव की छुट्टियों की सिफारिश की है ?

श्री राज बहादुर : हमने छुट्टियों की बराबर संख्या निर्धारित कर दी है और यह स्वीकृति दे दी है कि शिवरात्रि के बजाय स्थानीय छुट्टियां दी जा सकती हैं ।

श्री पुन्नूस : क्या यह सच नहीं कि ओनम, जो मलाबार ज़िले का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, की छुट्टी नहीं दी गई है और इस सम्बन्ध म सरकार के पास अभ्यावेदन किया गया है ?

श्री राज बहादुर : हमारे पास अभ्यावेदन किया गया था, किन्तु मैं कह चुका हूं कि केवल शिवरात्रि की ही एक ऐसी छुट्टी है जिसमें परिवर्तन किया जा सकता है, और उसमें आवश्यक समायोजन कर दिया गया है ।

श्री सारंगधर दास : क्या सरकार छुट्टियों की संख्या घटाने की आवश्यकता पर विचार कर रही है ?

श्री राज बहादुर : माननीय सदस्य की सम्मति पर विचार किया जायगा ।

हैदराबाद-देहली राष्ट्रीय राजपथ

*१९९६. **श्री पी० रामस्वामी :** (क) क्या **यातायात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हैदराबाद से देहली को मिलाने वाले राष्ट्रीय राजपथ की वर्तमान लम्बाई क्या है ?

(ख) किन स्थानों पर असम्बन्धित भागों को जोड़ा जायगा और इन जोड़ों को पूरा करने की क्या योजनायें हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हैदराबाद तथा देहली के बीच का मार्ग जो राष्ट्रीय राजपथ के साथ जाता है वह हैदराबाद नागपुर-लखनादों, झांसी, शिवपुरी, ग्वालियर, आगरा, देहली मार्ग है।

(ख) मिलाये जाने वाले असम्बन्धित भाग मध्य प्रदेश में हैदराबाद की सरहद तथा हिंगांघाट के बीच में हैं। इन भागों की कुल लम्बाई ४६ मील है। ४२ मील तक निर्माण कार्य प्रगति पर है। शेष चार मील के निर्माण के प्राक्कलन शीघ्र ही स्वीकृत किये जायेंगे।

श्री पी० रामस्वामी : क्या यह राजपथ प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में पूरा हो जायगा ?

श्री अलगेशन : जी हां।

श्री पी० रामस्वामी : इस वर्ष कितनी राशि व्यय की जायगी ?

श्री अलगेशन : मैं ठीक राशि तो नहीं बता सकता, किन्तु आवश्यक राशि स्वीकृत की जायगी। उदाहरण के लिये एक प्राक्कलन २,६०,००० रु० का है, दूसरा ८,६१,००० रु० का और तीसरा ८,९१,५०० रु० का, इत्यादि।

श्री शिवमूर्त्ति स्वामी : राजपथ के चार मील को निलाने का क्या प्राक्कलन होगा ?

श्री अलगेशन : प्राप्त प्राक्कलन का योग २,८७,००० रु० है।

श्री तेलकीकर : क्या मैं मिलाये जाने वाले असम्बन्धित भाग की लम्बाई जान सकता हूं ?

श्री अलगेशन : यह मैं अपने उत्तर में बता चुका हूं। यह कुल लम्बाई ४६ मील है जिसमें से ४२ मील तक कार्य प्रगति पर है। प्राक्कलन शेष चार मीलों के सम्बन्ध में है और उसकी शीघ्र ही स्वीकृति दे दी जायगी।

दिल्ली-मद्रास जनता एक्सप्रेस

*१९९७. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली और मद्रास के बीच चलने वाली साप्ताहिक जनता एक्सप्रेस के बन्द कर दिये जाने के क्या कारण है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : केवल इटारसी तक ही अधिक गाड़ियां चलाना दिल्ली तक साप्ताहिक गाड़ी चलाने की अपेक्षा अधिक उपयुक्त समझा गया है। १-४-५४ से दिल्ली मद्रास जनता एक्सप्रेस के स्थान पर मद्रास तथा इटारसी तक अर्द्ध साप्ताहिक गाड़ी चलने लगी है।

श्री रघुनाथ सिंह : इसको बन्द करने का क्या कारण है ? इसमें यात्रियों की संख्या काफी थी या नहीं ?

श्री अलगेशन : वास्तव में, केन्द्रीय रेलवे भाग में आवागमन अधिक नहीं होता था। सोचा यह गया कि दिल्ली तथा मद्रास के बीच यात्रियों को लाने-ले-जाने के लिये अधिक गाड़ियों के चलाये जाने की आवश्यकता है किन्तु मद्रास से सीधे दिल्ली तक ले जाना सम्भव नहीं है। अर्द्ध साप्ताहिक मद्रास-इटारसी जनता एक्सप्रेस चालू की गई है जिसका पंजाब मेल तथा पठानकोट एक्सप्रेस से इटारसी में मेल होता है।

श्री ए० एम० टामस : क्या सरकार को विदित है कि साप्ताहिक जनता एक्सप्रेस के बन्द हो जाने के कारण, ग्राण्ड ट्रंक एक्सप्रेस में बहुत भीड़ रहती है, विशेषकर द्वितीय

श्रेणी के डिब्बों में और ग्रीष्म-काल में यात्रा करना असहनीय हो जाता है ?

श्री अलगेशन : हमें इस का पता है और हम ग्राण्ड ट्रंक एक्सप्रेस में तृतीय श्रेणी के डिब्बे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

डा० राम सुभग सिंह : जनता को यह बताया गया है कि सभी जनता गाड़ियों में नलों तथा हाथ मुहं धोने के बर्तन का प्रबन्ध कर दिया गया है । क्या सरकार को यह ज्ञात है कि जनता एक्सप्रेस का कोई भी नल इस समय काम नहीं कर रहा है ?

श्री अलगेशन : सभी गाड़ियों के सम्बन्ध में ऐसा नहीं कहा जा सकता और मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्य ने सभी जनता एक्सप्रेसों में यात्रा की होगी ।

सरदार ए० एस० सहगल : दिल्ली मद्रास जनता एक्सप्रस को बन्द कर देने के पश्चात् क्या सरकार पूर्वी रेलवे क्षेत्र में एक जनता एक्सप्रेस रामपुर, बिलासपुर तथा कटनी से होती हुई मद्रास से दिल्ली तक चलाने का विचार कर रही है ?

श्री रघुरामय्या : मंत्री के कथनानुसार चूंकि इटारसी तक की दो गाड़ियां हैं, क्या सरकार यात्रियों की असुविधा को बचाने के लिये इन दो में से एक गाड़ी को सीधा देहली तक ले जाना उचित समझती है ?

श्री अलगेशन : इसको सीधी गाड़ी बना देना सम्भव नहीं किन्तु हम मद्रास से सीधा दिल्ली जाने वाला एक डिब्बा लगा देने पर विचार कर रहे हैं जिससे यात्रियों की असुविधा दूर की जा सके ।

खाद्यान्न भण्डार

*१९९८. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पिछले तीन वर्षों में केन्द्रीय सरकार के गोदामों में खराबी के कारण खाद्यान्नों में हुई राज्यवार योग हानि ; तथा

(ख) अवनति के कारण ?

कृषि मंत्री डा० पी० एस० देशमुख : (क) एक विवरण सदन पटल पर रखा है । [**देखिये** परिशिष्ट ८, **अनुबन्ध संख्या ६१**]

(ख) प्राकृतिक कारण जैसे सूखा, नमी, कीड़ों मकोड़ों तथा चूहों के द्वारा पहुंचाई गई हानि ।

श्री विभूति मिश्र : सरकार के पास जितना गल्ला था उसमें कितने फीसदी की क्षति हुई है ?

डा० पी० एस० देशमुख : विभिन्न वर्षों की प्रतिशतता भिन्न भिन्न है । १९५१ में ·३ प्रतिशत हुई; १९५२ में ·७३ प्रतिशत हुई तथा १९५३ का अस्थायी आंकड़ा ·३४ प्रतिशत है--इसका ठीक आंकड़ा अभी तक तय्यार नहीं किया जा सका है । मैं यह बता दूं कि इस स्थिति की जब जांच की गई थी तो यह मालूम हुआ था कि गैर-सरकारी फर्में भी जिन प्रतिशतताओं को मैंने बताया है उनकी तुलना में २ प्रतिशत का लाभ चाहती थीं ।

श्री राधेलाल व्यास : बम्बई में नये बनाये गये गोदामों में खिड़कियों में से वर्षा का पानी आ जाने के कारण कितनी हानि हुई थी ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे पास ये आंकड़े नहीं है ।

श्री विभूति मिश्र : क्या मंत्री जी ने कुछ गोदामों की स्वतः जांच की है और जाकर देखा है कि क्या कारण है जो वहां पर इतना अनाज खराब और नष्ट हुआ है ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह कारण कुछ ऐसा नहीं है जो हमें मालूम न हो और मैं ने काफी जगहों पर खुद गोदामों में जाकर उसको देखा है ।

श्री रघुनाथ सिंह: हम यह जानना चाहते हैं कि आपने जो कहा कि चूहों के खाने से बहुत नुकसान हो गया तो उनके खाने से कितना नुकसान हुआ है ?

डा० पी० एस० देशमुख: चूहों के खाने से कितना नुकसान हुआ है, इसके अलग आंकड़े मेरे पास नहीं हैं।

डाक तथा तार विभाग का सामान

*१९९९. **श्री एच० एन० मुकर्जी:** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) डाक तथा तार विभाग के स्टोरों में रखे हुए सामान का मूल्य १९५०-५१, १९५१-५२, १९५२-५३ तथा १९५३-५४ वित्तीय वर्षों की समाप्ति पर कितना था; तथा

(ख) क्या यह सच है कि शेष सामान की मात्रा बहुधा अधिकृत सीमा से अधिक रही है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) वित्तीय वर्ष १९५०-५१, १९५१-५२, १९५२-५३, तथा १९५३-५४ की समाप्ति पर डाक तथा तार विभाग के स्टोर डिपों में रखे हुए सामान का मूल्य निम्न प्रकार है :

	रुपये
१९५०-५१	४,५९,०८,९५१
१९५१-५२	५,१३,२४,९९६
१९५२-५३	५,५०,५७,८१०
१९५३-५४ (फरवरी १९५४ की समाप्ति तक)	अभी तक उपलब्ध नहीं है।

(ख) जी हां। अतिरेक वाली मात्रा को कार्यकारी शेष सीमायें निर्धारित कर दिये जाने के बाद विनियमित किया जायगा।

श्री एच० एन० मुकर्जी: क्या यह सच है कि अधिकृत मात्रा से इतना अधिक सामान होते हुए भी इंजीनियरिंग डिवीज़न बहुत बार सामान न मिलने की शिकायत करते हैं और इस बात के बहुत से उदाहरण हैं जिनमें सामान न मिलने के कारण बहुत से काम छोड़ दिये गये हैं या जिनमें काम की गति मंद हो गई ?

श्री राज बहादुर: हम यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि बहुत से सामान की आवश्यकता है। यह सम्भव है कि कुछ मामलों में किसी सामान के कारण काम रुक जाय। इस सम्बन्ध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। फिर भी, हम सामान के वितरण की उचित व्यवस्था करने का अत्यधिक प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री एच० एन० मुकर्जी: पंचवर्षीय योजना में दिये गये निर्माण कार्य को दृष्टि में रखते हुए क्या इस सामान की जांच पड़ताल करने के लिये गम्भीर प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

श्री राज बहादुर: यह किया जा रहा है। वास्तव में मैं नये कार्यों पर किये गये पूंजीगत व्यय के आंकड़े बता सकता हूं :

१९५०-५१	६.२८ करोड़ रुपये
१९५१-५२	६.६८ करोड़ रुपये
१९५२-५३	७.३२ करोड़ रुपये

इससे यह मालूम हो जायगा कि इन सामानों को काफी मात्रा में काम में लाया जा रहा है।

श्री पी० सी० बोस: सामान्य रूप से स्टोरों में कितना सामान रहता है ?

श्री राज बहादुर: अधिकृत रूप से सामान्य प्रकार का सामान ३.५ करोड़ रुपये तक का रखा जा सकता है और वर्कशाप स्टोरों में १.५ करोड़ रुपये का रखा जा सकता है। ऐसा मालूम होता है कि यह मात्रा कम है और हम इसमें परिवर्तन कर रहे हैं। वर्कशाप स्टोरों में हमने इसकी मात्रा को १.० करोड़ रुपये से बढ़ा कर १.५ करोड़ रुपये कर दिया है। सामान्य प्रकार के

सामान की सीमा पर अभी तक विचार किया जा रहा है।

डाक तथा तारघर तथा टेलीफोन एक्सचेंज

*२०००. **श्री सारंगधर दास :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) उन परीक्षणात्मक डाक तथा तारघरों तथा टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या कितनी है जिन्हें उड़ीसा राज्य में १९५४-५५ में खोलने का विचार है ; तथा

(ख) क्या उड़ीसा की भूतपूर्व रियासतों की टेलीफोन लाइनों को भारत संघ की मुख्य लाइनों से मिला दिया गया है तथा उन लाइनों को सार्वजनिक प्रयोग के लिये खोल दिया गया है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) :

(क) परीक्षणात्मक डाक घर	१००
तार घर	२५
टेलीफोन एक्सचेंज	१

(ख) उड़ीसा की भूतपूर्व रियासतों की टेलीफोन व्यवस्था को मिलाने के सम्बन्ध में उड़ीसा राज्य सरकार से बात चीत चल रही है। ऐसी आशा की जाती है कि इन लाइनों को शीघ्र ही केन्द्र में मिला दिया जायगा। ये लाइनें सार्वजनिक प्रयोग के लिये अब भी खुली हुई हैं।

श्री सारंगधर दास : क्या मंत्रालय की उस योजना का, जिसके अनुसार अन्तर-प्रदेशीय गांवों में डाकखाने खोले जाने हैं, जिससे कि गांव निवासियों को डाक खाने के लिये तीन मील से दूर न जाना पड़े, अब भी अनुसरण किया जा रहा है ?

श्री राज बहादुर : वह नीति सदन में बहुत बार घोषित की जा चुकी है। वास्तव में हम इसका अनुसरण कर रहे हैं। वास्तव में, इस योजना की अवधि की समाप्ति तक ही मेरा विचार इस योजना को समाप्त करने का है।

बचत बैंक निक्षेप

*२००२. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) वर्ष १९५३-५४ में, जितनी यह सूचना उपलब्ध हो उसके अनुसार, डाक घर बचत बैंक में निक्षेपों की कुल राशि कितनी है ; तथा

(ख) पूर्ववर्ती वर्ष की उसी अवधि के आंकड़ों की तुलना में यह कितनी है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) तथा (ख)। १९५२-५३ में १,०९,४०,८५,००० रुपये की तुलना में १९५३-५४ में निक्षेपों की अनुमानित कुल राशि १,११,५५,५१,००० रुपये थी।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या डाक विभाग डाक बचत निक्षेपों में वृद्धि करने के लिये कोई अतिरिक्त कार्य कर रहा है ?

श्री राज बहादुर : इस मामले में डाक विभाग वित्त मंत्रालय की एजेन्सी के रूप में कार्य करता है। अवश्य ही वह इस मामले में कुछ उपाय करता है।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या भारत के ग्रामों में इन निक्षेपों को आरम्भ करने के लिये कोई विशेष आन्दोलन किया जा रहा है?

श्री राज बहादुर : वह भी इस मंत्रालय का काम नहीं है।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि मंत्रालय की नीति ग्रामों के लिये अधिक से अधिक पोस्ट आफिसेज़ में सेविंग बैंक की सुविधा प्रदान करने की है, उस के मातहत पिछले आर्थिक वर्ष में कितने ग्रामों के डाक-घरों को यह सुविधा दी गई है ?

श्री राज बहादुर : मैं संख्या तो नहीं बतला सकता लेकिन उत्तरोत्तर हमारी चेष्टा है कि हम इस सुविधा को उनको प्रदान करें।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या एक सप्ताह में बचत बैंक लेखे में से एक बार धन निकालने के स्थान पर, जैसी कि प्रथा इस समय प्रचलित है, एक सप्ताह में दो बार धन निकालने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री राज बहादुर : यह बिचाराधीन है।

श्री के० सी० सोधिया : आपका डिपार्टमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट से कितना पैसा पाता है ?

श्री राज बहादुर : मैं सम्प्रति इसे नहीं बतला सकता।

केन्द्रीय चावल गवेषणा संस्था, कटक

*२००३. **श्री संगण्णा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या केन्द्रीय चावल गवेषणा संस्था, कटक में किसानों को खेती-बाड़ी के आधनिक तरीकों पर व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है ;

(ख) यदि ऐसा है, तो उन किसानों की संख्या कितनी है जिन्होंने १९५३ में प्रशिक्षण प्राप्त किया ; तथा

(ग) उपरोक्त अवधि में इस कार्य के लिये कितना खर्च किया गया था ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी हां।

(ख) १४।

(ग) ३५७ रुपये।

श्री संगण्णा : क्या इस प्रकार का प्रशिक्षण किसानों को प्रतिवर्ष दिया जायगा?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं समझता हूं इसे जारी रखा जायगा।

श्री संगण्णा : क्या प्रशिक्षण का खर्च केन्द्रीय सरकार उठायेगी या राज्य सरकारें?

डा० पी० एस० देशमुख : ३५७ रुपये से अधिक खर्च नहीं हुआ था, जो कि प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले किसानों के दोपहर के खाने पर खर्च किया गया था : वे पास के गावों से अपने खर्चे पर आये थे।

श्री संगण्णा : इस प्रशिक्षण में प्रवेश पाने के लिये क्या योग्यतायें होनी चाहियें ?

श्री पी० एस० देशमुख : मैं समझता हूं यह प्रशिक्षण वास्तविक किसानों के लिये है ; इसके लिये किसी शिक्षा सम्बन्धी योग्यता की आवश्यकता नहीं है।

सरदार ए० एस० सहगल : इस तरह का राइस रिसर्च इस्टीट्यूट कटक के अलावा और भी किसी प्रान्त में खोलने की तजवीज क्या सरकार के पास है ?

डा० पी० एस० देशमुख : फिलहाल नहीं है।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या अन्य राज्यों में भी किसानों को प्रशिक्षण देने के लिये प्रबन्ध हैं या किये जा रहे ?

डा० पी० एस० देशमुख : इस प्रशिक्षिण की एक या दो योजनायें हैं। एक प्रत्यास्मरण शिक्षण है जिसे भारतीय कृषि गवेषणा संस्था ५० प्रतिशत तक की आर्थिक सहायता देती है।

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम

*२००४. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का विचार कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ को इस अधिनियम के अन्तर्गत छः अनसूचित उद्योगों

के अतिरिक्त अन्य उद्योगों पर भी लागू करने का है ;

(ख) यदि ऐसा है, तो किन उद्योगों पर ; तथा

(ग) इस मामले में कहां तक प्रगति हुई है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) तथा (ख) । इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

(ग) राज्य सरकारों तथा प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्तों से मूल सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री विभूति मिश्र : क्या मंत्री जी इम्प्लाईज़ प्राविडेंट फंड एक्ट को शुगर इंडस्ट्रीज़ के वर्कर्स की तरफ भी बढ़ाना चाहते हैं ?

श्री वी० वी० गिरि : इस मामले पर विचार किया जा रहा है, किन्तु इस समय उन पर लागू नहीं किया जा रहा है ।

श्री विभूति मिश्र : इस का फैसला कब तक हो जायगा ?

श्री वी० वी० गिरि : इसमें कुछ समय लगेगा ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं उन सदस्यों के प्रश्नों को लूंगा जो अनुपस्थित थे, तथा उन प्रश्नों को लूंगा जिनके बारे में दूसरों को प्रश्न करने का अधिकार दे दिया गया है ।

माननीय सदस्य समय पर उपस्थित नहीं रहते हैं और फिर बाद में वे अपने प्रश्नों को पूछना चाहते हैं । मैं समझता हूं कि मुझे इस प्रकार की अनियमितता को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये । यदि वे प्रश्न करने के इच्छुक हैं तो उन्हें समय पर उपस्थित रहना चाहिये ।

प्रश्न संख्या १९७३ ।

रेलवे बेतार व्यवस्था

*१९७३. **श्री एम० डी० रामस्वामी** : (**श्री मुनिस्वामी** की ओर से) (क) क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि रेलवे बेतार यातायात व्यवस्था से कभी कभी अन्य स्टेशनों के काम में बाधा पड़ती है ?

(ख) यदि हां, तो कितनी बार ऐसा हुआ है ?

(ग) यह बाधा किन कारणों से पड़ती है ?

(घ) इस को ठीक करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां, किन्तु बहुत कम ।

(ख) अब तक केवल दो बार ।

(ग) इन दोनों मामलों में बाधा पड़ने का मुख्य कारण यह था कि रेलवे मंत्रालय के स्टेशनों की फ्रीक्वेन्सी बदल जाती थी ।

(घ) रेलवे मंत्रालय से प्रार्थना की गई थी कि वह सम्बन्धित स्टेशनों को उन की निश्चित फ्रीक्वेंसी पर चलायें और उस में परिवर्तन न होने दें, ताकि बाधा को दूर किया जा सके। उपरोक्त कार्यवाही किये जाने के बाद और कोई शिकायत नहीं आई ।

रेलवे मैजिस्ट्रेट

*१९८३. **श्री एच० जी० वैष्णव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे :

(क) हैदराबाद राज्य में इस समय कितने रेलवे मैजिस्ट्रेट न्यायालय हैं जिन में भारतीय रेलवे अधिनियम के अन्तर्गत अपराधों के सम्बन्ध में अभियोग चलाये जाते हैं ; और

(ख) क्या उक्त न्यायालयों द्वारा इकट्ठे किये गये जुर्मानों को रेलवे राजस्वों में डाला जाता है या राज्यों के सामान्य राजस्वों में ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) दो, एक सिकंदराबाद में और दूसरा औरंगाबाद में ;

(ख) राज्य के सामान्य राजस्वों में ।

श्री एच० जी० वैष्णव : क्या औरंगाबाद के रेलवे मैजिस्ट्रेट न्यायालय को हटा देने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री अलगेशन : नहीं , श्रीमान ।

श्री एच० जी० वैष्णव : क्या इन न्यायालयों का खर्च रेलवे करती है या राज्य ?

श्री अलगेशन : राज्य ।

श्री तेलकीकर : १९५३ में इन न्यायालयों में कितने व्यक्तियों पर अभियोग चलाया गया था ?

श्री अलगेशन : मेरे पास ३१-३-१९५३ तक के आंकड़े हैं ।

७४४८ यात्रियों पर अभियोग चलाया गया था और ३१२५ रुपये जुर्माने तथा किराय के रूप में वसूल किये गये थे।

डा० सुरेश चन्द्र : औरंगाबाद में कितनों को सज़ा मिली है ?

श्री अलगेशन : मेरे पास यह जानकारी नहीं है ।

रेलवे कर्मचारियों की डाक्टरी परीक्षा

*१९९२. **श्री एम० डी० रामस्वामी** : (**श्री मुनिस्वामी** की ओर से) (क) क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि रेलवे कर्मचारियों की डाक्टरी परीक्षा के बारे में किसी एक रूप प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया जा रहा ?

(ख) क्या यह सत्य है कि भूत-पूर्व एम० एस० एम० रेलवे के विभाग नियन्त्रकों की परीक्षा 'सी' के लिए ली जाती है और भूतपूर्व एस० आई० रेलवे के कर्मचारियों की 'ए'३ के लिए ?

(ग) क्या यह सत्य है कि भूतपूर्व एम० आई० रेलवे पर दो विभाग नियन्त्रकों को अनर्ह घोषित किया गया था, क्योंकि वे ए ३ के योग्य नहीं थे ?

(घ) क्या विभिन्न श्रेणियों के रेलवे कर्मचारियों की डाक्टरी परीक्षा की प्रक्रिया को एक अखिल भारतीय आधार पर एकरूप करने का कोई प्रस्ताव है

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (घ). नहीं, श्रीमान। सभी रेलवे पर लगभग एक ही प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है किन्तु कुछ श्रेणियों के सम्बन्ध में दृष्टि की तेज़ी का स्तर भिन्न भिन्न है। समान स्तर बनाने का प्रश्न विचाराधीन है ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी नहीं । केवल एक को अनर्ह घोषित किया गया था और उसे एक अन्य उपयुक्त पद पर नियुक्त कर दिया गया है ।

विल्लुपुरम पर रेलवे फाटक

*२००१. **श्री एम० डी० रामस्वामी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मद्रास सरकार ने विल्लुपुरम पर एक रेलवे फाटक बनाने का प्रस्ताव भेजा है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : जिन फाटकों के स्थान पर रेल के ऊपर तथा नीचे पुल बनाने की सिफारिश की गई थी, उनकी अपनी सूची में मद्रास सरकार ने इस फाटक के स्थान पर रेल के ऊपर एक पुल बनाने के कार्यक्रम को सम्मिलित कर लिया है और इसे प्राथमिकता के अनुसार तीसरा स्थान दिया गया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

संघ के पदाधिकारियों का स्थानांतरण

*१९७७. **श्री राघवय्या :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को डाक और तार कर्मचारियों से इस अभिप्राय की याचिकाएं या अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि उन के संघों के पदधारियों को अन्य स्थानों पर स्थानांतरित न किया जाय ; और

(ख) यदि हां, तो उन के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) जी हां ।

(ख) वर्तमान आदेशों के अनुसार किसी सेवा संघ का सचिव, सह सचिव और कोषाध्यक्ष अपने चुनाव के पहले वर्ष में सामान्य रूप से स्थानांतरण से विमुक्त है । यह विमुक्ति संघों के सब पदधारियों को नहीं दी जा सकती । इस अवधि में स्थानन्तरण के विरुद्ध प्राप्त अभ्यावेदनों पर सामान्यतया गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है और तदनुसार इनका निर्णय किया जाता है ।

तार जांच कार्यालय

*१९८१. **श्री रामानन्द दास :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) तार जांच कार्यालयों में सामान्यतया तारों के कितने प्रतिशत क, ख और ग प्रारूपों की जांच की जाती है और

(ख) उपरोक्त तीनों प्रकार की तारों में से प्रत्येक में विभिन्न जांच कार्यालयों द्वारा कितने प्रतिशत छूटे हुए तारों का पता लगाया जाता है ?

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) तार जांच कार्यालय कलकत्ता इस बात का ध्यान रखता है कि सभी तारघरों द्वारा अपनी दैनिक पुस्तिकाओं में लिखे गये सब 'क', सदेश प्रारूप या उसी कार्यालय में प्राप्त हो गये हैं या उन का ब्योरा दे दिया गया है । प्रतिमास यह देखने के लिये कि कोई भी 'क' संदेश जिसे तारों पर भेजा जा चुका है और इसलिये जिसके लिये तत्संवादी 'ख' तथा 'ग' संदेश है, बिना ब्योरे के तो नहीं रह गया है या उन कार्यालयों द्वारा रोक तो नहीं लिया गया है ।

कुछ चुने हुए तारघरों के सम्बन्ध में "परीक्षा के रूप में जांच" भी की जाती है ।

तार जांच कार्यालय सामान्यतया यह भी ध्यान रखता है कि तार घर अपने 'ख' और 'ग' संदेश नियमित रूप से प्रस्तुत करें ।

'ख' और 'ग' प्रारूपों के सम्बन्ध में कोई विस्तृत जांच नहीं की जाती ।

(ख) परीक्षण के रूप में की गई जांच में पकड़े गए गुम 'क' संदेशों का प्रतिशत निम्न है :—

१९५२-५३	.०५ प्रतिशत
१९५३-५४ (पूर्वार्ध)	.००७ प्रतिशत

गुम 'ख' और 'ग' संदेशों का कोई रिकार्ड उपलब्ध नही है, क्योंकि इन श्रेणियों की कोई विस्तृत जांच नहीं की जाती ।

गन्ना, प्याज और मूंगफली

*१९८२. **श्री विश्वनाथ रेड्डी :** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री तह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष गन्ना, प्याज़ और मूंगफली की फसल का प्राक्कलन कितना और अनुमानित आन्तरिक खपत कितनी है ?

(ख) इस वर्ष इन वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तु की अनुमानित निर्यात योग्य अतिरिक्त मात्रा कितनी है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये** परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ६२]

(ख) एक और विवरण सदन पटल पर रखा जाता है [**देखिय** परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ६२]

असैनिक उड्डयन विभाग

***१९८४. श्री पी० एन० राजभोज :** क्या **संचार** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे :

(क) क्या असैनिक उड्डयन विभाग के चौकीदारों, भंगियों और चतुर्थ श्रेणी के अन्य कर्मचारियों को सर्दियों और गर्मियों के लिए पर्याप्त वर्दियां दी जाती हैं ; और

(ख) क्या यह सत्य है कि चौकीदारों और चतुर्थ श्रेणी के अन्य कर्मचारियों को जिन्हें अपने कर्तव्य पालन करने के लिए बाहर जंगलों में जाना पड़ता है वर्षा और सांपों से बचने के लिए प्रर्याप्त सुविधाऐं नहीं दी जातीं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) हां, श्रीमान ।

(ख) नहीं, श्रीमान । काम के समय चौकीदारों और चतुर्थ श्रेणी के अन्य कर्मचारियों को बरसातियां और छाते दिये जाते हैं । यह वर्षा से बचने के लिए पर्याप्त समझे जाते हैं । चप्पल और जूते भी दिये जाते हैं, जो कि उन्हें सांपों से बचा सकते हैं ।

रूई विपणन समिति

***१९८७. ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(क) क्या रूई विपणन समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो किस हद तक ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) (क) तथा (ख) जहां तक इन सिफारिशों का राज्यों से सम्बन्ध था , इन्हें आवश्यक कार्यवाही के लिए राज्यों को भेज दिया गया था । बतलाया जाता है कि रूई उगाने वाले राज्य इस मामले में आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं । जहां तक केन्द्र द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली सिफारिशों का सम्बन्ध है, (१) विनियमित बाज़ारों के कार्य, और (२) रूई की अन्य महत्वपूर्ण किसमों को 'एगमार्क' आदि के अधीन श्रेणियों में बांटने की संभाव्यता के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव सक्रिय प्रकार से सरकार के विचाराधीन है ।

सहरसा तथा पूर्निया में टेलीफोन एक्सचेंज

४२४. श्री एल० एन० मिश्र : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या बिहार स्थित सहरसा तथा पूर्निया में टेलीफोन एक्स्चेंज स्थापित किये जाने को कोई प्रस्थापना है ; तथा

(ख) यदि ऐसा है तो यह कब तक चालू हो जाऐंगे ?

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां ।

(ख) मार्च, १९५५ तक ।

घाघरा नदी पर पुल

४२५. श्री सिंहासन सिंह : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का विचार गोरखपुर से इलाहाबाद तक जाने वाल राष्ट्रीय राजपथ के मिलाने के लिए घाघरा नदी पर धारीघाट–बरहोलगंज के स्थान पर और राप्ती नदी पर बर्डघाट के स्थान पर, गोरखपुर नगर के समीप, पुल बनाने का है ; तथा

(ख) यदि ऐसा है तो इस सम्बन्ध में क्या उपाय किये गये हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) तथा (ख)। जी हां, किन्तु वर्तमान पंच वर्षीय कायक्रम में इन पुलों के लिए कोई उपबन्ध नहीं किया गया है। उन्हें द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने का विचार है।

पश्चिमी रेलवे पर प्लेट फार्म

४२६. **श्री दाभी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पश्चिमी रेलवे पर स्थित ऐसे स्टेशनों की संख्या और नाम जहां प्लेटफार्मों पर छत डाल दी गई है अथवा वर्ष १९५३-५४ में डाल देने का विचार है ;

(ख) उन में से कितने

(१) ब्राड गेज लाइन पर,

(२) मीटर गेज लाइन पर, तथा

(३) नैरोगेज लाइन पर,

स्थित है; तथा

(ग) उन्हें किस आधार पर चुना गया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) १९५३-५४ में प्लेटफार्मों पर छतें डालने का काम निम्नलिखित १९ स्टेशनों पर चालू था :

१. खार
२. सांताक्रुज़
३. अंधेरी
४. कांडीवली
५. आनन्द
६. डाकोर
७. फलेरा
८. आबूरोड
९. मारवाड़ जंकशन
१०. पलानपुर
११. बिआवर
१३. मावली जंकशन
१४. सिधपुर
१५. नारनौल
१६. भावनगर
१७. बोटाड
१८. जूनागढ़
१९. डभोई

सांताक्रुज़ तथा जूनागढ़ में काम पूरा हो चुका है और अन्य स्टेशनों पर अभी जारी है।

(ख) उपरोक्त १९ स्टशनों में से पहले छः ब्राड गेज पर स्थित हैं, अगले १२ मीटर गेज पर और शेष एक नैरो गंजे पर ।

(ग) प्लेटफार्मों पर छतें डालने सम्बन्धी कार्यक्रम का निर्धारण रेलवे की यात्रा सुविधा समिति द्वारा किया जाता है और इन मदों को स्वीकार करते समय किसी वर्ष विशेष में उपलब्ध निधि की कुल राशि और भिन्न स्टेशनों पर कार्य के अपेक्षाकृत महत्व तथा आवश्यकता को ध्यान में रखा जाता है ।

ग्राहक परिचय सप्ताह

४२७. **पंडित डी० एन० तिवारी**: क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या दिसम्बर, १९५३, में नई दल्ली में मनाए गए ग्राहक परिचय सप्ताह के सम्बन्ध में कोई खर्च किया गया था ;

(ख) यदि किया गया था तो उस खर्च की राशि ; तथा

(ग) क्या उन लोगों की संख्या के बारे में जो इस सप्ताह में डाक तार तथा टेलीफोन कार्यालयों में आए थे कोई अभिलेख रखा गया है अथवा कोई अनुमान लगाया गया है ?

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) तथा (ख) जी हां। ७२५ रुपया।

(ग) आगंतुकों के बारे में कोई रिकार्ड नहीं रखा गया है।

तीर्थ-यात्रा गाड़ियां

४२८. **श्री मुनिस्वामी** : (क) क्या रेलवे मंत्री उन तीर्थ-यात्रा गाड़ियों की संख्या बताने की कृपा करेंगे जिनके लिए १९५४ में, इस समय तक, अनमति दी गई है ?

(ख) इस प्रकार की गाड़ी के लिए अनुमति दिए जाने की शर्तें क्या हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) (क) अब तक ऐसी कुल पांच गाड़ियां की स्वीकृति सम्बन्ध रेलवे द्वारा दी जा चुकी है, एक पूर्वी रेलवे पर और दो दो उत्तरी रेलवे तथा पश्चिमी रेलवे पर।

(ख) इस प्रकार की गाड़ी की ब्यवस्था अपेक्षित डिब्बों, तथा इंजनों की उपलब्धता पर निर्भर है तथा इस से पूर्व की स्बीकृत विशष गाड़ी चले निर्धारित परिव्यय का पहले से दिया जाना आवश्यक होता है।

केन्द्रीय सेवा योजना परामर्श बोर्ड

४२९. **श्री के०सी० सोधिया** : (क) क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सेवा योजन परामर्श बोर्ड की म सभा कब हुई थी ?

(ख) किन विषयों की चर्चा हुई ?

(ग) मुख्य सिफारिशें क्या थीं और सरकार ने उन में से कितनी स्वीकार की हैं ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) २७ नवम्बर, १९५२।

(ख) तथा (ग). जिन विषयों की चर्चा हुई उनका तथा मुख्य सिफारिशें देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ८, अनबन्ध संख्या ६३] संख्या २ तथा ३ (१) के अलावा अन्य सारी सिफारिशों के बारे में कार्यवाही की गई है। संख्या २ तथा ३ (१) के बारे में शिवाराव समिति के प्रतिवेदन पर निर्णय लेने के बाद कार्यवाही की जाएगी।

मैसूर राज्य में डाक तथा तार विभाग के लिपिक

४३०. **श्री एन० राचय्या** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) मैसूर राज्य में डाक तथा तार विभाग के स्थायी तथा अस्थायी लिपिकों की कुल संख्या; तथा

(ख) उन में अनुसूचित जातियों के लोग कितने हैं ?

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) :

(क) स्थायी	७७५
अस्थायी	३२९
(ख) स्थायी	३१
अस्थायी	२२

भूतपूर्व मैसूर राज्य रेलवे के कर्मचारी

४३१. **श्री शिवमूर्ति स्वामी** : (क) क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या रेलों के एकीकरण के बाद भूत पूर्व मैसूर राज्य रेलवे के सारे कर्मचारियों को अब केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी माना जाता है ?

(ख) क्या यह तथ्य है कि भूतपूर्व मैसूर राज्य रेलवे के कुछ सहायक शल्य चिकित्सकों को इस प्रकार आत्मसात नहीं किया गया है ?

(ग) यदि हां, तो उन्हें कब आत्मसात किया जायेगा ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां।

(ख) तथा (ग) नहीं। भूतपूर्व मैसूर राज्य रेलवे की स्वय अपनी कोई वैद्य-

कीय पदाली नहीं थी । मैसूर राज्य सरकार के कुछ सहायक शल्य चिकित्सकों को रेलवे में काम करने के लिये अस्थायी तौर पर भेजा गया था । उनमें से क्या किसी को तथा कितनों को रेलवे में आत्मसात किया जाय इस विषय पर मैसूर राज्य सरकार के साथ विचार किया जा रहा है ।

संयुक्त राज्य संघ प्रशिक्षण केन्द्र

४३२. **श्री मुनिस्वामी** : (क) क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि क्या यह सच है कि संयुक्त राज्य संगठन ने एशियाई देशों के कर्मचारियों को रेलवे संचालन तथा सिग्नेलिंग का प्रशिक्षण देने के लिये एक केन्द्र खोला है ?

(ख) भारतीय रेलवे की ओर से कितने कर्मचारियों के इस प्रशिक्षण के लिये जाने की आशा है ?

(ग) उन का चुनाव किस आधार पर किया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां ।

(ख) संचालन अधिकारियों के पहले पाठ्यक्रम के लिये दो अधिकारी भेजे गये हैं और दूसरे पाठ्यक्रम के लिये उतने ही भेजे जाने की आशा है ।

(ग) प्रशिक्षण के लिये उनकी उपयुक्तता तथा प्राप्त ज्ञान का उपयोग करने के संभाव्य अवसरों के आधार पर अधिकारियों को चुन लिया जाता है ।

पेरंबूर रेलवे कारखाना

४३३. **श्री मुनीस्वामी** : (क) क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि पेरंबूर, मद्रास, में रेलवे कारखाना खोलने के बारे में भारत तथा स्विटजरलैंड के बीच जो प्रथम करार हुआ था उसके फलस्वरूप सरकार को हानि उठानी पड़ी ?

(ख) यदि हां, तो हानि की अनुमानित राशि कितनी है ?

(ग) इस हानि के लिये कौन जिम्मेवार है ?

(घ) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

मद्रास राज्य में विमानक्षेत्र

४३४. **श्री मुनिस्वामी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) उन विमानक्षेत्रों की संख्या जो युद्ध काल में मद्रास राज्य में चालू थे ;

(ख) उन विमानक्षेत्रों की संख्या जो इस समय चालू नहीं हैं; तथा

(ग) दक्षिण अकार्ट जिले के उक्तुंदुरपेठ विमानक्षेत्र की वर्तमान स्थिति को देखते हुए क्या उसे असैनिक प्रयोग के लिये फिर से काम में लाने का कोई प्रस्ताव है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) :

(क) २७

(ख) १७

(ग) जी नहीं

मिर्च तथा प्याज

४३५. **श्री पी० रामस्वामी** : (क) क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इमली, मिर्च तथा प्याज के मुख्य उत्पादन क्षेत्रों में, अर्थात हैदराबाद आन्ध्र तथा मद्रास में इन वस्तुओं के विद्यमान भाव क्या हैं और गत वर्ष इन्हीं के भाव क्या थे ?

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को हैदराबाद सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिसमें इन वस्तुओं के भावों की असाधारण वृद्धि को देखते हुये इनके राज्य के बाहर

निर्यात करने पर रोक लगाने की प्रार्थना की गई थी ?

(ग) क्या सरकार ने इन वस्तुओं के बढ़ते हुये भावों को रोकने के लिये कोई उपाय किये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) उपलब्ध जानकारी देने वाला एक विवरण सदन-पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ६४]

(ख) हां ।

(ग) भारत सरकार ने हैदराबाद राज्य से इमली, मिर्च तथा प्याज के निर्यात पर रोक लगाना स्वीकार नहीं किया क्योंकि उससे अन्य क्षेत्रों पर विपरीत प्रभाव पड़ता। किन्तु १९५३ के जुलाई-दिसम्बर के अर्ध वर्ष में देश से मिर्च तथा प्याज के सीमित निर्यात की अनुमति दी गई और ३० अक्टूबर १९५३ को यह भी घोषित किया गया कि यदि इन वस्तुओं के भाव पर्याप्त मात्रा में कम नहीं हुये तो १९५४ के प्रथम अर्ध वर्ष में इन वस्तुओं का निर्यात नहीं किया जायगा। इमली के बारे में ऐसा कोई उपाय नहीं किया गया किन्तु उसके भावों पर ध्यान रखा गया। यद्यपि १९५३ की तुलना में मार्च, १९५४ में आन्ध्र, हैदराबाद तथा मद्रास में इमली के भाव अधिक थे, किन्तु अभी अभी उनमें उल्लेखनीय कमी हो रही है ।

गाजीपुर में डाक घर

४३६. **श्री एच० पी० सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५२ से गाजीपुर ज़िले में कितने नये डाक घर खोले गये और कहां कहां ?

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : १-१-१९५२ से गाजीपुर जिले के निम्न-लिखित स्थानों में नौ नये डाक घर खोले गये :

१. बेलापुर
२. भगीरथपुर
३. कुसी
४. नागसर
५. सुजनीपुर
६. युवराजपुर
७. बिजापुर
८. पाली
९. गांधीनगर

बृहस्पतिवार,
२२ अप्रैल, १९५४

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit 18.3.92 Fumigated Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

विषय-सूची

अंक ४--१७ अप्रैल से ४ मई, १९५४

	पृष्ठ भाग
शनिवार, १७ अप्रैल, १९५४	
सदन पटल पर रखे गये पत्र—	
तटस्थ राष्ट्र प्रत्यावर्तन आयोग, कोरिया के प्रतिवेदन और चुने हुए दस्तावेज	३४३९
आवश्यक लोक महत्व के विषय पर ध्यान आकर्षित करना—	
दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिमी प्रशान्त महा सागर के लिये सामूहिक रक्षा की व्यवस्था	३४३९–३४४३
सदन का कार्यक्रम	३४४३–३४४५
अनुदानों की मांगें—	
मांग संख्या २६–वित्त मंत्रालय	३४४६–३४८७
मांग संख्या २७–सीमा शुल्क	३४४६–३४८७
मांग संख्या २८–संघ उत्पादन शुल्क	३४४६–३४८७
मांग संख्या २९–निगम कर तथा संपत्ति शुल्क समेत आय पर कर	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३०–अफीम	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३१–स्टाम्प्स	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३२–अभिकरण विषयों के प्रशासन तथा कोषों के प्रबन्ध के लिये अन्य सरकारों, विभागों आदि का भुगतान	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३३–लेखा-परीक्षा	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३४–मुद्रा	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३५–टकसाल	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३६–प्रादेशिक तथा राजनैतिक पेंशनें	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३७–वृद्धावकाश भत्ता तथा निवृत्ति वेतन	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३८–वित्त मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३९–राज्यों को सहायक अनुदान	३४४६–३४८७
मांग संख्या ४०–संघ तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन	३४४६–३४८७
मांग संख्या ४१–असाधारण भुगतान	३४४६–३४८७
मांग संख्या ४२–विभाजन पूर्व के भुगतान	३४४६–३४८७
मांग संख्या ११५–भारतीय सुरक्षा मुद्रणालय पर पूंजीव्यय	३४४६–३४८७

	पृष्ठ भाग
मांग संख्या ११६—मुद्रा पर पूंजी व्यय	३४४६—३
मांग संख्या ११७—टकसाल पर पूंजी व्यय	३४४६—३४
मांग संख्या ११८—निवृत्ति वेतनों का परिगत मूल्य	३४४६—३४८७
मांग संख्या ११९—छंटनी किये गये व्यक्तियों को भुगतान	३४४६—३४८८
मांग संख्या १२०—वित्त मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	३४४६—३४८७
मांग संख्या १२१—केन्द्रीय सरकार द्वारा देय ऋण तथा अग्रिम धन	३४४६—३४८
मांग संख्या ७०—विधि मंत्रालय	३४८७—३४८
मांग संख्या ७१—चाय-व्यवस्था	३४८७—३४८८
मांग संख्या ७२—प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय	३४८७—३४८८
मांग संख्या ७३—भारतीय भूपरिमाप	३४८७—३४८८
मांग संख्या ७४—वानस्पतिक सर्वेक्षण	३४८७—३४८८
मांग संख्या ७५—प्राणकीय परिमाप	३४८७—३४८८
मांग संख्या ७६—भूतत्वीय परिमाप	३४८७—३४८८
मांग संख्या ७७—खानें	३४८७—३४८८
मांग संख्या ७८—वैज्ञानिक गवेषणा	३४८७—३४८८
मांग संख्या ७९—प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३४८७—३४८८
मांग संख्या ८०—संसद् कार्य विभाग	३४८७—३४८८
मांग संख्या १०७—संसद्	३४८७—३४८८
मांग संख्या १०८—संसद् सचिवालय के अधीन विविध व्यय	३४८७—३४८८
मांग संख्या १०९—उपराष्ट्रपति का सचिवालय	३४८७—३४८८
मांग संख्या १३१—प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	३४८७—३४८८
विनियोग (संख्या २) विधेयक—पारित	३४८८—३४८९
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति की छठी रिपोर्ट स्वीकृत	३४८९—३४९
केन्द्र में प्रशासन-तन्त्र तथा कार्यप्रणाली के विषय म संकल्प—असमाप्त	३४९०—३५३८
सोमवार, १९ अप्रैल, १९५४	
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—शकूर बस्ती आर्डिनेन्स डिपो में गड़बड़	३५३९—३५४२
सदन की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—द्वितीय प्रतिवेदन उपस्थापित	३५४२—३५४३
वित्त विधेयक—विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	३५४३—३६१६

पृष्ठ भाग

मंगलवार, २० अप्रैल, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

विभिन्न आश्वासनों, प्रतिज्ञाओं आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी विवरण ३६१७–३६१८

संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते के भुगतान के सम्बन्ध में संयुक्त समिति—द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन ३६१७

वित्त विधेयक—असमाप्त ३६१८–३६८८

बुधवार, २१ अप्रैल, १९५४

राज्य परिषद् से सन्देश—

शिलांग (राइफल रेंज तथा उमलांग) छावनियां विधि आत्मसात्करण विधेयक—परिषद् द्वारा पारित रूप में सदन पटल पर रखा गया ३६८९

हिमाचल प्रदेश तथा बिलासपुर (नया राज्य) विधेयक—परिषद् द्वारा पारित रूप में सदन पटल पर रखा गया ३६८९

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

भारत भण्डार विभाग द्वारा अस्वीकृत टेण्डरों सम्बन्धी वक्तव्य ३६९०

"भारत में फ्रेंच बस्तियां" नामक दस्तावेज ३६९०

वित्त विधेयक—विचार प्रस्ताव—स्वीकृत ३६९०–३७६२

बृहस्पतिवार, २२ अप्रैल, १९५४

याचिका समिति—पहली रिपोर्ट का उपस्थापन ३७६३

सदन की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की सिफारिशें ३७६३–३७६४

वित्त विधेयक—संशोधित रूप में पारित ३७६४–३८६८

क्रवार, २३ अप्रैल, १९५४

सदन का कार्य ३८६९–३८७०

सरकारी विधेयकों का क्रम ३८७०–३८७२

न्यूनतम मजूरी (संशोधन) विधेयक—संशोधित रूप में पारित ३८७२–३८८४

स्वेच्छापूर्वक वेतन परित्याग (करारोपण से विमुक्ति) संशोधन विधेयक—पारित ३८८४–३९०४

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित ३९०४

अनैतिक पण्य तथा वेश्यागृह दमन विधेयक—वादविवाद स्थगित ३९०५–३९२०

खाद्य पदार्थ अपमिश्रण दंड विधेयक—वादविवाद स्थगित ३९२०–३९३०

महिला तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक—विचार करने का प्रस्ताव—अमसाप्त ३९३०–३९४६

शनिवार, २४ अप्रैल, १९५४

राज्य परिषद से संदेश ३९४७–३९४८, ४०४२

हिन्दचीन के विषय में वक्तव्य ३९४८–३९५६

पुस्तक प्रदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) विधेयक––संशोधित रूप में पारित ३९५६–३९७३

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) विधेयक––संशोधित रूप में पारित ३९७३–४०३९

लुशाई पहाडी जिला (नाम परिवर्तन) विधेयक––पारित ४०४०–४०४२

विलीन क्षेत्र (विधि) विधेयक– विचार करने का प्रस्ताव––असमाप्त ४०४२–४०४४

सोमवार, २६ अप्रैल, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र–– ४०४५–४०४६

परिवहन मंत्रालय अधिसूचना संख्या ९–पी० आई० (२५०) ५३, दिनांक १५–२–५४

कलकत्ता बन्दरगाह आयोग के लिये निर्वाचित आयुक्तों के स्थानों का पुनर्वितरण दिखाने वाला विवरण

परिवहन मंत्रालय अधिसूचना संख्या १३–पी० आई० (१२४) ५३, दिनांक १५–२–५४

मद्रास बन्दरगाह न्यास के लिये निर्वाचित न्यासधारियों के स्थानों का पुनर्वर्गीकरण दिखाने वाला विवरण ४०४६–४०५२

विलीन क्षेत्र (विधि) विधेयक––पारित ४०५४–४०६९

जनता के लिये तात्कालिक महत्वपूर्ण-विषय की ओर ध्यान आकर्षित करना ––

माओ-माओ आन्दोलन में भाग लेने वाले व्यक्तियों के सन्देह में सामूहिक रूप से नैरोबी स्थित भारतीय आयुक्त के कार्यालय की तलाशी ४०५२–४०५४

औषधि तथा जादुई चिकित्सा (आपत्तिजनक विज्ञापन) विधेयक– पारित ४०६९–४१०५

संघीय प्रयोजनों के लिये भूमि का राज्य द्वारा अर्जन (मान्यीकरण) विधेयक–– पारित ४१०५–४१०८

भारतीय रेलवे (द्वितीय संशोधन) विधेयक––पारित ४१०९–४११८

मंगलवार, २७ अप्रैल, १९५४

राज्य परिषद् से सन्देश ४११९

याचिका-समिति––द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन ४११९

खाद्य स्थिति-याचिका प्राप्त ४११९

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना––

उत्तर बिहार को कोयला तथा सीमेंट ले जाने के लिये अपर्याप्त परिवहन सुविधायें ४१२०–४१२२

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक–पुरःस्थापित ४१२२

कारखाना (संशोधन) विधेयक––पारित करने के लिये प्रस्ताव–– असमाप्त ४१२२–४१८२

अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग ग राज्य विधान मंडल) संशोधन विधेयक–– परिषद् द्वारा पारित रूप में पटल पर रखा गया ४१८२

बुधवार, २८ अप्रैल, १९५४

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

माही के निकट फ्रांसीसी भारतीय पुलिस द्वारा भारतीय संघ के नागरिकों पर गोली वर्षा ४१८३–४१८४

स्थगन प्रस्ताव—

माही के निकट फ्रांसीसी भारतीय पुलिस द्वारा भारतीय संघ के नागरिकों पर गोली-वर्षा ४१८४–४१८९

कारखाना (संशोधन) विधेयक—पारित ४१८६–४१८९

अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग ग राज्य विधान मंडल) संशोधन विधेयक—पारित ४१८९–४२१४

समवाय विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपने तथा परिचालित करनें का प्रस्ताव—असमाप्त ४२१४–४२६०

बृहस्पतिवार, २९ अप्रैल, १९५४

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों सम्बन्धी समिति—

सातवें प्रतिवेदन का उपस्थापन ४२६१

समवाय विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव—असमाप्त ४२६१–४३३६

शुक्रवार, ३० अप्रैल, १९५४

राज्य परिषद् से सन्देश ४३३७

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

भारत सरकार तथा नेपाल सरकार के बीच कोसी परियोजना के सम्बन्ध में हुआ समझौता ४३३७

भारत के औद्योगिक वित्त निगम के सामान्य विनियमों में संशोधन ४३३८

भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् का १९५१–५२ वर्ष के लिये प्रतिवेदन ४३३९

तारांकित प्रश्न संख्या १२० के उत्तर में शुद्धि ४३३८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान आकर्षित करना—

माही में फ्रांसीसी भारतीय पुलिस द्वारा गोली वर्षा ४३३९–४३४१

स्थगन प्रस्ताव—

फ्रांसीसी भारतीय पुलिस द्वारा माही के निकट गोली वर्षा ४३४१

समवाय विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव—असमाप्त ४३४१–४३६०

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का सातवां प्रतिवेदन—स्वीकृत ४३६०–४३६५

केन्द्र में प्रशासन तंत्र तथा कार्य प्रणाली सम्बन्धी संकल्प--अस्वीकृत ४३६६–४३६१

हाथ करघा उद्योग के लिये साड़ियों तथा धोतियों के उत्पादन के संरक्षण संबंधी संकल्प--असमाप्त ४३६१–४४०२

शनिवार, १ मई, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

केन्द्रीय रेशम बोर्ड का बुलेटिन संख्या १६ ४४०३

भारतीय ढोर परिरक्षण विधेयक सम्बन्धी वक्तव्य ४४०३–४४०६

समवाय विधेयक--संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव--असमाप्त ४४१०–४४६६

सोमवार, ३ मई, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

विनियोग लेखे (डाक तथा तार), १६५१–५२ तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, १६५३ ४४६७

समवाय विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव--स्वीकृत ४४६७-४५५१

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव--असमाप्त ४५५१–४५७६

मंगलवार, ४ मई, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

परिसीमन आयोग अन्तिम आदेश संख्या १० ४५७७

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव--असमाप्त ४५७७ ४६४८

GIPD—HS—477 L. S.—3-1-55—285

लोक-सभा

बृहस्पतिवार, २२ अप्रैल, १९५४

सभा सवा आठ बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नोतर

(देखिये भाग १)

९·५ म० पू०

याचिका समिति

श्री रघुरामय्या (तेनालि) : मैं वित्त विधेयक, १९५४ से सम्बन्धित दो याचिकाओं पर याचिका समिति की पहली रिपोर्ट को उपस्थापित करता हूं ।

सदन की बैठकों से सदस्यो की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

अध्यक्ष महोदय : समिति ने अपनी दूसरी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि श्री ए० वी० टामस, श्री कर्णी सिंहजी, श्री देवी दत्त पन्त और डा० माणिक चन्द जाटव वीर को रिपोर्ट में उल्लिखित अवधि के लिये अनुपस्थित रहने की अनुमति दी जाये ।

मैं समझता हूं कि सदन समिति की सिफारिशों से सहमत है ।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां ।

वित्त विधेयक—जारी

अध्यक्ष महोदय : सदन अब वित्तीय वर्ष १९५४-५५ के संबं में केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को क्रियान्वित करने वाले विधेयक पर अग्रेतर चर्चा करेगा ।

डा० लंका सुन्दरम् (विशाखापटनम्) : वि यक पर चर्चा होने से पहले, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं ।

वित्त विधेयक २७ फरवरी, १९५४ को पुरःस्थापित किया गया था । उसके बाद, करारोपण प्रस्तावों में दो बार परिवर्त्तन किये जा चुके हैं । अब, यह जो विधेयक हमारे सामने है उसमें सरकार की ओर से न तो कोई संशोधन किये गये हैं और न किये जा रहे हैं । माननीय वित्त मंत्री ने कल कहा था कि यदि हम में से कोई सदस्य इन परिवर्तनों के सम्बन्ध में संशोधन रखना चाहे तो रख सकता है । सदन के सामने कोई सरकारी संशोधन तो हैं नहीं, इसलिये अब यह बड़ी कठिनाई खड़ी हो गई है कि विधेयक में निहित उपबन्धों तथा करारोपण प्रस्तावों में किये गये परिवर्तनों में किस प्रकार समायोजन किया जाय ।

अध्यक्ष महोदय : क्या सरकार का विचार संशोधन प्रस्तुत करनका ह ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : हमारा संशोधन प्रस्तुत करने का विचार नहीं है । बात ऐसी ही है जैसे हम आज इस अधिनियम को पारित कर दें और एक या दो महीने बाद हम अपनी कार्य-पालिका शक्ति का प्रयोग करते हुए इन में से कुछ मदों में कमी कर दें । जब तक हम किसी चीज की मात्रा में वृद्धि नहीं करते तब तक हमें कमी करने का अधिकार है, और इस तरह स्थिति बिल्कुल वही होगी जैसी अब है ।

अध्यक्ष महोदय : मेरी समझ में एक बात नहीं आई । सरकार तो उसी दिन से अधिक दर पर कर वसूल कर रही होगी जिस दिन वित्त विधेयक पुरःस्थापित हुआ था और तब तक करती रहेगी जब तक वह अपने कार्यपालिका आदेश जारी नहीं करती । तो मैं जानना चाहता हूं कि इस अन्तरिम काल में जो अधिक कर ले लिया जायेगा उसकी व्यवस्था किस प्रकार होगी ? क्या सरकार का इन करों को वापस करने का कोई विचार है ?

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा) : मेरा यह निवेदन है कि यदि हम इस विधेयक को इसके मूल रूप में ही पारित कर देंगे तो हो सकता है कि सरकार ने जिन रियायतों की घोषणा की है, आगे चल कर वह उन्हें वापस ले ले और अधिक दर वसूल करने लगे । यदि हम उसके इस इरादे को विधेयक में ही शामिल कर लें तो वह कानून के रूप में आ जायेगा और फिर सरकार बढ़ी हुई दरों पर कर वसूल नहीं कर पायेगी ।

श्री बंसल (झज्जर-रिवाड़ी) : जहां तक मैं समझता हूं, यह एक बड़ी अनियमित कार्यवाही हो रही है । इस का केवल एक तरीका यही है कि सरकार स्वयं संशोधन प्रस्तुत करे और संशोधित रूप म ही इस विधेयक को पारित करे ताकि इसम उन्हीं करों के लिये व्यवस्था हो जो इस समय लगाये जा रहे हैं वरना यह एक बनावटी विधेयक ही रहेगा ।

डा० लंका सुन्दरम् : सरकार ने करों में कमी करने की घोषणा तो कर दी है परन्तु फिर भी वह आवश्यक संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रही है और हमसे संशोधन लाने के लिये कह रही है । यह एक अनियमित और असाधारण बात है ।

पंडित ठाकर दास भार्गव (गुड़गांव): जहां तक सरकार की इन करों को वसूल करने की शक्ति का प्रश्न है, उसे यह शक्ति प्राप्त है और हमारे इस विधयक के पारित करने के बाद भी वह कर में कमी कर सकती है परन्तु निश्चय ही वह अधिनियम में निर्धारित कर में वृद्धि नही कर सकती । परन्तु मुझे सन्देह है कि बढ़ी हुई दर से लिया गया कर वापस हो सकता है । जहां तक इस विधेयक का संबंध है, हम संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं और वित्त मंत्री अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए इच्छानुसार कम दरों पर कर वसूल कर सकते है

श्री के० सी० सोधिया (सागर): सरकार कर में कमी करने की शक्ति का प्रयोग तब ही कर सकती है जब यह विधेयक पारित हो गया हो, इसके पुरःस्थापन और पारण के बीच में नहीं । इस बीच जब तक यह सदन उसे कर में कमी करने का अधिकार न दे दे तब तक वह कमी नहीं कर सकती ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार (तिरुप्पुर) : चूंकि वित्त मंत्री ने करों में कुछ रियायत की है, इसलिये इस का अर्थ यह है कि उन्हें इस समय इस अतिरिक्त राशि की आवश्यकता नहीं है इन परिस्थितियों में मैं समझता हूं सदन का सरकार को वह राशि प्राप्त करनें का अधिकार देना गलत होगा जिस की उसे आवश्यकता नहीं है । हो सकता है कि.....

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । मैं तो केवल यह जानना चाहता हूं कि जो कर अधिक ले लिया जायेगा, यानी रियायतों की घोषणा से पहले कुछ लोग अधिक दर पर जो कर दे चुकेंगे, क्या उसको वापस कर लिया जायेगा ?

श्री सी० डी० देशमुख : जहां तक कर राशि वापस करने का प्रश्न है, मुझे इसमें कोई कठिनाई नहीं दिखाई देती । मुझे वह तारीख ठीक तरह से याद नहीं जिससे हमने रियायतें मंजूर की हैं, परन्तु राशि वापस करने में मुझे कोई कठिनाई दिखाई नहीं देती ।

एक बात यह कही गई कि यदि यह कानून यों का यों ही रहने दिया गया और कार्यपालिका आदेशों से रियायत की गई तो हो सकता है कि सरकार आगे चल कर अपनी बात से हट जाये और अधिनियम में निर्धारित दरों से कर वसूल करने लगे । तो इसके लिये मैं यह कहूंगा कि सदन को सरकार की सद्भावना पर निर्भर रहना होगा । हम इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि जो रियायतें मंजूर की गई हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा ।

एक बात यह और कही गई कि मैंने माननीय सदस्यों से यह कहा था कि वे ही सारे संशोधनों की पूर्वसूचना दें । यह चीज गलत है । मैंने तो यह कहा था कि जो माननीय सदस्य इन रियायतों के सम्बन्ध में संशोधन रखना चाहें वे रख सकते हैं । डा० लंका सुन्दरम ने कहा कि बजाय इसके कि मैं स्वयं संशोधन रक्खूं मैंने माननीय सदस्यों से यह कहा कि वे ही सारे संशोधन लायें ।

डा० लंका सुन्दरम् : नहीं, नहीं ।

श्री सी० डी० देशमुख : यह बात सही नहीं है ।

श्री के० के० बसु (डायमण्ड हार्बर) : क्या माननीय वित्त मंत्री का अभिप्राय यह है कि कर में कमी करने की घोषणा करने से पहले जो राशि इकट्ठी की जा चुकी है उसे वापस कर दिया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : वह यही कह रहे हैं ।

श्री रघुरामय्या (तेनालि) : यदि सरकार कम दर पर ही कर वसूल करने का इरादा रखती है तो फिर इस सदन से अधिक दर की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पारित करने के लिये क्यों कहा जा रहा है । सरकार स्वयं भी इसके लिये संशोधन ला सकती है ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम इस विषय पर काफ़ी बहस कर चुके हैं । माननीय सदस्य अब भी संशोधनों पर विचार कर सकते हैं और मैं पूर्वसूचना की पाबन्दी को हटा कर उन्हें स्वीकार करने के लिये तैयार हूं । याद वित्त मंत्री उन्हें मंजूर कर लें तो हमें इस पर और आगे बहस करने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री सी० डी० देशमुख : निश्चय ही, माननीय सदस्य इन रियायतों के बारे में जो संशोधन प्रस्तुत करेंगे उनका स्वागत किया जायेगा और यदि सदन इस पर आग्रह ही करता है तो मुझे सारे संशोधन प्रस्तुत करने में कोई आपत्ति नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : बस, तो सब मामला ठीक हो गया । अब हमें इस पर बहस करने की आवश्यकता नहीं । माननीय वित्त मंत्री ही संशोधन प्रस्तुत करेंगे ।

अब हम विधेयक पर खंडशः चर्चा आरंभ करते हैं ।

खंड २ (आय-कर तथा अधि-कर)

पंडित ठाकुर दास भार्गव ने अपने संशोधन प्रस्तुत किये ।

९·२५ म० पू०

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : पेश्तर इसके कि मैं इन अमेंडमेंट्स पर बहस शुरू करूं मैं जनाब की तवज्जह एक इंसीडेंटल बात की तरफ़ दिलाना चाहता हूं । अब तक जितने बिल हाउस में आते रहे हैं उनके लिए एक तरीका हमने रखा है कि जब किसी बिल के मुताल्लिक अमेंडमेंट पेश किया जाता है तो उस बिल का रेलेवेंट पोर्शन एक अलग कागज़ पर दिया जाता है । लेकिन फाइनेन्स बिल में कई दूसरे बिलों का हवाला दिया गया है और उनको समझने के वास्ते उन बिलों का रेलेवेंट एक्सट्रेक्ट इस बिल के साथ नहीं है । बाकी दीगर बिलों के साथ यह दस्तूर बन गया है कि रेलेवेंट पोर्शन दिये जाते हैं अगर कोई इस बिल को समझना चाहे तो उसके पास और कोई चारा नहीं है सिवा इसके कि वह लाइब्रेरी में जाय और चार पांच बिल निकलवाकर उनको पढ़े । इसलिए मैं अर्ज़ करता हूं । कि फाइनेन्स बिल के साथ भी उसी तरह से रेलेवेंट पोर्शन्स आने चाहिएं जिस तरह कि दूसरे बिलों के साथ आते हैं ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

इन दो अमेंडमेंट्स के बारे में मेरी गुजारिश यह है कि हाउस को मालम होगा कि यह दो अमेंडमेंट्स शायद हाउस के वक्त को किसी कदर जाया करने के वास्ते हैं । मैं जानता हूं कि जो जवाब हमारे आनरेबिल फाइनेन्स मिनिस्टर साहब का होगा । लेकिन मैं यह अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि मेरा मतलब हाउस का वक्त ज़ाया करने का नहीं है । मैं अपने इन अमेंडमेंट्स के बारे में निहायत जोर से अर्ज करना चाहता हूं कि ये अमेंडमेंट हाउस को एक्सेप्ट कर लेने चाहिएं । सबसे पहला अमेंडमेंट जाइंट हिन्दू फैमिली के बारे में है । मैं अर्ज करूंगा कि यह मामला अर्से से फाइनेन्स बिल के मौके पर चला आता है और हमेशा हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर साहबान ने पुरानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के और मौजूदा गवर्नमेंट के फाइनेन्स मिनिस्टर साहबान न इस मेरे मौरूज़े पर ग़ौर तो किया और एक हमदर्दी से ग़ौर किया और हमेशा यह माना कि ज़ाहिर है कि हिन्दू अनडिवाइडेड फैमिली के साथ टैक्सेशन के मामले में सख्त बेइन्साफी होती है और अगर हाउस इजाज़त दे तो मैं कम से कम ६ फाइनेन्स मिनिस्टर साहबान के जवाबात हर एक साल के पढ़े कर सुना सकता हूं जिनके अन्दर उन्होंने इस हिन्दू अनडिवाइडेड फैमिली के साथ हमदर्दी ज़ाहिर की है लेकिन जब मौक़ा काम करने का आता है तो उस वक्त हमेशा उन्होंने कोल्ड शोल्डर ही दिखाया है । मुझे याद है कि जब इस बिल के बारे में झगड़ा हुआ तो उस

बक्त के फाइनेन्स मिनिस्टर श्री चेट्टी साहब ने इस सारी मेरी अर्ज़ को और सारे एतराज़ात को अपने जवाब में कबूल किया और यह माना कि अब तक जो हम करते आये हैं वह बिल्कुल ग़लत है और उनके साथ क़तई बेइंसाफ़ी है, उन्होंने उस पर ग़ौर फरमाया और कहा कि हम इस मामले को इनवेस्टिगेशन ट्रिब्युनल के सामने भेजे देते हैं और उस ने टैक्सेशन के बारे में कुछ तजवीजें कर दीं और जो कि हिन्दू अनडिवाइडेड फैमिली के किसी क़दर फायदेमंद थीं, वह उनके साथ पूरे तौर पर इंसाफ तो नहीं करती थीं लेकिन उनकी हार्डशिप्स को दूर अवश्य करती थीं, लेकिन बावजूद इस अम्र के इसको चार वर्ष गुज़र चुके हैं उन तजावीज़ पर आज तक अमल नहीं हुआ । खुद गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टिगेशन ट्रिब्युनल है और जिस पर कि सारे टैक्सेशन का एक तरह से इनहसार है उसकी हिन्दू अनडिवाइडेड फैमिली के मुताल्लिक जो सिफारिशात थीं उनके ऊपर गवर्नमेंट सो गई और गवर्नमेंट ने कुछ पर्वाह नहीं की इतना ही नहीं इसके बाद फिर हमेशा हर मौक़े पर यह कहा गया कि हम इसके लिये एक टैक्सेशन इनक्वायरी कमेटी बिठायेंगे जो इस सवाल पर ग़ौर करेगी। आज वह टैक्सेशन इनक्वायरी कमेटी हम से यहां पर थोड़ी दूर पर बैठी है और वह इन सवालात पर ग़ौर कर रही है और नतीजा यह है कि वह मामला अभी तक लटका हुआ है । मैं अदब से पूछना चाहता हूं कि जब गवर्नमेंट को लोगों से पैसा वसूल करने और उनको टैक्स करने की ज़रूरत पड़ती है तो यह सारे उसूल और सेंट्रल टैक्सेशन वग़ैरह बालाये ताक़ रख दिये जाते हैं, लेकिन जब लोगों को कुछ रिलीफ देने का सवाल आता है तब सरकार कहती है और हमारे मिनिस्टर साहब फरमाते हैं कि उसके लिये एक कमेटी बैठी हुई है, वह इस सब मसले पर ग़ौर कर रही है और वह इस बारे में फैसला करेगी, मैं पूछना चाहता हूं कि सन् २४ से ५२ तक यह स्टेट ड्यूटी बिल क्यों नहीं पास किया गया और उसकी बड़ी वजह यह हिन्दू अनडिवाइडेड फैमिली का नुक़्स उसके पास होने के रास्ते में हायल था । हर मौक़े पर आप कहते रहे कि चूंकि हिन्दू अनडिवाइडेड फैमिली मौजूद है, इस वजह से हम स्टेट ड्यूटी बिल पास नहीं कर सकते, मैं पूछना चाहता हूं कि सन् ५२ में क्या हो गया जो आपने इसको पेश कर दिया और सन् ५३ में यह पास हो गया, कमेटी ने अभी तक रिपोर्ट तो नहीं दी, लेकिन आपने वह स्टेट ड्यूटी बिल पास कर दिया और उन पर टैक्स लगा दिया और नतीजा यह हुआ कि आपको करोड़ों रुपये हिन्दू अनडिवाइडेड फैमिलीज़ से मिलेंगे और औरों के मुक़ाबले आपको इन से ज्यादा वसूल होगा । अगर किसी एक व्यक्ति के साथ सोसाइटी या आर्गेनाइज़ेशन के साथ कहीं भी बेइंसाफी होती है तो उसके लिये आपका यह कहना कि हम इस मामले को उस वक्त तक डाले रखना चाहते हैं कि जब तक कि उस कमेटी की रिपोर्ट हमारे सामने न आजाय, मैं कहूंगा कि यह वाजिब और दुरुस्त नहीं है । मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि मैंने अपनी डिमांड को बहुत छोटी इस वज़ह से रक्खा है कि मैं चाहता हूं कि इस मर्त्तबा भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मेरा जो क्लेम है उसकी जस्टिस को महसूस करें और उसको मानें । आखिर मेरा क्लेम क्या है ? मैंने इस क्लेम में जो अमेंडमेंट नम्बर २ में है उसको इतना

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

छोटा कर दिया है कि उनको उसे मंजूर करने में किसी क़िस्म की दिक्कत महसूस न हो। कोई कमेटी हो ख्वाह वह सेंट्रल टैक्सेशन इनक्वायरी कमीशन हो या कोई दूसरी कमेटी हो जो यह मानेगी कि होल इज़ ग्रेटर दैन दी पार्ट । आख़र एक इंडविजुअल फैमिली में दो आदमी से कम तो हो नहीं सकते, हां अगर किसी फैमिली में एक ही इंडविजुअल है, तो वह अलग बात है और उसे आप इंडविजुअल के तौर पर टैक्सेशन के सम्बन्ध में ट्रीट करें। यह मुनासिब नहीं है कि आप एक इंडिविजुअल और एक हिन्दू अनडिवाइडेड फैमिली को टैक्स करते वक्त एक ही सतह पर रक्खें । एक इंडिविजुअल के वास्ते और फैमिली के वास्ते आपने टैक्सेशन में एक ही रक़म मुक़र्रर की है । २५ हज़ार पहले सुपर टैक्स के बारे में तफ़रीक़ थी, इंडिविजुअल के वास्ते पचास हज़ार रुपया और हिन्दू अनडिवाइडेड फैमिली के वास्ते ७५ हज़ार रुपये की रक़म मुकर्रर की लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक स्ट्रोक आफ़ दी पेन से सारी इक्युटी को बालाये ताक़ रखकर एक दम उस पर २५ हज़ार कर दिया, क्या आप भी उनके नक्शे क़दम पर चलना चाहते हैं ? और क्या आप उस इनजस्टिस को परपिचुएट करना चाहते हैं ? आपका यह कहना कहां तक मुनासिब है कि टैक्सेशन इनक्वायरी कमीशन के पास जाइये, उसका फैसला आने तक हम कुछ नहीं कर सकते। हिन्दू अनडिवाइडेड फैमिली जो कि एक इंडिविजुअल के मुकाबले में बड़ी होती है, क्योंकि एक फैमिली म आठ, दस मेम्बर भी हो सकते हैं, इसलिये टैक्सेबुल मिनिमम जो एक इंडिविजुअल के लिये २५,००० है, हिन्दू अनडिवाइडेड फैमिली के वास्ते ५०,००० रुपये कम से कम होना चाहिये। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जो उनके साथ ओबवियस इनजस्टिस है, उसको आप कैसे बरक़रार रख सकते हैं, और उसके लिये यह कहना कि एक साल के बाद आना दो साल के बाद आना कहां तक मुनासिब और हक़ ब जानिब है, इस चीज़ को आपको फौरन तरमीम कर देना चाहिये । कोई वजह नहीं है कि हिन्दू ज्वाइंट फैमिली को आप एक इंडिविजुअल की तौर पर ट्रीट करें, ख्वाह आप आज करें, ख्वाह उस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद करें । आपने जो रुपया आलरेडी उनसे बतौर टैक्स ले लिया है वह यह तरमीम करके रिफंड तो करेंगे नहीं यह देखा जाता है कि सरकार जो रुपया बतौर टैक्सेशन या कस्टम ले लेती है वह फिर रिफंड तो होता नहीं क्योंकि अगर रिफंड करें तो आपको पिछले ९० साल से उनके साथ जो यह बेइंसाफी हो रही है वह सब रुपया रिफंड करना होगा और अगर आप उसको रिफंड करना चाहगे तो गवर्नमेंट के सारे रिसोर्सीज़ रिफंड में चले जायेंगे। इसलिये में पीछे के लिये नहीं कहता लेकिन आप अब तो उसको सुधारिये और इस बेइंसाफी को खत्म कीजिये । आज मौका है, अगर आप इस समय और कुछ ज्यादा नहीं कर सकते तो उसी बेसिस पर जो इनकमटैक्स की बेसिस है, उस पर जो इंडिविजुअल की बेसिस है उसको हिन्दू अनडिवाइडेड फैमली के वास्ते सुपरटेक्स कम से कम डबल कर दीजिये। आज सिर्फ मेरा इतना ही क्लेम है जो मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं है कि जिस को मंजर करने में गवर्नमेंट को कोई दिक्कत होनी चाहिये । मिनिस्टर साहब

कई मर्त्तबा फ़रमा चुके हैं कि टैक्सेशन इनक्वायरी कमीशन बैठा हुआ है, वह इस मामले को निबटा देगा, लेकिन जहां तक इस औबवियस चीज़ का ताल्लुक है मैं समझता हूं कि कोई कमेटी इसके बरखिलाफ फैसला नहीं कर सकती। मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि मैं ने जो तरमीम दी है वह निहायत माकूल और मोडरेट है और मेरे ख्याल में इसे मंजूर करने में हरगिज़ ताम्मुल नहीं होना चाहिये। इसके अलावा आप देखगे कि दुनिया के किसी भी इनकमटैक्स ला में फैमिली ऐज़ सच टैक्स नहीं होती। मैं टेकसेशन इनक्वायरी कमेटी की खिदमत में गया तो मैंने यह दरियाफत करना चाहा कि कहीं दुनिया भर में इस तरह की इनकमटैक्स लिमिट हो जैसी कि हिन्दू अनडिवाइडेड फैमिली के वास्ते रक्खी है, लेकिन मेरे इल्म में इज़ाफ़ा नहीं हो सका। सिर्फ हिन्दुस्तान में ऐसा होता है और इसकी ग़रज़ साफ है। एग्रीकलचर टैक्स और इनकमटैक्स को जायज़ तौर पर ट्रेडिंग पार्टनरशिप के तौर पर आप चाहे जितना टैक्स लगायें, लेकिन आप यह जो हिन्दू अनडिवाइडेड फैमिली करके टैक्स लगाते हैं, यह ठीक और जायज़ नहीं है। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि मसलन पंजाब का केस ले लीजिये। पंजाब में कस्टम इज़ दी ल आफ डिसीशन। पंजाब की कंडीशन्स जो जानते हैं उन्हें मालूम होगा कि मिताक्षर किस्म की फैमिलीज़ जो किताबों में लिखी है, सारे पंजाब भर में मौजूद नहीं हैं सन १८८९ में पंजाब चीफ़ कोर्ट ने फैसला किया और कहा कि कस्टम इज दी रूल आफ डिसीशन एन्ड नौट हिन्दू ला। मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब इस बात पर गौर फ़रमायेंगे कि अगर हिन्दू अनडिवाइडेड फैमिली का कोई शख्स आज अपना सेप्रेशन करना चाहे तो उसकी रैमिडी उसके अपने हाथ में है।

उस का महज अनइक्वीवोकल डिक्लेरेशन ही काफी है। यहां तक कि नोटिस आफ सूट ही बहुत काफी है। सिर्फ इन्कम टैक्स आफिसर के रूबरू जा कर सिविरेन्स आफ स्टेट्स के लिये कह देने से ही काम चल सकता है। लेकिन आप ने हिन्दू ला के उस उसूल, फंडामेन्टल उसूल, इन्हेरेन्ट उसूल, को ही तब्दील कर डाला, दफ़ा २५ ए को नये सिरे से एनैक्ट कर के, जिस के अन्दर लिखा है कि जब तक मीट्स ऐंड बाउन्डस में बटवारा न हो, ऐक्चुअल डेफिनिट पोर्शन्स में बटवारा न हो उस वक्त तक उस को सेपरेट इन स्टेटस नहीं माना जायेगा। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप हिन्दू ला के प्रिंसिपुल को मानते हैं तो उस पर कायम रहिये। जब श्री शेनमुखम चेटी साहब यहां पर थे तो उन के सामने भी यह दफा २५ का सवाल रक्खा गया। उन्होंने कहा कि मुझे खुद इस से तकलीफ हुई है। मेरी समझ में नहीं आता कि यह कैसा कानून है। चुनाचे उन्होंने कहा कि मैं इस के लिये एक सर्कुलर इश्यू करूंगा। मैं सर्कुलर या ऐसी दुसरी कोई चीज नहीं चाहता। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जहां तक कानून का सवाल है, अगर आप हिन्दू ला के प्रिंसिपुल पर चलना चाह तो उस को पूरी तौर से मानियें। उस के मुताबिक हर हिन्दू को अख्त्यार हासिल है कि ज्यों ही वह सेपरेशन के लिये कह दे, उस का सेपरेशन हो जाय।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

अपनी बीमारी का इलाज उस के हाथ में ही है, उस को उसी के हाथ में रहने दिया जाय । अगर आप इस को मान लें तो यह रोजगार का जो हार्डी ऐनुअल है वह खत्म हो जाता है । लेकिन आप ने तो इस किस्म का ला बनाया है जिससे हिन्दू ज्वाइन्ट फैमिली को ही नुकसान पहुंचता है, आप हिन्दू ज्वाइन्ट फैमिली को टैक्स करते हैं, लेकिन जो फायदा उनको मिल सकता है वह नहीं देते। यह कहां का इंसाफ है ? म बहुत अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि अगर आप रिपोर्ट का इंतजार करना चाहते हैं तो करें मुझे इस में कोई एतराज नहीं है, लेकिन इस की तरफ गवर्नमेंट की तवज्जह होना लाजिमी है ।

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जहां तक सुपर टैक्स की बात है मैं चाहता हूं कि इस में भी आप इंसाफ से काम लें और उसी उसूल को मद्दे नजर रक्खें जो कि मैं इनकम टैक्स के बारे में बयान कर रहा हूं। अगर ऐसा नहीं किया गया तो इस देश की पार्लियामेन्ट में, इस वेलफअर स्टेट में जहां हम कहते हैं कि हम सब के साथ जस्टिस करेंगे, हमारे कान्स्टिट्यूशन के प्रिएम्बल में लिखा है कि हम सोशल जस्टिस देंगे, उस के ऊपर धब्बा आता है । उस के ऊपर यह सवाल उठता है कि चूंकि यहां पर हिन्दू अन्डिवाइडेड फैमिली है, उस के ऊपर यह जजिया टैक्स लगाना कहां तक दुरुस्त है । यह कतई मुनासिब नहीं है कि हिन्दू अन्डिवाइडेड फैमिली पर इस तरह से टैक्स लगे । इस लिये मैं चाहता हूं कि आप जो भी फसला इस बारे में करें, कम स कम उस उसूल को तो मानें जो कि खुद आप ने इन्कम टेक्स के बारे में माना है । इसी लिये मैं ने लिखा है कि हिन्दू अन्डिवाइडेड फैमिली के बारे में सुपर टैक्स का जो सवाल है उस हम कम से कम डबल कर दें क्योंकि कोई खान्दान दो आदमियों से कम का नहीं होता है । मैं इस बारे में ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे इस कहने का क्या नतीजा होगा, लेकिन मैं अपने आनरेबुल फाइनेन्स मिनिस्टर की सेन्स आफ जस्टिस से अपील करता हूं कि वह इस धब्बे को दुरुस्त करें । मैं चाहता हूं कि जो हिन्दू अन्डिवाइडेड फैमिली है उस के साथ आप इंसाफ करें । कोई वजह मुझे नहीं मालूम होती कि उन के साथ इंसाफ न हो । मैं कहता हूं कि या तो वह इस को मान लें या मुझ को कन्विन्स कर दें । मैं तो उन्हीं को जज बनाना चाहता हूं । या तो उन को मेरी बात को मान लेना चाहिये या फिर वह मुझ को समझायें कि यह गलत है । मैं मान लूंगा । लेकिन अगर वह मुझ को न कन्विन्स कर सकें तो मैं अदब से अर्ज करूंगा कि वह मेरे ऐमेन्डमेन्ट को, जिस से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मान लें । चूंकि उन के पास मेरी बात का कोई जवाब नहीं है, इस वास्ते मैं अर्ज करूंगा कि मेरे दोनों ऐमेन्डमेन्ट मान लिये जायें ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा पंडित ठाकुरदास भार्गव के संशोधन ३२ तथा ३३ प्रस्तुत किए गए ।

श्री सी० डी० देशमुख: मैं समझता हूं कि मेरा यह दुर्भाग्य है कि माननीय सदस्य के जोशभरी अपील करने पर भी

मुझे उन के संशोधनों का विरोध करना पड़ा है। उन्होंने मुख्यतः यह कहा है कि यद्यपि उन्होंने कर जांच आयोग को अभ्यावेदन भजा है और उन्हें आशा है कि कर जांच आयोग हिंदू संयुक्त परिवार के सम्बंध में इस दावे और अन्य दावों की मान्यता को स्वीकार करेगा, परन्तु यह विशेष मद इतनी अन्यायपूर्ण है कि इस शिकायत को दूर करने के लिए अतिशीघ्र कार्यवाही करनी चाहिये। उस के लिए मेरा केवल यही उत्तर है कि कुछ और ऐसी बातें हो सकती हैं जो इतनी ही अन्यायपूर्ण हों, मुझे ज्ञात नहीं कि इस विषय और भारतीय आयकर अधिनियम से सम्बन्धित अन्य कितने विषयों के बारे में अभ्यावेदन दिये गये हैं। यह कुछ ठीक प्रतीत नहीं होता कि सरकार एक विशेष शिकायत को दूर करने के लिए एक विशेष संशोधन को स्वीकार कर ले, चाहे वह अन्याय कितना ही स्पष्ट क्यों न हो। इस वक्तव्य में यह स्वीकार नहीं किया गया, संभवत ऐसा हो या न भी हो।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : क्या १९५० और ५१ में ऐसा नहीं किया गया? कम से कम कितनी आय पर कर लगना चाहिए, इस बारे में एक संशोधन स्वीकार किया गया था।

श्री सी० डी० देशमुख: मैं इस इतिहास का उल्लेख नहीं करना चाहता कि भूत काल में सहायता की इच्छा से क्या किया गया था। माननीय सदस्य मेरी बात नहीं समझ सके।

यह पहली बार है कर जांच आयोग कार्य कर रहा है और आयकर अधिनियम का पूरा तथा विस्तृत विवेचन किया जा रहा है। मेरा कहने का अभिप्राय यह नहीं कि भूत काल में किसी एक ही मद में इस कारण सहायता नहीं दी थी, कि वह मद एक ही थी। मेरा अभिप्राय तो यह है कि अन्य दर्जनों मदें ऐसी हो सकती हैं जो इसी प्रकार महत्वपूर्ण हों और जिन में संभवतः अन्याय को दूर करना है। मैं नहीं कह सकता कि इसे दूर कैसे करना है। मेरा आग्रह यह है कि मुझे प्रत्याशा है कि कर जांच आयोग का प्रतिवेदन या सिफ़ारिश इस वर्ष की समाप्ति से पूर्व हमें मिल जायेगी और अगले आयव्ययक सत्र में हम न केवल इस शिकायत को और न केवल इस माननीय सदस्य की शिकायत को वरन अन्य बहुत से माननीय सदस्यों और जनता के अन्य भागों की बहुत सी शिकायतों को दूर कर सकेंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सदस्य ने हृदय में एक आशा ले कर कर जांच आयोग को छोड़ा है जो उन के भाषण से व्यक्त होती है, मैं उन्हें परामर्श देता हूं कि उन्हें कुछ और महीने संतोष करना चाहिए। क्योंकि उन्होंने यह स्वीकार किया है कि सरकार के लिए यह संभव नहीं होगा कि वह गत ९० वर्ष में संग्रहीत करों को लौटाये, तो मेरा यह सुझाव है कि यदि ९० वर्ष और ९ मास के लिए एकत्र किए गए कर को न लौटाया गया तो कोई अधिक अन्याय नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि:

"खण्ड २ विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खन्ड ३—(१९२२ के अधिनियम ११ का संशोधन)

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन सं० १७ द्वारा श्री के० के० बसु भवन सम्बन्धी विमुक्ति केवल ऐसे भवनों के सम्बन्ध में देना चाहते हैं जिन का प्रयोग मध्य वर्ग अथवा टेक्नीकल श्रमिकों इत्यादि के लिए हो। अप्रत्यक्षतः इस का यह अभिप्राय है कि वे कर भार बढ़ाना चाहते हैं। इस लिए यह संशोधन नियम विरुद्ध है और इसी प्रकार संशोधन १८ नियम विरुद्ध है।

श्री सी० डी० देशमुख : आपने सशोधन १९ को भी नियम विरुद्ध नहीं कहा? इस के प्रभाव से विमुक्ति बहुत कम उपक्रमों के लिए सीमित हो जायेगी।

श्री के० के० बसु : मेरा विचार है कि वित्त मंत्री ने मुझे गलत समझा है। वर्त्तमान नियम में यह उपबंधित है कि जिन उद्योगों पर खण्ड विशेष लागू होता है उन्हें सरकार विमुक्त कर सकती। मैं ने केवल इस नकारात्मक उपबन्ध को सकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया है कि अमुक अमुक उद्योग विमुक्ति का लाभ उठा सकते हैं। मेरा विचार है कि यह नियम विरुद्ध नहीं।

संशोधन प्रस्तुत करने में मेरी यह इच्छा निहित है कि इन उपबन्धों का उपयोग इस प्रकार हो कि राष्ट्र को अधिकतम लाभ हो। हमारी कर नीति में राष्ट्र के लिए लाभदायक पूंजियों को कर से विमुक्ति मिलनी चाहिए।

मेरे प्रथम संशोधन के अन्तर्निहित भी यही भावना है। भय यह है कि बड़े बड़े लोग अधिक राशि भवनों पर लगा देंगे। इस प्रकार सारी विमुक्त राशि अवरुद्ध हो जायेगी और राष्ट्र के हित के लिए प्रयोग नहीं होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : जब इस संशोधन को नियम विरुद्ध कह दिया गया है तो इस पर तर्क देने से क्या लाभ है? सारे आय कर अधिनियम का संशोधन नहीं किया जा रहा है। यदि किसी धारा या धारा के भाग पर प्रभाव पड़ता हो तो इस का यह अभिप्राय नहीं कि धारा के शेष भाग के भी संशोधन रखे जाएं।

अब हम मूल अधिनियम की धारा ४ को लेते हैं। माननीय सदस्य संशोधन द्वारा एक परन्तुक जोड़ना चाहते हैं जिस से यह अभिप्रेत है कि केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा कुछ राष्ट्र हित के उद्योगों को इस कर विमुक्ति के लिए पात्र घोषित करे। परन्तु विधेयक में एक सामान्य विमुक्ति दी गई है जिसे सरकार स्वविवेक से वापस ले सकती है। इस प्रकार संशोधन वर्तमान परन्तुक के सर्वथा प्रतिकूल है। इस से कई प्रकार के उद्योगों की विमुक्ति स्वतः ही समाप्त हो जाती है और कर भार में वृद्धि हो जाती है। यह नियम विरुद्ध है।

श्री के० के० बसु : मुझ बोलने दीजिये। मेरा विचार है कि वित्त मंत्री मेरे संशोधन की भावना को समझ गए हैं, वह यह है कि हमारी कर नीति लोक हितकारी राज्य के प्रयोजनार्थ हो और सरकारी प्राधिकारी भवन निर्माण कार्य को विशेष प्रणाली पर चला सके।

इम्पीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज़ ने एक भवन बनाया है। वह विमुक्त है। उस में 'दुर्भाग्यपूर्ण' बात यह है कि उन्होंने तपय फिटिंग्स, फर्नीचर इत्यादि इंगलेंड

से मंगवाये हैं जब कि कतिपय देशी सार्थ ये वस्तुएं दे सकते थे। हमें देखना चाहिए कि विदेशी समवाय हमारे राष्ट्रीय उद्योगों को सहायता दें। उन्हें ऐसी वस्तुएं बाहर से आयात नहीं करने देनी चाहिएं। मैं संशोधन प्रस्तुत नहीं कर सकता परन्तु फिर मेरा सरकार से आग्रह है कि उसे अधिसूचना अथवा किसी और ढंग से यह प्रबन्ध करना चाहिए कि भवनों पर पूंजी ठीक ंग से लगाई जाए।

मुझे प्रसन्नता है कि कल आप ने अपने भाषण में कहा था कि लाभांश सीमित होने चाहिएं। सरकार को यह प्रबन्ध करना चाहिए कि सीमित स्तर से ऊपर की पूंजी ऐसे उद्योगों में लगे जो राष्ट्र के लाभ और विकास के सहायक हों। अपने भाषण अनुसार वित्त मंत्री अगली योजना में अधिक सामाजिक लाभ देखना चाहते हैं। इसलिए आयोजित अर्थ-व्यवस्था में सरकार को ऐसा प्रबन्ध करना चाहिए कि गैर सरकारी पूंजी एक विशेष प्रणाली पर कार्य करे।

संशोधन द्वारा मैं केवल इस भावना को प्रस्तुत करना चाहता था और मैं आशा करता हूं कि सरकार अधिसूचना आदि जारी करने के अधिकार के प्रयोग द्वारा इस भाव का पालन करेगी।

श्री सी० डी० देशमुख : यह तथा अन्य बातें करारोपण समिति के विचाराधीन आती हैं। किन्तु यदि वह उन पर विचार न कर सके, तो मैं सहमत हूं कि हमें इस पर विचार करना चाहिये कि माननीय सदस्य द्वारा उठाए तर्कों में कोई सार है या नहीं, यद्यपि इस समय हम संशोधनों पर विचार नहीं कर रहे हैं। यह मैं तत्काल कह सकता हूं कि जहां तक उनके मकान-सम्बन्धी संशोधन का सम्बन्ध है, मुझे सन्देह है कि यह निर्धारित करना सरल कार्य होगा कि मध्य वर्ग अथवा सामान्य लोगों के लिए कौन से मकान हैं तथा दूसरी श्रेणियों के लिए कौन से मकान हैं। इसलिए, जब तक कि मकानों की तंगी है, मैं समझता हूं कि इस प्रकार का संशोधन हमारी ओर से लाने का प्रयत्न करना ठीक नहीं होगा।

उन्होंने कुछ उद्योगों को प्रोत्साहित करने सम्बन्धी संशोधन में जो सुझाव दिया है, मैं समझता हूं उसमें काफी वजन है। मैं स्वयं यह अनुभव करता हूं कि यदि हम द्वितीय पंच वर्षीय योजना में सर्वयुक्त आयोजन का लक्ष्य रखना चाहते हैं, तो यह देखना हमारा कर्तव्य होगा कि ऐसे उद्योगों को लाभ न मिल पाए जो हमारी योजना के परिपूर्ण के लिए अपेक्षित नहीं हैं। इसलिए हो सकता है कि योजना आयोग स्वयं ही इस प्रकार के सुझाव पर विचार करे। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय अभी इस चीज को इंगित नहीं कर पाया है कि कौन से उद्योग इस लाभ से वंचित रक्खे जायें, जो एक प्रकार से श्री वसु की इस बात को ही वजन देता है कि व्यवहार में यह छूट समस्त उद्योगों को मिल रही है और, जैसा कि मैंने अभी कहा, यह हो सकता है कि समग्र आयोजन हितार्थ हमें किसी अन्य व्यवस्थापना का सहारा लेना पड़े, तथा माननीय सदस्य द्वारा दिए गए सुझाव पर विचार किया जाना सम्भव है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिए रक्खा गया तथा स्वीकृत हुआ।

खंड ३ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड ४—(१९५३ के अधिनियम ३४ का संशोधन)

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ २ में पंक्ति १२ और १३ के स्थान पर ये शब्द जोड़े जायें :

"(a) after sub-section (2) of section 3, the following sub-section shall be inserted, namely :—

'(3) For the avoidance of doubt, it is hereby declared that references in this Act to property passing on the death of a person shall be construed as including references to property deemed to pass on the death of such person.' "

["(क) धारा ३ की उपधारा (२) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा जोड़ दी जाए, नामत: :—

'(३) संशय निवारण के निमित्त यह घोषित किया जाता है किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात मिली सम्पत्ति का जहां जहां इस अधिनियम में निर्देश है, वहां उसमें वह सम्पत्ति भी सम्मिलित होगी जो कि मृत्यु के पश्चात मिली समझी गयी सम्पत्ति के रूप में निर्दिष्ट की गयी है' ।"]

सम्पदा शुल्क अधिनियम में मुख्य कर निर्धारण धारा, धारा ५ है जो कि मृत्यु के पश्चात मिलने वाली सम्पत्ति पर कर आरोपित करती है । इस धारा के बाद धाराएं ६ से १७ तक हैं जो कि इसकी अनुपूरक हैं और जिनमें कुछ अन्य सम्पत्ति का जिक्र किया गया है जो कि धारा ५ के अर्थों के अन्तर्गत मृत्यु के पश्चात मिली समझी जाएगी । इसलिए इन उपबन्धों के सम्मिलित कार्यकरण से सम्पदा शुल्क मृत्यु के पश्चात मिली और मृत्यु के पश्चात मिली समझी गयी, दोनों प्रकार की सम्पत्तियों पर लागू होता है । किन्तु कुछ लोगों द्वारा यह सन्देह प्रकट किया गया है कि सम्पदा शुल्क अधिनियम, १९५३ की धारा केवल मृत्यु के पश्चात मिलने वाली सम्पत्ति तक ही सीमित है और इसलिए यह उस सम्पत्ति के लिए अप्रभावशाली है जो कि मृत्यु के पश्चात मिली समझी जाएगी। इस प्रकार की व्याख्या मान्योचित है या नहीं, इस बारे में मतभेद है । किन्तु चूंकि मंशा सदा यही रही है कि शुल्क दोनों ही प्रकार की सम्पत्तियों पर देय होगा, मुख्य कर-निर्धारण धारा ५ को 'अथवा मिली समझी गयी' शब्द जोड़ कर संशोधित किया जा रहा है । इस मामले पर विधि मंत्रालय द्वारा पुन: विचार किया गया और उसकी राय है कि इस संशोधन का कर-निर्धारण धारा ५ की अपेक्षा व्याख्या-धारा ३ में उपबन्धित करना अधिक अच्छा होगा । इस से अन्य संगत धाराओं के सम्बन्ध में भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन प्रस्तुत किया गया ।

श्री टेकचन्द (अम्बाला-शिमला) : मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान इस तथ्य की ओर खास तौर से आकर्षित करना चाहता हूं कि प्रस्तावित संशोधन भद्दा, कानून रूप में बुरा, असामयिक तथा अनुचित है। कारण यह है कि आपकी भाषा का भंजन नहीं करना चाहिये। भाषा के वस्तु अर्थ के सम्मुख आप उसके बिल्कुल भिन्न अर्थ नहीं निकाल सकते। मृत्यु के पश्चात मिलने वाली और मृत्यु के पश्चात मिली समझी जाने वाली सम्पत्तियों में बहुत भेद है। कुछ मामलों में वे एक हो सकती हैं किन्तु अन्य मामलों में वे बिल्कुल भिन्न हो सकती हैं। इसलिए यदि सरकार का आशय धारा ६ से १७ में सन्निहित चीज को लाना है, तो स्पष्टीकरण के नाते अधिक उपयुक्त बात यह होगी कि १८९४ के अंग्रेजी अधिनियम का अनुसरण करते हुए एक बिल्कुल भिन्न धारा पास की जाए। मेरा निवेदन है कि यदि इस विधेयक की पहले की धाराएं ज्यों की त्यों रक्खी जातीं तो शायद वे स्पष्टीकरण के इस प्रयत्न की अपेक्षा मूल रूप में कहीं अधिक स्पष्ट होतीं। हमारी कर-निर्धारण धारा में इंग्लैण्ड के सन् १८९४ के अधिनियम की धारा १ का हूबहू अनुसरण किया गया है। इंग्लैण्ड के अधिनियम की कर-निर्धारण धारा में यह नहीं कहा गया है कि इसमें मृत्यु के पश्चात मिली समझी गयी सम्पत्ति भी सम्मिलित है। वहां कर-निर्धारण धारा बिल्कुल पृथक और मुक्त तथा स्पष्ट है। हमने अपने अधिनियम की भाषा वहीं से ली है। आपका यह कहना कि 'मृत्यु के पश्चात मिली' में सब जगह 'मृत्यु के पश्चात मिली समझी गयी' का अर्थ है, तो यह अनुचित तथा असंयत चीज है। दोनों के बीच कई मामलों में प्रिवी काउंसिल में भेद किया गया है। कुछ मामले आपने धारा ६ से १७ में विशिष्टीकृत किए हैं जिनमें कि यद्यपि सम्पत्ति मृत्यु के पश्चात मिलती नहीं, तथापि आप उसे मृत्यु के पश्चात मिली के रूप में व्यवहृत करेंगे। किन्तु जब आप एक कदम और आगे बढ़ कर कहते हैं कि जब भी मृत्यु के पश्चात सम्पत्ति मिलेगी तो इसमें वह सम्पत्ति भी सम्मिलित होगी जो मत्यु के पश्चात मिली समझी गयी है, तो मैं कहूंगा कि यह भाषा की हिंसा करना है। यदि आपने अंग्रेजी धारा की भाषा ली है तो.....

उपाध्यक्ष महोदय : इसको इतना सामान्य बनाने की क्या आवश्यकता है ? लक्ष्य यह है कि उस सम्पत्ति पर भी शुल्क लिया जाए जो कि मत्यु के पश्चात मिली समझी जाएगी। तो क्या वहीं तक सीमित रह कर खंड ५ का संशोधन करना पर्याप्त नहीं है ? वह काफी होगा। मैं समझता हूं कि वित्त विधेयक में इस प्रकार का सामान्य संशोधन करके, और इसे व्याख्या खंड में करके हम इस अधिनियम का क्षेत्र बढ़ा देंगे। जहां तक कर-निर्धारण धारा का सम्बन्ध है, माननीय वित्त मंत्री की धारणा यह है कि वित्त विधेयक में वह इसे भी सम्मिलित करें। मूल धारणा यही है, और यदि इस पर सन्देह व्यक्त किया जाता है, तो यह संशोधन खंड ५ तक सीमित रहेगा तथा व्याख्या खंड में नहीं किया जायगा। यदि यह आवश्यक हो कि इसे अधिनियम के समस्त प्रयोजनों के लिए पुरःस्थापित किया जाए, तो सम्पदा शुल्क अधिनियम को एक पृथक संशोधन द्वारा संशोधित किया जाए जब

[उपाध्यक्ष महोदय]

कि सम्पूर्ण अधिनियम पर पुनर्विचार किया जाए कि यह किस प्रकार अन्य खंडों को प्रभावित करता है । इस समय हमें केवल खंड ५ तक सीमित रहना है । माननीय मंत्री इस पर विचार करें । मेरी धारणा यह है कि जहां तक इस विधेयक के क्षेत्र का सम्बन्ध है, यह सम्पदा शुल्क विधेयक का सामान्य संपरिवर्त्तन अथवा संशोधन नहीं है । शुल्क-आरोपण के लिए सरकार इस सम्पत्ति पर भी कर लगाना चाहती है । वह ऐसा कर सकती है लेकिन वित्त विधेयक के क्षेत्र में विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है । पता नहीं इस प्रकार की सामान्य भाषा से कौन सी अन्य प्रतिक्रियाएं या विवाद उठ खड़े हों ।

श्री सी० डी० दशमुख : इसका उत्तर मैं माननीय सदस्य का भाषण हो चुकने के पश्चात् दूंगा ।

श्री टेकचन्द : आपके विचार प्रदर्शन के लिए मैं अनुग्रहीत हूं । मेरे कहने का भी आशय यही था । मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान इंग्लैंड के अधिनियम, १८९४ की धारा २ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । जहां तक इस अधिनियम की धारा १ का सम्बन्ध है, हमने इसे शब्दशः अपना लिया है । इसकी धारा २ में पृथकरूप से उन सम्पत्तियों की सूची दी गई है जो कि मृत्यु के पश्चात् मिली समझी जायेंगी, यद्यपि वे वास्तव में मिलती नहीं हैं । हमने भी इसी प्रकार उन्हें बिना यह कहे हुए ६ से १७ तक धाराओं में दिया है । इसलिए माननीय वित्त मंत्री का प्रयोजन सिद्ध हो जाता यदि उन्होंने अंग्रेज़ी अधिनियम की धारा (२) की उपधारा के प्रथम वाक्य को ले लिया होता । लेकिन हम उसके विपरीत जा रहे हैं । आप यह नहीं कह सकते कि मृत्यु के बाद मिली सम्पत्ति तथा मृत्यु के बाद मिली समझी जाने वाली सम्पत्ति एक समान ही व्यवहृत की जाएगी क्योंकि ये दोनों बिलकुल भिन्न चीजें हैं । आपको कहना यह चाहिए कि अमुक-अमुक मामलों में दोनों को एक समान समझा जाएगा ।

मेरा दूसरा निवेदन यह है कि जब सम्पदा शुल्क विधेयक पारित किया जा रहा था तो यह एक नया विधेयक था । इसके ऊपर काफी वादविवाद हुआ था । और शंका की गुंजाइश थी । अब आप वित्त विधेयक के पृष्ठद्वार से एक बड़े अधिनियम में संशोधन करने जा रहे हैं । ऐसी दशा में माननीय सदस्यों को इस बात का अवसर मिलना चाहिए कि अन्य जगह इस प्रकार के विधान का अध्ययन करके इसकी ऊंच-नीच देखें और अपनी राय प्रकट करें । उचित मार्ग यह होगा कि सम्बन्धित अधिनियम का संशोधन प्रस्तुत किया जाए और उसे सदन द्वारा स्वीकृत कराया जाए । मैं यही कहना चाहता था ।

उपाध्यक्ष महोदय : वित्त विधेयक कर-निर्धारण धारा तक ही सीमित है । किन्तु इस संशोधन से समस्त अधिनियम में संशोधन करने की अपेक्षा की गई है । इसलिए मैं समझता हूं कि इस समय यह संशोधन केवल धारा ५ तक ही सीमित रहना चाहिए । अन्यथा इससे इस विधेयक के क्षेत्र में विस्तार होगा ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं आपका ध्यान सम्पदा शुल्क अधिनियम की धारा २१ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं,

जिसमें कि शुल्क-वसूली से अपवाद दिये हुए हैं। इसी प्रकार धारा ७४ भी है। अतएव हमने अनुभव किया कि यदि हम इस संशोधन को धारा ५ तक ही सीमित रक्खें तो उसमें वह सम्पत्ति नहीं आएगी जिसका निर्देश धारा २१ से ७४ तक किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय मंत्री ने इस पर विचार कर लिया है कि खंड २१ का अपवाद-भाग मृत्यु के पश्चात मिली समझी गई सम्पत्ति पर भी लागू होना चाहिए ?

श्री सी० डी० देशमुख : मृत्यु के पश्चात मिली समझी गयी सम्पत्ति की परिभाषा दी हुई है।

श्री टेकचन्द : यदि आप अपनी धारा ६ और ७ की तुलना अंग्रेजी अधिनियम की धारा २ से करें, तो अन्तर स्पष्ट हो जायगा कि धारा ६ में आप मृत्यु के बाद मिली समझी जाने वाली सम्पत्ति के कुछ प्रकार दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : धारा ७ धारा ६ से स्वतन्त्र है, उसकी सहायक नहीं।

श्री सी० डी० देशमुख : धारा २१ में जब हम चल-अचल सम्पत्ति की ही बात लेंगे, तब यह प्रश्न उठेगा। हम भले ही कहें कि मृत्यु के बाद मिली समझी जाने वाली सम्पत्ति मृत्यु पर आने वाली सम्पत्ति के समान ही होगी, पर शायद धारा २१ के बारे में हम इसका उपयोग न कर पाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : धारा २१ भी इनमें से एक धारा ही है और आवश्यक हो तो अभी हम एक नई धारा रख सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि एक स्थान की परिभाषाओं और दूसरे स्थान की परिभाषाओं में अन्तर हो। एक शुल्क लगाने वाली धारा में हमें वैसी अन्य मदें छोड़ नहीं देनी चाहिए।

श्री सी० डी० देशमुख : हमें अन्य धाराएं २१ और ७४ ही दिखाई दे रही हैं। पर मैं बाद में अपेक्षतया निश्चित रूप में बता सकूंगा। मैं आपकी बात समझ रहा हूं, शुल्क लगाने वाली होने का अर्थ उससे विमुक्ति देने वाली भी होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : तो मैं इस संशोधन को छोड़ दूंगा। और श्री टेकचन्द का दूसरा संशोधन ?

श्री टेकचन्द : वह स्वतन्त्र संशोधन है। मैं प्रस्ताव करता हूं :

> पृष्ठ २, पंक्ति २१ और २२ में, "Under both clauses (f) and (g)" [दोनों खंडों (च) और (छ) के अधीन] के स्थान पर "either under clause (f) or (g) or under both" [खंड (च) या (छ) या दोनों के अधीन] रखा जाए।

सरकारी संशोधन से व्यवस्थापकों या विधेयक निर्माताओं के लक्ष्य को पूरा न होता हुआ देख कर मैं यह संशोधन रख रहा हूं। वह लक्ष्य खंडों की टिप्पणियों में बताया गया है और मैं उससे सहमत हूं। खंड ३३ (च) और (छ) एक प्रकार की दो विमुक्तियों को लेते हैं। अपने जीवन काल में यदि कोई व्यक्ति सम्पदा-शुल्क के लिए कुछ राशि अलग रखे, तो वह उसकी

[श्री टेकचन्द]

आय न मानी जाए । सरकार ने यह बात बहुत कुछ मानी भी थी । आप चाहते थे कि यदि वह तीन लाख की शुल्क के लिए तीन लाख बचाए, तो आप खंड (च) में या खंड (छ) में ५० हज़ार से अधिक छूट न देंगे । पर आप इस विचार को प्रभावी रूप नहीं दे सके हैं । आपने खंड (च) और (छ) से पहले "दोनों" शब्द रखा है । सम्पदा शुल्क देने के लिए मैं ५० हज़ार का बीमा करा सकता हूं या सरकारी बोंड खरीद सकता हूं लक्ष्य यही है कि सम्पदा शुल्क चुकाने के लिए, उस समय यह राशि लौटा दी जाए। यह भी संभव है कि मैं आधे के बौंड खरीदूं और आधे का बीमा कराऊं । "दोनों" शब्द रखने से स्पष्ट है कि आप (च) और (छ) को अलग नहीं रखना चाहते । ऐसी स्थिति में कोई भी कह सकता है कि खंड (च) और (छ) इकटठे रखे गए हैं और ५०,००० रुपयों की सीमा उसी स्थिति के लिए है जब कोई दोनों के अधीन छूट चाहे । पर यदि आप अकेले खंड (च) या अकेले खंड (छ) के अधीन छूट चाहें, तो ५०,००० रुपयों की सीमा की कोई रुकावट न रहेगी । फलतः कोई भी व्यक्ति ५०,००० रुपयों से अधिक का बीमा करा सकेगा और खंड (छ) के अधीन बौंड न खरीदेगा...

श्री सी० डी० देशमुख : वह इस बात की आगे व्याख्या न करें । मैं उनका संशोधन स्वीकार किए लेता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : टिप्पणियों में अभिप्राय यह न था कि ५०,००० रुपयों की छूट (च) और (छ) प्रत्येक में लागू हो । श्री टेकचन्द का कहना है कि वित्त मंत्री के दोनों को इकट्ठा करने वाले संशोधन के होते हुए भी ऐसे भी मामले हो सकते हैं, जहां केवल (च) लागू हो या केवल (छ) ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैंने उनका अभिप्राय यह समझा है कि यदि हम शब्द '५०,००० रुपया' (च) से हटा दें और केवल (च) ही लागू हो, तो तत्वतः कोई सीमा न रहेगी, यह सोचा जा सकता है कि दोनों के संयुक्त रूप में लागू होने पर ही यह सीमा लागू होगी, पर संभव है कुछ मामलों में (छ) हो ही न और दोनों इकट्ठे लागू न हों, और यदि आप '५०,००० रुपये' शब्द रखें, तो लगता है कि (च) में कोई सीमा न रहेगी ।

श्री टेकचन्द : आप एक दो मिनट और दें, तो मैं बात साफ कर दूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : तो परन्तुक का अर्थ अनिश्चित सीमा तक कैसे होगा ।

श्री सी० डी० देशमुख : वह समझते हैं कि यदि इसे हमारे द्वारा सुझाये गये रूप में लुप्त कर दिया जाए और यदि (च) और (छ) संयुक्त रूप से लागू न होकर यदि केवल (च) लागू हो, तो सीमा अनिश्चित रहेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : पर वह (छ) को नहीं छोड़ना चाहते ।

श्री टेकचन्द : मैं एक त्रुटि सुधारने में सरकार को सहायता दे रहा हूं । यदि आप चाहते हैं कि बीमा कराने या बोंड खरीदने या दोनों के लिए ५०,००० रुपयों की छूट दी जाय, तो विद्यमान परंतुक से तो केवल तीसरी बात ही सिद्ध होती

हैं। केवल पहली या केवल दूसरी बात करने वाले के ऊपर आपकी यह सीमा लागू नहीं होती, क्योंकि आप स्पष्टतः दोनों की ही बात कह रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य का मतलब नहीं समझा। जब दोनों के लिए पचास हजार की सीमा है, तो एक के लिए भी उतनी ही रहेगी।

श्री सी० डी० देशमुख : वह यही चाहते हैं कि "पचास हजार रुपए" शब्दों को प्रत्येक मामले में लुप्त कर देने से अब (च) और (छ) दोनों साथ-साथ लागू नहीं होते, केवल (च) लागू होता है, तो जो खंड बचता है उस में कोई सीमा नहीं रहती। यदि हमारा परंतुक इस प्रकार होता कि "परन्तु वह राशि, जिस के बारे में खंड (च) या खंड (छ) या खंड (च) तथा (छ) के अधीन संपदा शुल्क न देनी पड़ेगी, सब मिलाकर पचास हजार रुपए से अधिक न होगी", तो वह दूसरी बात होती। हमारा परंतुक वैसा ही होना चाहिए था। उन्होंने उसे दूसरे रूप में रखा है।

विद्यमान रूप में इसका अर्थ यही होगा कि पचास हजार की सीमा (च) और (छ) दोनों के संयुक्त रूप में लागू होने पर ही रहेगी, अन्य दो वैकल्पिक स्थितियों में नहीं, क्योंकि मुख्य खंड में से उन शब्दों को लुप्त किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : (च) या (छ) म से किसी से भी 'पचास हजार रुपए' शब्द निकाल देने से ही यह कठिनाई पैदा होती है, पर यदि इन दोनों म से ये शब्द लुप्त न किए जाएं और केवल एक परंतुक रखा जाए कि दोनों खंड (च) और (छ) की राशि पचास हजार रुपए से अधिक न हो।

श्री सी० डी० देशमुख : तब भी अभिप्राय पूरा हो जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अर्थात् दोनों खंडों के अधीन मिलने वाली छूट कुल मिलाकर पचास हजार से अधिक न हो खंड (च) और (छ) में पचास हजार को लुप्त न किया जाए। आलेखन द्वारा इस परंतुक को ठीक कर लिया जाए। इसका सार तो वित्त मंत्री स्वीकार कर ही रहे हैं।

खंड ५—(१९३४ के अधिनियम ३२ का संशोधन।)

उपाध्यक्ष महोदय : इस खंड में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि :

"खंड ५ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ५ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड ६—(अतिरिक्त सीमा शुल्क)

उपाध्यक्ष महोदय : खंड ६ पर श्री वी० पी० नायर का एक संशोधन है, पर उसके नियमानुकूल होने में मुझे कुछ संदेह है। माननीय सदस्य मेरे साथ सहमत होंगे कि यह अनियमित है।

श्री वी० पी० नायर (चिरायिन्किल): मैं मानता हूं कि साधारण चर्चा में सभी बातें कही जा सकती हैं, और संशोधन में क्षेत्र सीमित हो जाता है। परन्तु मुझे एक अत्यन्त महत्वपूर्ण बात कहनी है कि देश में मसालों के विशेषतः काली मिर्च और सोंठ के भाव बहुत गिर गए हैं। काली मिर्च का भारत से निर्यात होता था, पर अब उसका नगण्य आयात

[श्री वी० पी० नायर]

शुल्क लगा कर आयात होने दिया जाता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य काली मिर्च के आयात का मूल्य बता सकते हैं ।

श्री वी० पी० नायर : अकेली काली मिर्च का तो नहीं, पर १९५२-५३ में ५०८ लाख रुपयों के मसालों का आयात हुआ था, जिनकी मात्रा लगभग ९,०६,००० हंडर्डवेट थी । काली मिर्च, दालचीनी और सोंठ आदि सस्ते मूल्य पर विदेश जाती हैं और वहां से रासायनिक प्रक्रिया द्वारा उनका बुरादा सा चूर्ण बना दिया जाता है । फिर साधारण सी आयात शुल्क लेकर उसका भारत में आयात होने दिया जाता है और इस प्रकार भारतीय किसानों को लूटा जाता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ५ प्रतिशत के स्थान पर ४० प्रतिशत करना चाहते हैं । मैं नहीं समझता कि समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन . . .

श्री सी० डी० देशमुख : माननीय सदस्य ने बहुत सी चीजों के बारे में सूचना दी है : सोडाभस्म, सोडियम मिश्रण, मोटर गाड़ियों के पुरजे आदि ।

श्री वी० पी० नायर : वह शुल्क बढ़ाने के लिए नहीं, उनके बारे में तो मैं सदन का ध्यान कुछ और बातों पर आकर्षित करना चाहता हूं ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं यही कहना चाहता था कि यदि माननीय सदस्य ने काफी पहले से सूचना दी होती, तो हम इन पदार्थों के शामिल किए जाने का परामर्श राष्ट्रपति को देने की बात सोचते । अब इस अन्तिम समय में मैं कुछ नहीं कह सकता ।

श्री वी० पी० नायर : मुझे खेद है कि विधेयक के आने के बाद ही हम सूचना दे सकते हैं । मैंने कल नहीं, उससे भी पहले सूचना दी थी ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब यही हो सकता है कि यदि कोई माननीय सदस्य समझते हैं कि कोई मद विशेष महत्वपूर्ण है, तो वह माननीय मंत्री से कह सकते हैं ।

श्री सी० डी० देशमुख : यदि माननीय सदस्य ने राष्ट्रपति की सिफारिश के लिए आवेदन किया होता, तो इस समस्या पर हमारा ध्यान गया होता और हम ने गुणानुसार इस विषय पर विचार किया होता ।

श्री वी० पी० नायर : चूंकि यह प्रश्न त्रावनकोर कोचीन की अर्थव्यवस्था में और काली मिर्च और अन्य मसालों के विषय में एक संकट खड़ा कर रहा है, अतः माननीय वित्त मंत्री से मेरा सानुरोध है कि केवल देर के ही नाम पर इसे न टाल दें ।

श्री सी० डी० देशमुख : माननीय सदस्य क्या चाहते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : यही कि माननीय मंत्री इस संशोधन पर विचार करें और राष्ट्रपति की स्वीकृति मांगें ।

श्री सी० डी० देशमुख : पर राष्ट्रपति यहां नहीं हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : तो इस दृष्टि से मुझे यह संशोधन अस्वीकार करना होगा।

प्रश्न यह है कि

"खंड ६ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ६ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ७ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ८—(१९४४ के अधिनियम १ का संशोधन) ।

श्री एन० बी० चौधरी (घाटल) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"पृष्ठ ४ में, पंक्तियां १ से ८ तक लुप्त की जाएं ।"

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि खंड ८ के बारे में आज प्रातः यही बात उठी थी और माननीय मंत्री ने कुछ संशोधन रखने के लिए कहा था। यदि वह आलेखन आदि के लिए और समय चाहते हैं, तो, मैं इसे छोड़ दूं ; अथवा संशोधन रखने वाले अन्य सदस्यगण अपने भाषण दे दें ।

श्री एन० बी० चौधरी : श्रीमान्, अपने संशोधन के सम्बन्ध में, मैं देखता हूं कि मध्यम कोटि के तथा मोटे कपड़े पर उत्पादन कर में वृद्धि कर दी गई है । यद्यपि बारीक कपड़े के उत्पादन पर भी कर में दो पैसे की वृद्धि कर दी गई है परन्तु वास्तविकता यह है कि इस प्रकार के कपड़े पर उत्पादन-कर में तीन पैसे की कमी हो गई है । क्योंकि २५ अक्टूबर १९५३ से उसमें पांच पैसे की कमी कर दी गई थी । यह केवल यह दिखाने के लिए किया गया है कि केवल मध्यम प्रकार के तथा मोटे कपड़े पर ही उत्पादन-कर में वृद्धि नहीं हुई है अपितु बारीक कपड़े पर भी उत्पादन-कर बढ़ा दिया गया है । मैं इसका विरोध करता हूं । श्रीमान्, आप जानते हैं कि धोतियों के उत्पादन पर पहिले से ही लगाये गए प्रतिबन्धों के परिणामस्वरूप धोतियों के मूल्यों में बहुत वृद्धि हो गई है । जिस समय धोतियों के उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगाने वाले अध्यादेश को नियमित रूप देने के लिये विधेयक पुरःस्थापित किया गया उस समय सदन में चहुं ओर इसका विरोध हुआ। परन्तु यह त दिया गया कि हथकरघा उद्योग की सहायता करने की दृष्टि से ऐसा किया जा रहा है । अधिकतर सदस्यों की समझ में नहीं आता कि इस से हथकरघा उद्योग की सहायता कैसे हो रही थी । अतः मेरा विचार है कि करों में और अधिक वृद्धि करने के लिये हथकरथा उद्योग को सहायता देने का तर्क प्रस्तुत न किया जाये। क्योंकि प्रतिबन्धों के कार मूल्यों में पहिले ही बहुत वृद्धि हो गई है ।

श्री के० सी० सोधिया (सागर) : श्रीमान्, मेरी समझ में नहीं आता कि हम पूंजीपतियों, प्रतिष्ठित वस्त्र निर्माणकर्ताओं की सहायता करने का विचार क्यों करते हैं । इसका साधारण कारण यह है कि सरकार पूंजीपतियों का पक्ष लेना चाहती है तथा निर्धनों पर कर लगाना चाहती है । प्रायः यह तर्क दिया जाता है कि यह विक्रेता बाज़ार है तथा मिल मालिकों को अपनी जेब से उत्पादन-कर देना पड़ेगा । यह तर्क बड़ा कल्पित तथा असत्य है क्योंकि मिल मालिक अपनी जेब से उत्पादन-शुल्क का एक पैसा भी नहीं देंगे तथा यह बेचारे उपभोक्ता से लिया जायेगा । मैं इस बात से कभी भी सहमत नहीं हो सकता । अतः मैं मध्यम कोटि के तथा मोटे कपड़े पर उत्पादन-शुल्क लगाने का विरोध करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : उनका संशोधन यह नहीं है । क्या वह अपने संशोधन संख्या ९ पर जोर नहीं दे रहे हैं ।

श्री के० सी० सोधिया : नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं यह देखना चाहता हूं कि इस के अतिरिक्त शुल्क लगती है या नहीं ? हम उद्देश्य समझते हैं कि मध्यम कोटि के तथा मोट वस्त्र पर और शुल्क नहीं लगाई जानी चाहिये । यदि संशोधन स्वीकार हो जाता है तो क्या इसका अभिप्राय यह होगा कि किसी अन्य लागू खण्ड के अनुकूल भी शुल्क लगाई जायेगी ? मैं माननीय वित्त मंत्री से प्रश्न का स्पष्टीकरण करने का, कि उद्देश्य की पूर्ति होगी या नहीं, निवेदन करता हूं ।

श्री सी० डी० देशमुख : श्रीमान्, ये भिन्न भिन्न कोटियां हैं । उन पर कोई शुल्क नहीं लगेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : तो फिर यह संशोधन नियमानुकूल है ।

श्री नम्बियार (मयूरम्) : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

> पृष्ठ ६, पंक्ति ४१ तथा ४२ में "one anna and six pies" (एक आना तथा छः पाई) के स्थान पर "six pies" (छः पाई) शब्द रख दिये जायें ।"

यहां बढ़िया कपड़े पर एक आना छः पाई प्रति गज की दर से शुल्क लगाई गई है और मैं चाहता हूं कि यह घटाकर छः पाई कर दी जाये । इसका कारण यह है कि प्रायः मध्यम श्रेणी के लोग इस प्रकार के कपड़े का प्रयोग करते हैं। बढ़िया कपड़े पर शुल्क तो अवश्य होनी चाहिये परन्तु इतनी नहीं । मेरा सुझाव है कि यह घटाकर छः पाई कर दी जाये ताकि निम्न मध्यम श्रेणी के लोगों तथा निर्धन लोगों को इसके घटाने से तथा मध्यम कोटि के कपड़े पर तथा मोटे कपड़े पर उत्पादन-कर समाप्त करने से लाभ हो सके । अतः मैं आशा करता हूं माननीय मंत्री इस पर विचार करेंगे तथा अपनी सहानुभति व सद्भावना प्रकट करेंगे ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> पृष्ठ ४ पंक्ति २४ में "factory" (निर्माणशाला) के बाद "as defined in the Factories Act, 1948 (Act LXIII of 1948)" [निर्माण-शाला अधिनियम, १९४८ (१९४८ के ५३वें) में दी गई परिभाषा के अनुसार] जोड़ दिया जाये ।
>
> पृष्ठ ४, पंक्ति २५ के बाद "power" (शक्ति) के बाद जोड़िये :
>
> "and manufacturing more than 100 tons of household and laundry soaps, or 50 tons of toilet soap or soap not otherwise specified" (तथा १०० टन से अधिक धरेलू और लांडरी में प्रयोग होने वाले साबुन या ५० टन से अधिक स्नान करने का या अन्यथा वर्गीकरण न किया गया साबुन बनाने वाली) ।

उपाध्यक्ष महादय : वे अधिक छूट चाहते हैं । वे नियमानुकूल हैं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : वे नियमानुकूल हैं ।

मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि फाइनेंस मिनिस्टर ने इस उसूल को तो अब मान लिया है कि सोप और फुटवियर पर कर लगाने में छोटे कारखानेदारों को शामिल नहीं करना चाहिये । इनकी मंशा यह है कि जो यह टैक्स लगे वह ऐसे आदमियों पर न लगे कि जिनमें बजाय इसके कि इम्पलायमेंट देने चले हैं, उनके अन्दर बेकारी हो जाये । आनरेबुल मिनिस्टर ने लाइन ४० में फुटवियर के लिये तमीज रक्खी है । "Footwear produced in any factory as defined in the Factories Act" (निर्माणशाला अधिनियम की परिभाषा के अनुसार किसी भी निर्माणशाला में बने जूते आदि) आज एक पेटीशन श्री हरिश्चन्द्र का हाउस के अन्दर सर्कुलेट किया गया है । मैं चाहता हूं कि ये शब्द पंक्ति २४ में भी जोड़े जायें ।

उपाध्यक्ष महोदय : शब्द हैं 'किसी निर्माणशाला सें बना' तथा 'विद्युत का उपयोग करने वाली निर्माणशाला' तो है परन्तु विद्युत वहां न हो । केवल बिद्युत की सहायता से बनने वाले साबुन पर ही शुल्क लगाया जाना चाहिये । प्रश्न यह है कि शब्द 'निर्माणशाला' का क्या अर्थ है ।

श्री सी० डी० देशमुख : यह निर्वचन की बात है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं चाहता हूं कि ऐसे सारे मामलों में माननीय विधि मंत्री यहां हों । विधि मंत्री रखने का क्या लाभ सिवाय इसके कि वह सदन को मंत्रणा दें ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जो रिआयतें आनरेबुल फाइनेन्स मिनिस्टर ने दी हैं उनमें १२५ टन तो लांडरी सोप के लिये रक्खा है और २५ टन टायलेट सोप के लिये रक्खा है । यह रिआयतें दी गई थीं मौजूदा हाउस में, लेकिन मुझे पता नहीं कि फाइनेंस मिनिस्टर के नोटिस में यह आया है कि नहीं जो छोटी छोटी सोप फैक्टरीज़ हैं जो पावर यूज़ करती हैं, वह बहुत कम ऐसी फैक्टरीज़ हैं जो कि लांडरी सोप बनाती हैं । आमतौर पर पावर यूज़ करने वाली बड़ी फैक्टरीज़ तो हैं जो लांडरी सोप बनाती हैं । पर छोटी फैक्टरीज़ बहुत कम हैं जो सौ टन के करीब बनाती हैं । बड़ी फैक्टरियां बहुत ज्यादा चीजें बनाती हैं और टायलेट सोप में पच्चीस टन की जो रिआयत दी गयी है वह इतनी थोड़ी है कि छोटी फैक्टरियों को फायदा नहीं पहुंच सकता । आज हाउस के सामने पेटीशन कमेटी ने एक पेटीशन सर्कुलेट की, उसकी तरफ मैं हाउस की तवज्जह दिलाना चाहता हूं । उस पेटीशन में एक शख्स ने दरख्वास्त की है और वह रेफ्यूजी है और उसने रिहैबिलिटेशन फाइनेंस कार्पोरेशन से आठ हज़ार रुपये का कर्ज़ लिया है ।

सारे पंजाब भर में गुड़गांव म एक ही फैक्टरी है । उस फैक्टरी में ६ या ७ आदमी काम करते हैं और सब के सब रेफ्यूजी हैं, वहां दस आदमी काम नहीं करते । वहाँ पर सोप बनाने में किसी प्रोसेस में वह पावर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वहां सब काम हाथ से होता है

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

लेकिन एक मिलिंग प्रोसेस में इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं। उस कारखाने की आउटपुट इतनी थोड़ी है कि अगर आपने यह टैक्स लगा दिया तो यह फैक्टरी जो पंजाब भर में अकेली फैक्टरी है वह ख़त्म हो जायेगी और जिन्दा नहीं रह सकेगी। जनाब वाला, मुझे यह अर्ज़ करना है कि आपने जो यह एक्ज़म्पशन दिया है बड़ी बड़ी फैक्टरीज़ को जैसे लीवर ब्रदर्स को कि सवा सौ टन तक उनका जो प्रोडेक्शन होगा वह टैक्स से एक्सक्लूड हो जायेगा, हम नहीं चाहते कि उन बड़ी बड़ी फैक्टरीज को इस तरह का एक्ज़म्पशन दिया जाय और वे फायदा उठायें और उन बड़ी बड़ी फैक्टरीज़ के फायदा उठाने का मतलब यह होगा कि छोटी फैक्टरियां उन के साथ कम्पीट नहीं कर सकतीं। छोटी फैक्टरियों का गला नहीं काटा जाना चाहिये, इसके ज़रिये बडी फैक्टरियों को फायदा पहुंचाया गया जिनको फायदा पहुंचाना मकसूद नहीं है। मैं अदब से अर्ज करूंगा कि मैंने दो तरमीमें इसी वास्ते दी हैं। पहली तरमीम यह है कि जहां पावर यूज़ होती है और दस आदमियों से कम मजदूर वहां काम करते हैं आप उनको इस टैक्स से एक्सक्लूड कर दीजिये। मैं चाहता हूं कि जैसे आपने फुटवियर में कहा है वही लफ्ज़ इस के साथ लगा दीजिये। एक तो मेरी तरमीम यह है, इससे जो छोटे कारखाने हैं और पावर इस्तेमाल करते हैं वह बच जायेंगे और अर्ज करना चाहता हूं कि यह उसूल सिर्फ फुटवियर के वास्ते नहीं बल्कि ऐसे छोटे छोटे कारखानेदारों को जहां पर दस आदमी से ज्यादा काम नहीं करते और वह फैक्टरीज़ ऐक्ट में नहीं आते हैं, उनको भी यह एक्ज़म्पशन दिया जाय। छोटे कारखानेदारों को भी उसी बेसिस पर ये रिआयतें मिलनी चाहियें। मेरी पहली तरमीम यह है। मेरी दूसरी तरमीम का असर यह होगा कि जो बड़े बड़े कारखानेदार हैं उनको फायदा नहीं पहुंचेगा लेकिन छोटे कारखाने वाले जो सौ टन लांडरी सोप बनाते हैं या पचास टन टायलेट सोप बनाते हैं उनको फायदा पहुंच जायगा जिनको कि आप खुद फायदा पहुंचाना चाहते हैं। इसमें उसूलों का कोई सवाल नहीं है। मैं भी उन्हीं अशखास को फायदा पहुंचाना चाहता हूं जिनको आनरेबुल फाइनेंस मिनिस्टर पहुंचाना चाहते हैं, मेरे और उनके मकसद में कोई फर्क नहीं है। मेरा तो अर्ज़ करने का मंशा सिर्फ यह है कि उन्होंने जो यह नयी रिआयतें दी हैं उन से गरीबों को फायदा नहीं पहुंचता और उसी बिना पर एक अरज़ी भी हाउस में पेश हुई है और उसमें बताया गया है कि छोटे कारखाने वाले दोनों तरह से मारे जाते हैं। अगर उसने बिजली यूज़ की तो वे फैक्ट्री ऐक्ट में नहीं आते, हांलाकि कुल ६ आदमी काम करते हैं। १२५ टन की जो आपने रिआयत दी है उसमें वह नहीं आते। वह लांडरी सोप बनाते ही नहीं, पचास टन के करीब टायलेट सोप बनाते हैं। दोनों तरह से उसमें नहीं आते। जिस दिन आप यह मौजूदा शक्ल में क़ानून पास करेंगे उसी दिन उस बेचारे की फैक्टरी बन्द हो जायेगी और आपने जो रिआयत उसके साथ की है और कर्ज़ा दे रक्खा है वह उसको अदा करना भी मुश्किल हो जायगा। उसकी ज़िन्दगी दूभर हो जायेगी। मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि आप उन छोटे छोटे कारखानेदारों को फायदा तो पहुंचाना चाहते

ह लेकिन अगर आप इस कानून को मौजूदा शक्ल में रखते हैं और मेरी तरमीमें नहीं मानते हैं तो आप उनको फायदा नहीं पहुंचायेंगे और मैं कहूंगा कि आप मामले की तह तक नही पहुंचे हैं।

मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि आप इसके ऊपर गौर फरमायें और कम से कम यह ऐमेन्डमेन्ट तो मान लें कि जहां दस आदमियों से कम हैं, जैसे कि हम ने इन्कम टैक्स ऐक्ट के अन्दर इस तरह के प्रिंसिपुल को मान कर रिआयतें दी हैं, उसी बेसिस पर जैसे फुटविअर में रिआयतें दी गई हैं : "निर्माणशाला अधिनियम की परिभाषा के अनुसार किसी भी निर्माणशाला में बने जूते आदि" कम से कम यह अल्फाज ही रख दिये जायें तो भी कुछ आदमी तो बच जायेंगे । इसमें आप का कोई नुकसान नहीं है और इस को आपको मानना चाहिये । मैं अर्ज करूंगा कि यह दोनों ऐमेन्डमेन्ट आपके मानने के काबिल हैं । जो रिआयतें आप ने एक्साइज ड्यूटी में दी हैं, उन रिआयतों में मैंने सिर्फ थोड़ा वैरिएशन चाहा है । फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने १२५ टन लान्ड्री सोप और २५ टन ट्वायलेट सोप की छूट दी है । मैं अर्ज करना चाहता हूं कि फाइनेन्स मिनिस्टर साहब की खिदमत में कि वह लोग लान्ड्री सोप बनाते ही नहीं हैं । वह तो सिर्फ ट्वायलेट सोप बनाते हैं । इस लिये आप ने जो २५ टन की छूट ट्वायलेट सोप में दी है उससे वह लोग महरूम रह जाते हैं । इस वास्ते मेरा जो ऐमेन्डमेन्ट है वह छोटे आदमियों के हक में है जिन को कि आप फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं । जिन को आप फायदा पहुंचा रहे हैं वह तो बड़े बड़े कारखाने वाले हैं, हम उन को और फायदा नहीं पहुंचाना चाहते । क्योंकि आप इस बात को देखें कि इस टैक्सेशन की वजह से उन्होंने सोप का भाव नही बढ़ाया है । उन के सोप का भाव वही है, उन्होंने कन्जूमर्स से यह ड्यूटी नहीं वसूल की है क्योंकि वह लोग वैसे ही काफी मुनाफा उठा रहे हैं । लेकिन जो लोग गरीब हैं, छोटे आदमी हैं उन को ज्यादा फायदा नहीं होता है । बड़े कारखाने वाले ६, ७ रुपये मन का मैटीरियल पर फायदा ले लेते हैं । लेकिन गरीब के साथ क्या होता है ? जो गुड्स हैं उस पर अगर टैक्स लगेगा तो वाजिब तौर पर फायदा लेने के लिये वह पहले एक पैसा दाम बढायेगा, दो पैसा बढ़ायेगा । उस की चीज मंहगी हो जायेगी । मगर जो बड़े कारखाने हैं उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा । इस लिये मैं दर्ख्वास्त करूंगा कि इस बात पर गौर फरमाया जाय ।

श्री सिंहासन सिंह : मैं अपना ऐमेन्डमेन्ट इस उद्देश्य से उपस्थित करता हूं कि अभी जो नियम रखा गया है उस के मुताबिक कपड़े की परिभाषा में मिलों के वह कपड़े ड्यूटी से बरी हो जायेंगे जो कि मिल वाले अपनी मशीनरी के द्वारा पोशाक के रूप में या वस्त्र के रूप में तैयार करेंगे । वर्तमान नियम के अनुसार रेडीमेड क्लाथ में सिवा धोती, साड़ी के जितनी भी चीजें हैं वह एक सिरे से क्लाथ की परिभाषा से निकल जायेंगे । रेडीमेड क्लाथ में चादर भी आ जायेगी, तौलिया भी आ जायेगी । केवल धोती और साड़ी को छोड़ कर सभी चीजें आ जायेंगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : कौन सा ऐमेन्डमेन्ट है ?

श्री सिंहासन सिंह : ऐमेन्डमेन्ट नम्बर २ ।

श्री सी० डी० देशमुख : वह चाहते हैं कि बने कपड़े पर कर लगाया जाये जिससे कर में कुछ वृद्धि होगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आजकल धोतियों व साड़ियों के अतिरिक्त बने कपड़े पर कर लगता है ?

श्री सी० डी० देशमुख : नहीं । क्योंकि यह 'सूती कपड़ा नहीं है ।'

श्री सिंहासन सिंह : जहां तक परिभाषा का सम्बन्ध है, मेरा विचार है कि इस पर प्रथम बार ही छूट दी जा रही है । मैं कहीं भी यह नही देखता कि बने कपड़े पर कभी भी शुल्क से छूट दी गई थी । यहां सूती कपड़े की एक नई परिभाषा दी जा रही है ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में, मुझे कुछ संदेह है । मैं चाहता हू कि इसकी व्याख्या की जाये । मान लीजिये कि शुल्क अधिनियम या उत्पादन-शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत कुछ शुल्क लगाई जाती है और चालू वर्ष के वित्त विधेयक में कुछ छूट दी जाती है । तो क्या कोई माननीय सदस्य यह नहीं कह सकता है कि यह छूट न दी जाये ? क्या इसका अर्थ वह शुल्क लगाना होगा जो विद्यमान नहीं है ?

श्री सी० डी० देशमुख : जिस वस्तु पर छूट दी गई है उस पर कोई भी शुल्क विद्यमान नहीं है । सूती कपड़े पर शुल्क है ।

श्री सिंहासन सिंह : यहां हम पहली बार देखते हैं कि सूती कपड़े की परिभाषा दी गई है । इस परिभाषा के द्वारा बने कपड़े पर छूट दी जाती है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह कहने से कि निम्न वस्तुओं पर शुल्क नहीं लगेगी परिभाषा के बिना भी उसी उद्देश्य की प्राप्ति होगी । अतः परिभाषा के होने से कोई अन्तर नहीं पड़ता है । धोतियों व साड़ियों के अतिरिक्त बने कपड़ों पर इस विधेयक के बिना भी छूट दी गई है ।

श्री सिंहासन सिंह : यदि उन पर पहिले से ही छूट दी गई है तो यहां हथकरघे के बने कपड़े पर छट देने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

मैं जानना चाहता हूं कि हथकरघे के कपड़े पर अधिनियम के अन्तर्गत छट दी गई है । हम देखते हैं कि सूत तथा ऊन के मिले जुले और सूत तथा कृत्रिम रेशम (रेओन) के मिले जुले बने कपड़े पर छूट दी जाती है । इस परिभाषा के द्वारा बहुत सी छूटें दी जाती हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक इस बात का सम्बन्ध है, मेरा ख्याल है कि मुझे यह कहना पड़ेगा इस कारण यह संशोधन नियमानुकूल नहीं है । वित्त विधेयक इस विशेष प्रकार के कपड़े पर कर नहीं लगाना चाहता है परन्तु माननीय सदस्य चाहते हैं कि इस प्रकार के कपड़े पर कर लगाया जाये ।

श्री सिंहासन सिंह : यदि सिले हुए कपड़े कर मुक्त कर दिये जायेंगे, तो इस का परिणाम होगा कि मिल सिले हुए कपड़े तय्यार करने लगेंगे तथा कर मुक्त होंगे । इस प्रकार दर्जियों तथा मध्यवर्ती लोगों का काम भी छिन जायेगा ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैंने कहा था कि इस पर अभी कोई कर नहीं लगाया

जाता है। यह प्रभाव केन्द्रीय उत्पादन कर तथा नमक कर अधिनियम की प्रथम अनुसूची में दिये हुए कपड़े की परिभाषा का है। उस परिभाषा का पद (१) है, 'धोती तथा साड़ी के अतिरिक्त सिले हुए कपड़े'। वही परिभाषा अब भी चल रही है। यदि आप उस कर मुक्ति को नहीं रखना चाहते हैं तो इसका तो आप उस वस्तु विशेष पर करारोपण कर रहे हैं, और यह अनियमित है। यदि आप इसे नियमित ठहराते हों तो गुणावगुण के आधार पर इसका विरोध करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : कर लगाने का कोई भी प्रस्ताव हो उसके लिये सदा ही राष्ट्रपति के संशोधन की आवश्यकता होती है। यह संशोधन सूती कपड़े पर कर लगाना चाहता है। सदन को यह अधिकार है कि, यदि विधेयक द्वारा कर लगाने का कोई प्रस्ताव किया गया हो, तो माननीय सदस्य, राष्ट्रपति के पूर्व संमोदन के बिना ही उसके घटाये जाने का अथवा उस वस्तु विशेष के पूर्ण रूप से कर मुक्त किये जाने का प्रस्ताव रख सकते हैं। परन्तु जब विधेयक में किसी वस्तु की विशेष किस्म को कर मुक्त किया गया हो तो करारोपण की सूची में सम्मिलित करने अथवा कर मुक्ति की सूची से हटाने का परिणाम होगा उस वस्तु विशेष पर कर आरोपित करना। इसलिये राष्ट्रपति का पूर्व संमोदन होना आवश्यक है।

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम का नियम ११८ भी इसी प्रकार का है इसलिये मैं इस संशोधन को तथा इसी प्रकार के संशोधन संख्या ९, १४ तथा २१ को नियमित घोषित करता हूं।

श्री रामजी वर्मा (जिला देवरिया —पूर्व) : अध्यक्ष जी, मैं आपके जरिये फाइनेन्स मिनिस्टर साहब का ध्यान सबसे पहले साबुन की तरफ दिलाना चाहता हूं। उन्होंने साबुन पर नये सिरे से टैक्स लगाया है। मेरा निवेदन यह है कि वह टाइलेट सोप पर भले ही टैक्स लगावें लेकिन हाउसोल्ड और धोबी के साबुन पर वह टैक्स न लगावें तो अच्छा हो। इसे गरीब और किसान लोग भी इस्तेमाल करते हैं और इसलिए अगर आप इस साबुन पर टैक्स लगावेंगे तो आप देश में गदगी बढ़ावेंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि साबुन को तो, और खास तौर से हाउसोल्ड और धोबी के साबुन को, जरूर टैक्स से वंचित करें।

दूसरा पाइंट मेरा यह है कि आप चमड़े के माल पर, जूता, बूट, सेंडल और चप्पल पर टैक्स लगाने जा रहे हैं। बूट और दूसरे किस्म के जूतों पर आप भले ही टैक्स लगाइये लेकिन साधारण लोगों के इस्तेमाल के सेंडल और चप्पल पर आप टैक्स न लगावें और उनको टैक्स से बरी रक्खें। अगर इन पर टैक्स नहीं लगेगा तो यह साधारण लोगों को मिल सकेंगे।

तीसरी बात मुझे अब २२ नम्बर के अमेंडमेंट के सम्बन्ध में यह कहनी है कि आप हर तरह के कपड़े पर यानी फाइन, सुपर फाइन, मीडियम और कोर्स पर टैक्स लगा रहे हैं। मैं भी चाहता था कि अपने भाई चौधरी साहब की तरह अर्ज करता कि आप मीडियम और कोर्स क्लाथ पर बिल्कुल टैक्स न लगावें लेकिन मैं जानता हूं कि जब आपकी तबीयत में यह बात आ गई है कि टैक्स लगायेंगे

[श्री रामजी वर्मा]

आपकी यह सरकार ही टैक्स वाली सरकार हो रही है तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अगर आप पूरा टैक्स न उड़ा सकें तो कुछ तो कम कीजिए। देहात में एक कहावत है "भागे भूत की लंगोटी ही नफा"। इसलिए में मजबूरी हालत में यह कहता हूं कि आप ६ पाई की जगह पर कोर्स कपड़े पर सिर्फ ३ पाई रक्खें। कम से कम आधा तो कर दें। मैं अपने दूसरे भाई के विरोध में कुछ नहीं कहना चाहता था। लेकिन यह निश्चित है कि आप टैक्स लगाने जा रहे हैं और मानेंगे नहीं इसलिए शायद अगर मैं कुछ कम कर के कहूं तो आप मान लें। इसी लिए मैं ने यह विवेदन किया। बस मुझे इतना ही कहना है।

श्री झूलन सिन्हा (सारन-उत्तर): मेरा आशय है कि केवल उन जूतों पर कर लगाया जाय जो बिजली से चलने वाले कारखानों में तैयार किये जाते हैं, उसमें काम करने वालों की संख्या चाहे जो हो।

इसका पहला कारण यह है कि स्वयं वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया है कि कुटीर उद्योग उत्पादन को पूर्ण रूप से कर-मुक्त कर देंगे।

दूसरी बात यह है कि नई रियायत देने के पश्चात अब इस कर के द्वारा प्राप्त होने वाली आय सम्भवतः लगभग ५० लाख रुपये होगी।

तीसरी बात यह है कि इस विधेयक का सब से अधिक प्रभाव जूता बनाने वालों पर पड़ेगा जो हरिजन हैं।

एक और बात है। चमड़ा उद्योग में लगभग ६ लाख व्यक्ति काम करते हैं जिनमें अधिकांश असंगठित हैं तथा जिन को सहकारी समितियों में संगठित करने का एक आंदोलन चल रहा है। यदि इस वर्ग को यह छूट न दी गई तो ४९ काम करने वालों से कम के समूह ही सहकारी समितियों में सम्मिलित हो सकेंगे।

श्री बंसल (झज्जर-रिवाड़ी): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन २३वां है और उसका अर्थ यह होगा कि नकली रेशम के कपड़े पर जो कर लगाने की बात है वह न लगाया जाय बल्कि उस के बदले में जो हम नकली रेशम का सूत बाहर से मंगाते हैं उसमें आयात कर जो करीब ३६ फी सदी आजकल पड़ता है उसको हटा कर ४५ - फी सदी कर दिया जाय और अगर ऐसा कर दिया जाता है तो मेरे विचार में वह सरकार को करीब २ एक करोड़ रुपये के दे देगा और इससे जो यह रेशम के छोटे छोटे कारखानेदारों को तकलीफ होगी उससे वे बच जायेंगे। कल मन्त्री महोदय ने मेरे इस सुझाव के जवाब में दो, एक बातें कहीं। मैं आज उनका मुख्तसिर तौर पर जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने यह फरमाया कि जो कच्चा माल बाहर से आता है उस पर हमें कर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर उस पर कर लगाया गया तो हमारे यहां के कारखानेदारों को और जो हमारे उद्योग यहां पर हैं, उनकी तरक्की नहीं हो पाएगी। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि हम कई एक ऐसे कच्चे माल इस देश में पैदा कर रहे हैं और यह नकली रेशम का सूत उनमें से एक है जिसकी उत्पत्ति आजकल हम यहां पर करीब २ पचास फ़ी सदी तक कर रहे

हैं और उम्मीद है कि करीब एक दो वर्षों में ही और यह वित्त मंत्री महोदय ने भी बतलाया था कि एक आध वर्ष में हम अपना उत्पादन ७५ फी सदी कर लेंगे और इसलिए यह जो आयात कर नकली रेशम के सूत पर है अगर इसको हम बढ़ा दें तो हमारे इस उद्योग को थोड़ा सा प्रोत्साहन भी मिलेगा और जो छोटे २ कारखानेदार हैं उनकी दिक्कत बच जायेगी ।

दूसरे मैं अर्ज करूं कि आजकल जो यह राख सोडा है, अब सोडा ऐश को हिन्दी में और कैसे व्यक्त करूंगा कि यह बडा भारी कच्चा माल है, मगर हम उस पर काफी ऊंचा आयात कर लगाते हैं, इसलिए ऐसी बात नहीं है कि हर कच्चा माल बगैर किसी कर के हमारे देश में आना चाहिए, यह कोई जरूरी बात नहीं है । यह तो सिद्धांत उस जमाने में बना था जब हम देश से कच्चा माल बाहर भेजा करते थे तो उस जमाने में हमें बतलाया गया कि कच्चे माल के आयात और न उसके निर्यात पर कोई कर लगाना चाहिए हम इसमें कोई सैद्धांतिक रुकावट नहीं समझते कि कच्चे सूत के धागे पर आयात कर लगा दिया जाय । दूसरे, मंत्री महोदय ने बतलाया कि उन्होंने जो यह छूट दी है कि जिनके पास पच्चीस करघे से कम करघे होंगे उन पर यह कर नहीं लगेगा मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि पहले तो शायद दस को छूट थी अब वह पच्चीस की छूट दे रहे हैं, तो इसका नतीजा यह होगा कि जिन लोगों के पास तीस या चालीस करघे होंगे वह दो हिस्सों में बांट लेंगे । मैं ,आपको बतलाऊं कि जब पहले दस करघे वालों को यह छूट थी तो बहुत सी जगह पर लोगों ने एक मकान से हटा कर दूसरे मकान में करघे रख लिए थे, इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हमें कोई ऐसा कानून नहीं बनाना चाहिए जिससे लोगों में बेईमानी करने की भावना फैले और अपने को कर से बचाने के वह इस तरह के छोटे मोटे उपाय करें । मैं इसलिए चाहता हूं कि एक सीधा सादा कर लगाया जाय जो सभी के ऊपर लागू हो । यह बात जरूर है कि छोटे कारखाने वालों को शायद इससे कुछ नुकसान हो, मगर इसके लिए मेरा यह विचार है कि बड़े २ कारखाने रेशम का वह माल बनाते हैं जो कि आम लोग बरतते हैं, मगर छोटे २ जो हाथ के करघे हो हैं वही उसी माल को बनाते हैं जैसे साड़ियां वगैरह और बनारस में हम देखते हैं कि बहुत अच्छे किस्म का माल बनता है और उस माल को गरीब लोग ज्यादातर नहीं बर्तते, वह ज्यादातर अमीर लोगों के बरतने में इस्तेमाल होता है, इसलिए मैं समझता हूं कि छोटे कारखाने वालों को मेरे इस सुझाव को मानने में कोई तकलीफ नहीं होगी और इसलिए मेरी इस सदन से प्रार्थना है कि मेरा जो २३वां संशोधन है वह स्वीकार कर ले । इसी के साथ साथ मैं अपने एक दूसरे संशोधन की तरफ ध्यान दिलाते हुए कहना चाहता हूं कि पांचवे सफे पर एक से सातवीं जो लाइन है, उसको हटा देना चाहिए । मुझे पार्लियामेंट के दफ्तर की तरफ से बतलाया गया कि वह मेरा संशोधन चूंकि एक सारी धारा के खिलाफ हो जाता है इसलिए वह नहीं माना जायगा, मगर मैं समझता हूं कि यदि आप मेरा यह २३वां संशोधन मान लेंगे तो ९वीं धारा जो है वैसे नहीं रह सकती

[श्री बंसल]

९वीं धारा ८वीं धारा से पैदा होती है । इसलिए मेरी अर्ज है कि यह जो ९वीं धारा है वह निकाल ी जाय और २३वां और २७वां जो मेरे संशोधन हैं उनको सदन स्वीकार कर ले ।

श्री एस० जी० पारिख : मैं देखता हूं कि परिभाषा के अनुसार मोटा कपड़ा वह समझा जायेगा जो २६ एस से कम हो ।

श्री सी० डी० देशमुख : यह १७ एस है । २६ एस प्रकाशन की भूल है ।

श्री एस० जी० पारिख : धन्यवाद । रेयान के सम्बंध में कह चुका हूं कि कर ग़लत जगह पर लगाया गया है । इस के विपरीत भारत के कुछ कारखाने तो ऐसे हैं जिनके लाभ इतने अधिक हैं कि हैरानी में डालने वाले हैं । उत्पादन कर इन सूत बनाने वालों से लेना चाहिये ।

इसके पश्चात् उपाध्यक्ष महोदय ने वित्त मंत्री के संशोधनों के अतिरिक्त अभी तक रखे गये सभी संशोधन एक बार फिर सदन के सामने रखे ।

उपाध्यक्ष महोदय : वित्त मंत्री ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ४ में पंक्ति १० से लेकर १९ के स्थान पर रखा जाये,—

" 'Rayon or Artificial Silk Fabrics' include all varieties of fabrics manufactured either wholly or partly from the product commercially known as rayon or artificial silk, but do not include any fabric—

(i) containing staple fibre ;

(ii) containing less than 60 rayon or artificial silk by weight, if mixed with cotton;

(iii) containing less than 40 per cent of rayon or artificial silk by weight, mixed with any yarn other than cotton;

(iv) Produced or manufactured on a handloom;

(v) produced or manufactured in one or more factories by or on behalf of the same person in which less that twenty-five power looms in all are installed." —

"six pies per square yard"

[" रैयान अथवा नक़ली रेशम के कपड़े' इस में सम्मिलित होंगे वे सब प्रकार के कपड़े जो पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से रेयान अथवा नक़ली रेशम बनाये गये हों, परन्तु ऐसा कोई कपड़ा सम्मिलित न होगा—

(१) जिसमें स्टेपुल रेशा हो ;

(२) जिसमें रुई के साथ मिले होने पर तोल में ६० प्रतिशत से कम रेयान अथवा नक़ली रेशम हो ;

(३) जिसमें रुई के अतिरिक्त किसी और प्रकार के सूत के साथ मिले होने पर तोल में ४० प्रतिशत

से कम रेयान अथवा नक़ली रेशम हो;

(४) जो हाथ करघे पर तैयार किया गया हो;

(५) जो एक ही व्यक्ति की ओर से एक या अनेक कारखानों में तैयार किया गया हो जिस में सब मिला कर बिजली से चलने वाले २५ से कम करघे हों । "—

"छः पाई प्रति वर्ग गज़ ।"]

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ४ में पंक्ति २८ के स्थान पर रखा जाये–

"(1) Soap, household and laundry, in excess of the first one hundred and twenty-five tons removed for home consumption on or after the first day of April in each financial year."

["(१) प्रत्येक वित्तीय वर्ष में पहली अप्रैल को या उस के पश्चात् घरू खपत के लिये निकाले गये प्रथम १२५ टन के अतिरिक्त घरेलू तथा धोबियों का साबुन–"

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ४, पंक्ति ३६ में,

"(२) नहाने का साबुन" शब्दों के स्थान पर रखा जाये :

"(2) Soap, toilet, in excess of the first twenty-five tons removed for home consumption on or after the first day of April in each financial year."

["(२) प्रत्येक वित्तीय वर्ष में पहली अप्रैल को या उस के पश्चात् घरू खपत के लिये निकाले गये २५ टन के अतिरिक्त नहाने का साबुन ।"]

श्री सी० डी० देशमुख: मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ४ में पंक्ति ४० तथा ४१ के स्थान पर यह रखा जाये––

"17. FOOTWEAR, produced in any factory, including the precincts thereof whereon fifty or more workers are working on any day of the preceding twelve months, and in any part of which a manufacturing process is being carried on with the aid of power or is ordinarily so carried on, the total equivalent of such power exceeding two horse power."

["१७. जूता, किसी कारखाने या उस के अहाते में तैयार किया हुआ जहां पचास या पचास से अधिक मज़दूर काम कर रहे हों या गत बारह मास में, किसी दिन काम करते रहे हों या जिसके किसी भाग में उत्पादन क्रिया बिजली की सहायता से चलाई जा रही हो या साधारणतः चलाई जाती हो तथा इस प्रकार काम में लाई जाने वाली बिजली की कुल शक्ति दो हार्स पावर से अधिक हो।"]

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ४ में, पंक्ति २४ तथा २५ के स्थान पर रखा जाये—

"16. SOAP, manufactured with the aid

[श्री सी० डी० देशमुख]

of power in any form including steam, whether in a factory ordinarily using such power or in any other factory where any process incidental or ancillary to the manufacture of soap in that factory is being carried on elsewhere with the aid of such power."

["१६. साबुन, जो भाप सहित किसी प्रकार की शक्ति की सहायतासे किसी ऐसे कारखाने में बनाया गया हो जिसमें इस प्रकार की शक्ति का सा।रणतय: प्रयोग किया जाता हो या किसी अन्य कारखाने में जहां के साबुन के निर्माण का कोई सहायक कार्य ऐसी शक्ति की सहायता से कहीं और किया जाता हो"]

पंडित ठाकुर दास भार्गव : विधेयक में शब्द "शक्ति" का प्रयोग किया गया है । अब वित्त मंत्री उस में शब्द "भाप" जोड़ कर उसका विस्तार करना चाहते हैं।

श्री सी० डी० देशमुख : यह तो केवल स्पष्टीकरण है। 'भाप' भी वैसी ही शक्ति है जैसी कोई और हो सकती है।

श्री सिंहासन सिंह : 'कारखाना' से उन का क्या अभिप्राय है ? कारखाना अधिनियम में कारखाने की जो परिभाषा दी गई है क्या उसी परिभाषा से उन का अभिप्राय है ? किन्तु माननीय मंत्री ने 'जूता उद्योग' के सम्बन्ध में जो संशोधन प्रस्तुत किया है उस म 'कारखाना' का अर्थ दूसरा है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब वे उत्तर देंगे ।

श्री सी० डी० देशमुख : 'कारखाना' शब्द की परिभाषा दो रूप से की गई है। एक तो वह है जो कारखाना अधिनियम में दी गई है; अर्थात् "कारखाना वह स्थान है जहां दस या दस से अधिक कर्मचारी काम करते हों अथवा पिछले १२ महीनों में किसी दिन काम किया हो।" कारखाना अधिनियम की धारा २ (ड) में यह परिभाषा दी हुई है । केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम में 'कारखाना' शब्द की एक दूसरी परिभाषा दी हुई है । जिस के अनुसार यदि कोई संस्था उत्पादन शुल्क लगने योग्य कोई भी चीज़ बनाती हो तो वह कारखाना होगी । 'कारखाना' शब्द की यह दूसरी परिभाषा है । जैसा कि मैंने एक संशोधन में 'कारखाना' शब्द की परिभाषा करते हुए कहा है कि "५० व्यक्ति से अधिक जहां काम करते हों", इस से हमारा अभिप्राय यही है कि कारखाना अधिनियम में जो परिभाषा दी हुई है उस का प्रयोग न किया जाय । चूंकि यहां हम उत्पादन शुल्क अधिनियम की चर्चा कर रह हैं। अतः कारखाना से हमारा वही अभिप्राय है जो कि उत्पादन शुल्क अधिनियम में निहित है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मान लीजिए किसी जूता उद्योग में केवल छः व्यक्ति काम करते हैं किन्तु वहां विद्युत शक्ति से काम होता है तो क्या इस नये संशोधन के अनुसार (५० या अधिक व्यक्ति काम करते हों) वह कारखाना अधिनियम के अधीन आयेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : उत्पादन शुल्क अधिनियम में तो काम करने वाले कम व्यक्तियों के स्थान को भी कारखाना कहा है । ऐसे कारखानों पर भी इसे लागू करने का इरादा सरकार का है ।

श्री सी० डी० देशमुख : ऐसी कठिनाई पहले कभी नहीं हुई । जब हम उत्पादन शुल्क की चर्चा कर रहे हैं तो जब तक 'कारखाना' शब्द की परिभाषा कोई व्यक्ति दूसरी तरह से नहीं करता तब तक 'कारखाना' से वही अभिप्राय है जो कि उत्पादन शुल्क अधिनियम में दिया गया है ।

अब मैं साधारण बातें लेता हूं जैसे बीच के तथा मोटे कपड़े पर उत्पादन शुल्क लेना चाहिए अथवा नहीं क्योंकि निर्धन उस का प्रयोग करते हैं । इस के बारे में कुछ कहना तो विधेयक के विचारार्थ चर्चा के समय जो कुछ कहा गया था, वस्तुतः उस की पुनरावृत्ति करना है । कपड़े पर लिए जाने वाला शुल्क तो एक प्रकार से एक ऐसा शुल्क है जो प्रायः प्रत्येक नागरिक से लिया जाता है । यह तो एक प्रकार से सभी व्यक्तियों पर उसी प्रकार से लागू होता है जिस प्रकार कि नमक कर जो कि किन्हीं विशेष कारणों से हम लागू नहीं कर रहे हैं । अतः एक प्रकार से एक व्यक्ति यह कह सकता है कि आय के प्रयोजनार्थ इस शुल्क के कुछ भाग का उद्देश्य आयातित कपास पर जो आयात शुल्क हटा दिया गया था उसे फिर से चालू करने के तथ्य को छोड़ कर इस का मन्तव्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति यह शुल्क दे । अतः यह तर्क करना कि निर्धनों को इस से मुक्त कर देना चाहिए बिल्कुल भी कोई तर्क नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या हाथ करघा द्वारा बने कपड़े पर भी शुल्क लगाने का विचार है ?

श्री सी० डी० देशमुख : उस पर तीन पाई अरुष से है । शुल्क के अधिकांशतः भाग का उद्देश्य ऐसा नहीं है और यह पहले भी थी । अब इस पर तीन पाई का विशेष शुल्क लगा है । मैं यह बता देना चाहता हूं कि इस कर को सम्मिलित कर के वर्ष १९५३-५४ की अनुमानित आय १६ ६ करोड़ रुपया है । माननीय सदस्य यह कहते हैं कि "इस धन को छोड़िए क्योंकि यह धन निर्धनों को देना होगा ।"

उपाध्यक्ष महोदय : केवल इस प्रकार के दोनों कपड़ों से । मध्य प्रकार तथा मोटे कपड़े के बारे में ही माननीय सदस्यों ने अपने संशोधन भेजे हैं ।

श्री सी० डी० देशमुख : मध्य प्रकार का एवं मोटा कपड़ा ही अधिक मात्रा में पैदा होता है । बहुत सा बारीक कपड़ा तो निर्यात किया जाता है जिस पर शुल्क की वापिसी की जाती है । अतः मुझे खेद है कि सर्व-माननीय इस सुझाव को मैं नहीं मान सकता कि शुल्क नहीं लगना चाहिए अथवा शुल्क को काफी मात्रा में कम कर देना चाहिए । जैसा कि २३ मार्च को मैं ने बताया था कि मोटा कपड़ा निर्धनों द्वारा प्रयुक्त नहीं होता । उस समय मैं ने परदों का कपड़ा, बिछाने की चादर, सजावट आदि का कपड़ा, ड्रिल, तोलिए, कनवास आदि आदि का उल्लेख किया था । जब बीच के कपड़े की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय धोतियों एवं साड़ियों से होता है । हमारे देश में कुल ४०,००० लाख गज़ कपड़ा तैयार होता है जिस का $^{3}/_{4}$ भाग बीच का कपड़ा होता है । यदि मुझ से कहा जाता है कि बीच के कपड़े पर से शुल्क हटा दूं तो शुल्क का बहुत कुछ अंश छोड़ना पड़ेगा । यही कारण है कि इस सम्बन्ध में जो भी संशोधन रखे हैं उन्हें स्वीकार करने के लिए मैं तैयार नहीं हूं ।

[श्री सी० डी० देशमुख]

जहां तक बने बनाये कपड़ों की बात है उस की स्थिति के बारे में जांच करने को हम तैयार हैं । इस के अतिरिक्त इस समय हम कुछ और नहीं कर सकते । जब तक राष्ट्रपति की ही सिफारिश नहीं होती तब तक न तो मैं ही और न माननीय सदस्य ही इस सम्बन्ध में कुछ कर सकते हैं ।

यदि बने बनाये कपड़ों को शुल्क से मुक्त कर दिया जाता है तो बहुत सी मिलें बने बनाये कपड़ों का ही व्यापार करने लगेंगी और इस प्रकार ऐसा कपड़ा बनाने वाले एवं दर्जी बेकार हो जायेंगे । मैं केवल इसलिए इस का उल्लेख कर रहा हूं कि यह नई समस्या खड़ी हुई है । माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है उसे दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक है कि उस पर विचार किया जाय । हम क्या कर सकेंगे यह दूसरी बात है ।

उपाध्यक्ष महोदय : शुल्क घटाने के बारे में क्या विचार है ?

श्री सी० डी० देशमुख : मुझे खेद है कि शुल्क घटाने के सम्बन्ध में मैं कोई भी संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता ।

विधेयक के पृष्ठ ४ पर छपाई के कारण एक छोटी सी भूल रह गई है । बीच के कपड़े की परिभाषा में २७ एस के बजाय १७ एस होना चाहिए था और मोटे कपड़े में २६ एस के स्थान पर १६ एस होना चाहिए था ।

रेयन अथवा कच्चे सिल्क की परिभाषा के सम्बन्ध में जो संशोधन मन प्रस्तुत किया है उस की मद (i) में 'any' [किसी] शब्द के स्थान पर containing wholly [सभी को] आदिष्ट करना चाहता हूं । कच्चे सिल्क पर आयात शुल्क लगाने का मैं विरोधी था, उसके दो कारण थे जिनका उल्लेख मैं यहां करता हूं । यह कहना कि चूंकि कपड़ा धोने का सोडा को कच्चा माल मान लिया गया है अतः रेशम के धागे को भी कच्चा माल मान लेना चाहिए भ्रांति में डालने वाला है । फिर भी मेरे दो तर्क हैं । जहां तक मेरी जानकारी का सम्बन्ध है मैं कह सकता हूं कि यदि कच्चे सिल्क पर हम आयात शुल्क लगाते अथवा उस में वृद्धि करते तो उन छोटे छोटे उद्योगों को जिन्हें कि हम ने मुक्त कर दिया है अधिक शुल्क देना पड़ता । उन के लिए एक और नई समस्या खड़ी हो जाती । दूसरी बात आय की दृष्टि से है । मुझे ज्ञान है कि नागदा में एक कारखाना खुलने की सम्भावना है । उन के उत्पादन का कार्यक्रम यह है कि एक या दो वर्षों में वे इतना उत्पादन करने लगेंगे जितने की आवश्यकता देश को है, संभव है कि उस से भी अधिक ही करने लगें । अतः आयात शुल्क लगाने से कोई लाभ नहीं होगा । न कोई आयात होगा और न कोई आय । और यही कारण था कि श्री बंसल के संशोधन को मैं ने स्वीकार नहीं किया था ।

जूता उद्योग में कुछ बड़े बड़े उद्योग ऐसे हैं जो विद्युत की बिना सहायता के बड़े अच्छे अच्छे जूते बनाते हैं । उन्हें कुटीर उद्योग नहीं कहा जा सकता, इस लिए जूता उद्योग तथा साबुन उद्योग में हम ने अन्तर किया है । ये दोनों उद्योग अलग अलग हैं । जूता बनाने वाले उद्योग

की कठिनाइयों को दूर करने के लिए मैं ने बहुत बहुत प्रयत्न किया है ।

हालांकि कारखाने एवं संस्थान को तो उसी प्रकार घटाया बढ़ाया जा सकता है जितना की कोई चाहे । किन्तु फिर भी जूता उद्योग के बारे में केवल एक को छोड़कर कोई शिकायत नहीं आई; ऐसे छोटे कारखानों एवं छोटे छोटे कुटीर उद्योगों को जिनमें, हमारे द्वारा निश्चित की गई कर्मचारियों की संख्या की अपेक्षा कम व्यक्ति काम करते हैं, और चाहे उनके यहां २ एच० पा० से कम का प्रयोग भले ही होता हो, छूट देकर उस शिकायत को भी दूर कर रहा हूं। इतना करके मैं समझता हूं कि इस उद्योग की कठिनाइयों को दूर करने के लिए जो कुछ भी मैं कर सकता हूं वह मैं ने कर दिया है, और यही कारण है कि जो योजना मैं ने बनाई है उसके विपरीत किसी भी संशोधन को स्वीकार करने के लिए मैं तैयार नहीं हूं ।

साबुन के मामले में थोड़ी कठिनाई है । जहां तक कारखानों की बात थी उस के मामले में तो हम ने छूट दे दी है । जैसा कि पं० ठाकुर दास भार्गव ने एक सुझाव में बताया है कि इन कारखानों में कपड़ा धोने के साबुन का उत्पादन १२५ टन से अधिक नहीं होता किन्तु उन कारखानों में नहाने के साबुन का उत्पादन तो २५ टन से अधिक हो जाता है । इस थोड़े से समय में यह तो मैं नहीं बता सकता कि इस योजना के बदलने का आर्थिक पहलू क्या होगा किन्तु इतना आवश्य जानता हूं कि मेरी अपेक्षा माननीय सदस्य इस समस्या के बारे में अधिक जानते हैं । इन नई बातों को प्रयोग में लाने में एक कठिनाई यह है कि वस्तुतः कर लगाने का विचार करने अथवा कर लगाने से पूर्व खुली जांच की जा सकती है और चूंकि उद्योगों पर इसका क्या प्रभाव होगा इस बात को न जानते हुए ऐसा हुआ, और यही कारण है कि मुझे ये परिवर्तन करने पड़े । यदि यह उत्पादन शुल्क पुराना है तो किसी के पास इसके आंकड़े अवश्य होंगे । अतः यह विश्वास करके माननीय सदस्य मेरी अपेक्षा अधिक जानकारी रखते हैं मैं उनके इस संशोधन को मान लेता हूं कि कपड़ा धोने के साबुन के लिए १०० टन तथा नहाने के साबुन के लिए ५० टन मात्रा की जाय । जैसा कि मैं ने पूर्व में कहा था कि इसका वित्तीय पहलू क्या होगा, इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता, चाहे जो कुछ हो हमें इस को देखना होगा, और यदि यह हो गया तो मैं समझता हूं कि इस बात की फिर आवश्यकता नहीं है कि 'कारखाना' की परिभाषा में परिवर्तन किया जाय ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : फिर भी 'कारखाना' की परिभाषा आपको बदल देनी चाहिए क्योंकि ये कारखाने ऐसे व्यक्तियों द्वारा चलाये जाते हैं जो बड़ी कठिनाई से ही अपनी जीविका जुटा पाते हैं ।

श्री सी० डी० देशमुख : १०० टन कपड़ा धोना साबुन तथा ५० टन नहाने का साबुन बनाने वाले कारखानों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । अतः ऐसे कारखानों को जहां ५०० टन साबुन बनता हो इस शुल्क से मुक्त करने का कोई कारण नहीं है चाहे भले ही वहां ३ या ४ व्यक्ति काम करते हों । इन कारखानों में उत्पादन की जाने वाली मात्रा के सम्बन्ध में जो सीमा निश्चित कर दी है उसी से माननीय सदस्य को संतोष कर लेना चाहिए ।

[श्री सी० डी० देशमुख]

अत: मैं समझता हूं कि इस प्रकार माननीय सदस्यों के सभी संशोधनों के बारे में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से मैं ने प्रकाश डाल दिया है, और एक संशोधन को छोड़कर जिसे मैंने स्वीकार कर लिया है शेष संशोधनों को अस्वीकार करते हुए मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खंड ८ की चर्चा कर रहे हैं।

प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ ४ में पंक्ति १० से १९ तक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :—

" 'Rayon or Artificial Silk Fabrics' include all varieties of fabrics manufactured either wholly or partly from the product commercially known as rayon or artificial silk, but do not include any fabric—

(i) containing wholly staple fibre ;

(ii) containing less than sixty per cent of rayon or artificial silk by weight, if mixed with cotton ;

(iii) containing less than forty per cent of rayon or artificial silk by weight, if mixed with any yarn other than cotton ;

(iv) produced or manufactured on a handloom ;

(v) produced or manufactured in one or more factories by or on behalf of the same person in which less than twenty-five powerlooms in all are installed."—

"Six pies per square yard."

["रैयान अथवा नकली रेशम के कपड़े" इस में सम्मिलित होंगे वे सब प्रकार के कपड़े जो पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से रैयान अथवा नकली रेशम से बनाये गये हों, परन्तु ऐसा कोई कपड़ा सम्मिलित न होगा ।

(१) जिस में स्टेपुल रेशा हो ;

(२) जिसमें रुई के साथ मिलें होने पर तौल में ६० प्रतिशत से कम रेयान अथवा नकली रेशम हो ;

(३) जिसमें रुई के अतिरिक्त किसी और प्रकार के

सूत के साथ मिले होने पर तौल में ४० प्रतिशत से कम रेयान अथवा नकली रेशम हो ;

(४) जो हाथ करघे पर तैयार किया गया हो

(५) जो एक ही व्यक्ति की ओर से एक या अनेक कारखानों में तैयार किया गया हो जिस में सब मिलकर बिजली से चलने वाले २५ से कम करघे हों।"—

"छः पाई प्रति वर्ग गज ।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

१२ बजे मध्यान्ह

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि:—

पृष्ठ ४ में पंक्ति २८ के लिये निम्नलिखित रखा जाये :—

"(1) Soap, household and laundry, in excess of the first one hundred and twenty five tons removed for home consumption on or after the first day of April in each financial year."

["(१) प्रत्येक वित्तीय वर्ष में पहली अप्रैल को या उस के पश्चात घरू खपत के लिये निकाले गये प्रथम १२५ टन के अतिरिक्त घरेलू तथा धोबियों का साबुन।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ ४ की पंक्ति ३६ में "(२) Soap toilet" ["(२) नहाने का साबुन"] के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :—

"(2) Soap, toilet, in excess of the first twenty five tons removed for home consumption on or after the first day of April in each financial year."

["(२) प्रत्येक वितीय वर्ष में पहली अप्रैल को या उस के पश्चात घरू खपत के लिये निकाले गये २५ टन के अतिरिक्त नहाने का साबुन ।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ ४ में पंक्ति ४० और ४१ के स्थान पर निम्नलिखित र ा जाये :—

"17. Footwear, produced in any factory, including the precincts thereof whereon fifty or more workers are working, or were working on any day of the preceding twelve months and in any part of which a manufacturing process is being carried on with the aid of power or is

[उपाध्यक्ष महोदय]

ordinarily so carried on, the total equivalent of such power exeeeding two horsepower."

["१७. जूता, किसी कारखाने या उसके अहाते में तैयार किया हुआ जहां पचास या पचास से अधिक मजूदर काम कर रहे हों या, गत बारह मास में, किसी दिन काम करते रहे हों या जिस के किसी भाग में उत्पादन क्रिया बिजली की सहायता से चलाई जा रही हो या साधारणत: चलाई जाती हो तथा इस प्रकार काम में लाई जाने वाली बिजली की कुल शक्ति दो हार्स पावर से अधिक हो।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं मान ीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन को लेता हूं प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ ४ में पंक्ति २४ और २५ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये—

"16. Soap, manufactured with the aid of power in any form including steam, whether in a factory ordinarily using such power or in any other factory where any process incidental or ancillary to the manufacture of soap in that factory is being carried on elsewhere with the aid of such power."

["१६. साबुन, जो भाप सहित किसी भी प्रकार की शक्ति की सहायता से किसी ऐसे कारखाने में बनाया गया हो, जिसमें इस प्रकार की शक्ति का साधारणतय: प्रयोग किया जाता हो या किसी अन्य कारखाने में जहां के साबुन के निर्माण का कोई सहायक कार्य ऐसी शक्ति की सहायता से कहीं और किया जाता हो"]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपा करके दो औपचारिक अशुद्धियां ठीक कर लें । पृष्ठ ४ पर 'मध्यम श्रेणी का कपड़ा' इस शीर्षक के अन्तर्गत उपखण्ड (३) की पंक्ति ३ में "27S" ["२७एस"] के स्थान पर "17S" ["१७एस"] रखा जाये और उसी पृष्ठ पर 'मोटा कपड़ा' शीर्षक के अन्तर्गत उपखण्ड (४) में "16S" ["१६एस"] के स्थान पर "26S" ["२६-एस"] रखा जाये ।

श्री नम्बियार : संशोधन संख्या १५, २४ और ३६ को एक साथ प्रस्तुत किया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : यं किन के सम्बन्ध में हैं ? सदन को यह ज्ञात होना चाहिये । सं ोधन संख्या १५ ारा आप यह चाहते हैं कि मध्यम श्रेणी के और मोटे कपड़े पर कर न लगाया जाये । संशोधन संख्या २४ साबुन के सम्बन्ध में है और संशोधन संख्या ३६ में बारीक कपड़े का शुल्क डेढ़ आने से घटा कर छै पाई करने की मांग की गई है ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा श्री नम्बियार के संशोधन संख्या १५, २४ और ३६ प्रस्तुत किये गये तथा अस्वीकृत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब में शेष संशोधनों को प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ४०, २५, २३, २२ तथा १३ प्रस्तुत किये गये और अस्वीकृत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय : पंडित ठाकुर दास भार्गव के संशोधन पहले पारित किये गये किसी अन्य संशोधन के विरुद्ध तो नहीं हैं ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जी नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

श्री सी० डी० देशमुख द्वारा प्रस्थापित संशोधन के अन्त में, जो संशोधन तालिका में संख्या ३९ के रूप में छपा है, " power " ["शक्ति"] के पश्चात् "and manufacturing more than 100 tons of household and laundry soaps, or 50 tons of toilet soap or soap not otherwise specified ["और १०० टन से अधिक घरेलू तथा कपड़े धोने के साबुन या ५० टन से अधिक नहाने का साबुन या अन्यथा न निर्दिष्ट साबुन बनानेवाले"] जोड़ दिया जाये ।

स्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

खंड ८, संशोधित रूप में, विधयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ८, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ९ तथा १० विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खंड ४—(१९५३ के अधिनियम ३४ का संशोधन)—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय मंत्री ने खंड ४ को तैयार कर लिया है ?

श्री सी० डी० देशमुख : इस के अतिरिक्त कि 'Clause' ['खंड'] शब्द को (g) ['(छ)'] से पहले पुनः पढ़ा जाये । यह इस प्रकार का होना चाहिये Clause (f) or Clause (g) ['खण्ड (च) या खण्ड (छ)'] ।

उपाध्यक्ष महोदय : उन के अपने संशोधन का क्या हुआ ? क्या उन्होंने उस का पुनः प्रारूपण कर लिया है ?

श्री सी० डी० देशमुख : इस के पुनः प्रारूपण में हमे बड़ी कठिनाई होगी । उस में बहुत सी धाराओं का उल्लेख करना पड़ेगा । अतः मैं इस समय सदन से अपने संशोधन को इस के वर्तमान रूप में स्वीकार करने को कहूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : अच्छी बात है । यदि व्यवहार में कुछ कठिनाइयां हुईं तो मंत्री महोदय उन्हें सदन के सामने प्रस्तुत कर देंगे । अब मैं इन दोनों संशोधनों को सदन के मतदान के लिये प्रस्तुत करूंगा । पहले मैं माननीय मंत्री का संशोधन प्रस्तुत करता हूं ।

प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ २ में पंक्ति १२ और १३ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये :

"(a) after rule section (2) of section 3, the following subsection shall be inserted, namely :—

'(3) For the avoidance of doubt, it is hereby

[उपाध्यक्ष महोदय]

declared that references in this Act to property passing on the death of a person shall be construed as including references to property deemed to pass on the death of such person'."

["(क) धारा ३ की उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात :—

'(३) सन्देह निवारणार्थ यह घोषणा की जाती है कि इस अधिनियम में किसी व्यक्ति की मृत्यु पर दूसरे व्यक्ति को मिलने वाली सम्पत्ति के सम्बन्ध में किये गये उल्लेखों में इस प्रकार के व्यक्ति की मृत्यु पर किसी व्यक्ति को मिली हुई समझी गई सम्पत्ति के प्रति उल्लेख भी सम्मिलित समझे जायेंगे'।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री टेक चन्द का संशोधन प्रस्तुत करूंगा जिसे वित्त मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है ।

प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ २ की पंक्ति २१ तथा २२ में "under both clauses (f) and (g)" ["(च) और (छ) दोनों खंडों के अन्तर्गत"] के स्थान पर "either under clause (f) or clause (g) or under both" ["या खण्ड (च) या खण्ड (छ) के अन्तर्गत या दोनों के अन्तर्गत"] रख दिया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड ४, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ११—(वर्तमान संग्रहों पर भी लागू होने के लिये कुछ उत्पादन शुल्क)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या श्री शिवमूर्ति स्वामी अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री शिवमूर्ति स्वामी (कुष्टगी) : जी नहीं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ५ की पंक्ति १५ में "lying" ["पड़ा हुआ"] के पश्चात "undisposed of" ["न बेचा हुआ"] रख दें ।

मैं वित्त मंत्री जी की इस बात से सहमत नहीं हूं कि मिलों में पड़े हुए संग्रह पर तभी शुल्क लिया जाये यदि वे उस कारखाने के हों । परन्तु मान लीजिये कि उस में से कुछ बिक चुका हो और वह सम्पत्ति दूसरे के पास पहुंच चुकी हो तो उस संग्रह पर कर नहीं लिया जायेगा । अतः इस विधेयक के पारित होने से पूर्व जो संग्रह बिक चुके हों उन पर कर नहीं लिया जाना चाहिये । हमारा उद्देश्य यह नहीं है । हम तो केवल यह चाहते हैं कि कारखाने की सम्पत्ति पर कर लिया जाना चाहिये । अन्यथा यदि आप अन्य व्यक्तियों की मिल में पड़ी हुई सम्पत्ति पर शुल्क लेंगे और उनके घरों में पड़े हुए संग्रह पर कोई कर नहीं लेंगे तो यह भेदभावजनक होगा । अतः मेरा यह निवेदन है कि इस संशोधन को स्वीकार कर लिया जाये ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि प्रस्तावक

की यह धारणा है कि उत्पादन शुल्क खरीदने वालों को नहीं अपितु बनाने वालों को देना पड़ेगा। भारतीय वस्तु विक्रय अधिनियम की धारा ६४-क के अन्तर्गत यह ठीक नहीं है। हम बिके हुए माल और न बिके हुए माल को भी सरलता से पहचान नहीं सकेंगे। अतः मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मैं इस पर सदन का मत लूं ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा पंडित ठाकुर दास भार्गव का संशोधन प्रस्तुत हुआ और अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड ११, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ११ तथा १२ विधयक म जोड़ दिये गये।

प्रथम अनुसूची

श्री एन० बी० चौधरी (घाटल) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ५ की पंक्ति ३८ में "Re. 1-1-3 per lb." ["१ रु० १ आ० ३ पा० प्रति पौण्ड"] और "Re. 1 per lb." ["१ रु० प्रति पौण्ड"] के स्थान पर "Rs. 0-7-6 per lb. ["७ आ० ६ पा० प्रति पौण्ड"] और "Rs 0-7-6 per lb." ["७ आ० ६ पा० प्रति पौण्ड"] रख दिया जाये।

इस संशोधन द्वारा मैं यह चाहता हूं कि सुपारी पर आयात शुल्क १९५२ के प्रचलित दर से अधिक न बढ़ाया जाये। गत वर्ष इसमें दो आने की वृद्धि की गई थी, उससे पहले भी इसका मूल्य बहुत अधिक था। हमारे देश में इसका बहुत लोग प्रयोग करते हैं और बीच के व्यक्ति इस पर बहुत लाभ कमाते हैं। इस वर्ष प्रति पौण्ड साढ़े छै आने की दर से कर और बढ़ा दिया गया है और इस कारण इसका भाव २ रुपये प्रति सेर से भी अधिक हो गया है। यह शुल्क अन्य देशों के लागत मूल्य से लगभग तीन सौ प्रति शत अधिक है। गत वर्ष शुल्क बढ़ाते समय वित्त मंत्री जी ने कहा था कि यह इस लिये बढ़ाया जा रहा है जिससे उगाने वाले को अच्छा मूल्य मिल सके। उगाने वालों को सहायता के सम्बन्ध में सुपारी समिति ने स्वयं लिखा है कि अधिक मूल्य का लाभ उगाने वालों को नहीं, अपितु बीच के व्यक्तियों, संग्रह कर्त्ताओं तथा अन्य व्यक्तियों को मिल रहा है जो उगाने वालों को ऋण देते हैं। वे बहुत लाभ कमा रहे हैं।

हम जानते हैं कि इस शुल्क को बढ़ाने के साथ २ सरकार ने आयातों में भी ढील दे दी है। आयातों में वृद्धि से उगाने वालों की सहायता कैसे हो सकती है ? यदि आप इस पदार्थ के उत्पादन को प्रोसाहन देना चाहते हैं तो ये समितियां ऋण की सुविधाय दे कर और विस्तृत खेती की व्यवस्था करके उगाने वालों की सहायता कर सकती हैं। परन्तु सरकार और यह समिति ऐसा नहीं कर रहे हैं। समिति की सामान्यतया वर्ष में एक बार बैठक होती है और यद्यपि इस समिति का यह उद्देश्य बताया गया है कि वह अधिकतम तथा न्यूनतम मूल्य निश्चित करने के प्रश्न पर विचार करेगी, किन्तु इसने बिल्कुल कुछ भी नहीं किया है। आयात नियंत्रण के सम्बन्ध में समिति ने स्वयं लिखा है कि इससे

[श्री एन० बी० चौधरी]

राजस्व की हानि होने का भय है अतः वह इस प्रकार की सिफारिश नहीं कर सकती। इस वर्ष यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि वित्त मंत्री वस्तुतः उगाने वालों की सहायता करने की अपेक्षा राजस्व प्राप्त करने के लिये अधिक उत्सुक हैं। निस्सन्देह मूल्य बढ़ने पर उसका कुछ अंश उगाने वालों को भी मिलेगा किन्तु अब तो मूल्य इतना बढ़ गया है। कि इस की खपत घटने की सम्भावना है। सुपारी समिति ने अपने एक प्रतिवेदन में लिखा है कि लोगों की क्रय शक्ति बहुत घट जाने के कारण व्यापारियों को बड़ी मन्दी का सामना करना पड़ रहा है। गत वर्ष आय-व्ययक के प्रस्तावों के प्रकाशित होने से भी पहले कलकत्ते में सुपारी का भाव ४०० पये से ५० तक बढ़ गया था। १९५२ में यद्यपि इसका समुद्र तट पर उतरने का भाव लगभग ३७ रुपये था किन्तु यह थोक म ९० रुपये से भी अधिक में बिक रही थी। इस प्रकार व्यापारी इसमें बहुत लाभ कमाते हैं।

अतः मैं इस पदार्थ पर आयात शुल्क में आगे और कोई भी वृद्धि करने का विरोध करता हूं, क्योंकि इसका मूल्य पहले ही बहुत बढ़ा हुआ है। मैंने गांवों में लोगों को इसके साथ और बहुत सी चीजों का प्रयोग करते देखा है जिन से कभी कभी बीमारी फैल जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय। संशोधन प्रस्तुत हुआ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं पहले सामान्य रूप से इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं। इसमें सन्देह नहीं कि माननीय सदस्य उन जिलों के रहने वाले हैं जहां सुपारी उगाई जाती है और उनका यह दावा है कि इससे सुपारी उगाने वालों को कोई लाभ नहीं होगा। इस समय यह नहीं कहा जा सकता कि इससे उन्हें कोई लाभ पहुंचेगा या नहीं परन्तु मैं ने यह कभी नहीं कहा कि इस शुल्क को लगाने का एक मात्र उद्देश्य उगाने वालों को लाभ पहुंचाना है, यह भी एक उद्देश्य था। और गत वर्ष वास्तव में यही प्रधान उद्देश्य था। इस वर्ष राजस्व प्राप्त करना भी एक उद्देश्य है और मैंने पहले के मूल्यों का भी उल्लेख किया है। मैंने यह कहा था कि गत वर्ष यद्यपि इसके भाव मेरे विचार में १५० रुपये तक चढ़ गये किन्तु बाद में वे घट कर ९५ तक आ गये थे।

श्री पुन्नूस (अल्लेप्पी) : गत वर्ष किसानों ने अभ्यावेदन किया था कि मूल्य कम है क्या इस बार सुपारी उगाने वालों ने अभ्यावेदन किया था कि इस का मूल्य कम है ?

श्री सी० डी० देशमुख : हमें सुपारी के सम्बन्ध में बिल्कुल कोई अभ्यावेदन नहीं प्राप्त हुआ है। केवल 'विक्रम' कार्यालय, उज्जैन के सम्पादक श्री सूर्य नारायण व्यास से मुझे संस्कृत में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

कुछ माननीय सदस्य : वह क्या है ?

श्री सी० डी० देशमुख : यदि आप थोड़ा धैर्य धारण करें

उपाध्यक्ष महोदय : यह सारा प्रश्न पान सुपारी का है।

श्री सी० डी० देशमुख : गत वर्ष भाव चढ़ गये थे और घट कर ९५ रूपये तक आ गये। जैसा कि मैं ने बताया इस बार

हम ने बीच के व्यक्ति के ३५ रूपये लाभ में से २० रुपये ले लिये हैं और भाव लगभग १५ रुपये तक चढ़ गया है। इस समय इस बात का अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि भाव गत वर्ष के समान ही बढ़ेंगे। मेरे विचार में इसे घटाने की विशेष आवश्यकता नहीं, हां, मेरा केवल एक संशोधन को स्वीकार करने का विचार है। मुझे मालूम नहीं कि वह माननीय सदस्य यहां उपस्थित हैं या नहीं। यह संशोधन संख्या ६ है जिस में लिखा है, १ रु० १ आ०३ पा० के स्थान पर १ रु० ० आ० ६ पा० रख दिया जाये। मैं इस संशोधन को इस लिये स्वीकार कर रहा हूं क्योंकि हम समझते हैं कि ....

उपाध्यक्ष महोदय : एक संशोधन श्री आर० डी० मिश्र के नाम पर है। क्या वह यहां उपस्थित हैं ?

श्री आर० डी० मिश्र (जिला बुलन्दशहर) : जी हां।

श्री सी० डी० देशमुख : हम बिना जाने अधिमान सीमा से सम्बन्धित कुछ आपसी सूझ बूझ के विरुद्ध जा रहे हैं। यही कारण है कि मैं इसे क्यों स्वीकार कर रहा हूं अन्यथा मैं इन संशोधनों के विरुद्ध हूं।

इस महाशय ने जो कुछ कहा है मैं उसको उद्धृत करता हूं :—

श्रीमतां दुर्बलानां च
क्षणसन्तोषदायकम्।
मध्यवित्तजनानां च
स्वागतार्थसहायकम्॥
निर्धनानां च नारीणा—
मेक एवाश्रयो महान्
पूगीफलं न चैवान्यत्
फलें जगति विद्यते॥

नाधुना क्रयशक्तिश्च
कठिनं जनजीवनम्।
पूगीफलप्रसादोऽप
महार्घो दुर्लभोऽभवत्।
कृपया करुणां कृत्वा
मुक्तं पूगीफलं कुरु।
वित्ताधिप महाभाग
इति संप्रार्थयाम्यहं॥

इसके उत्तर में मैं ने यह लिखा :—

अभ्यर्थना या भवता व्यधायि
पूगीफलायातकरप्रसंगे।
न हन्त तां पूरयितुं क्षमोऽस्मि
क्षमस्व मोघानुनयोऽपि सूरे॥
यथावकाशं द्रविणेश्वरेभ्यो
विकासकार्याय कराभिलाषः।
दरिद्रनारायणतोऽपि देशे
करावलम्बोऽपरिहार्यकल्पः॥

उपाध्यक्ष महोदय : सुन्दर। यह चीज़ रिकार्ड में जानी चाहिये। अब मैं संशोधन संख्या २६ को मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूं।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ तथा अस्वीकृत हुआ।

संशोधन किया गया कि :

पृष्ठ ५ की पंक्ति ३८ में शब्द "Re. 1—1—3" [एक रुपया एक आना तीन पाई] के स्थान पर "Re. 1—0—6" [एक रुपया छै पाई] रखा जाये।

—[श्री आर० डी० मिश्र]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बंसल का संशोधन नियम विरुद्ध है।

श्री ए० सी० गुहा : मेरे नाम पर जो संशोधन है वह केवल मौखिक तथा

[श्री ए० सी० गुहा]

औपचारिक संशोधन हैं । विधि मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि इन संशोधनों को औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिये जिस से कि हम प्रशुल्क अनुसूची को एकरूपी रख सकें ।

अग्रेतर संशोधन किया गया कि पृष्ठ ५ की पंक्ति ४१ में

"No 28 (12)" ["संख्या २८ (१२)"] के पश्चात् "in the third column the word 'revenue' shall be inserted and" [तृतीय स्तम्भ में शब्द 'राजस्व' निविष्ट किया जायगा, तथा]

—[श्री ए० सी० गुहा]

अग्रेतर संशोधन किया गया कि :

पृष्ठ ९, पंक्ति १३ के स्तम्भ "कर्तव्य का प्रकार" में शब्द "Preferential" ["अधिमान्य"] के स्थान पर शब्द "Preferential revenue" ["अधिमान्य राजस्व"] रखे जाये ।

—[श्री ए० सी० गुहा]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि "प्रथम अनुसूची' संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रथम अनुसूची संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दी गई ।

द्वितीय अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई ।

तृतीय अनुसूची

उपाध्यक्ष महोदय : तृतीय अनुसूची के सम्बन्ध में श्री वी० पी० नायर के जितने भी संशोधन हैं, वह अनियमित हैं ।

श्री वी० पी० नायर : कारण ?

उपाध्यक्ष महोदय : उनके सम्बन्ध में राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त होनी चाहिये ।

श्री वी० पी० नायर : मेरे संशोधन का उद्देश्य शुल्क बढ़ाना नहीं है केवल उस दशा में राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक है । मेरे संशोधन का उद्देश्य कुछ मदों को जिन पर अतिरिक्त शुल्क लगाया गया है, अनुसूची से हटाना है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कुछ मदों को अतिरिक्त शुल्क से मुक्त रखना चाहते हैं ।

श्री वी० पी० नायर : मुक्त तो वैसे नहीं करवाना चाहता हूं । मेरे संशोधनों का उद्देश्य केवल सदन का ध्यान कुछ वस्तुओं के आयात से सम्बन्धित मामलों की ओर दिलाना है । मंत्री जी ने स्वयं गत दिन इस का जिक्र किया । मैं यहां तीन वस्तुओं की ओर निर्देश करता हूं, अर्थात् सोडा ऐश, ब्लैक फिक्स तथा सोडियम सल्फाइड की ओर ।

उपाध्यक्ष महोदय : इन संशोधनों का उद्देश्य कुछ मदों को जो कि तीसरी अनुसूची में शामिल हैं, हटाना है । इन मदों पर ५ प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क लगा सकता है । इन मदों को हटाने का परिणाम यह भी होगा कि इन्हें इस विधेयक के खंड ६ के पैरा (घ) में शामिल नहीं किया जा सकता है तथा इसका अर्थ यह होगा कि अतिरिक्त शुल्क २५ प्रतिशत होगा । ५ प्रतिशत के स्थान पर यह २५ प्रतिशत होगा । इस से शुल्क बढ़ जाता है जिस के लिए कि राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त करना

आवश्यक है । इसीलिए यह संशोधन अनियमित है ।

श्री वी० पी० नायर : फिर भी क्या मैं इस पर बोल सकता हूं ?

उपाध्यक्ष महोदय : अवश्य ।

श्री वी० पी० नायर : मैं सोडा ऐश के बारे में कुछेक शब्द कहना चाहता हूं । जैसे कि माननीय वित्त मंत्री ने बताया यह भारत के उद्योग के लिए एक अत्यन्त ही आवश्यक चीज़ है । हाल ही में हमें एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि इसे आयात करने के लिए ७० व्यक्तियों को लाइसैंस दिए गये हैं, तथा इसके अलावा दो और फर्मों को तदर्थ आधार पर आयात लाइसैंस दिए गये । ७० नाम तो पहले ही सूची पर हैं तथा हम कुल २०४ लाख रुपये का सोडा ऐश आयात करते हैं जिसमें १४·५ लाख का माल तो इम्पीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज़ द्वारा आयात किया जाता है । इस वर्ष यह 'तदर्थ' का नया तरीका निकाला गया और जिन दो फर्मों को यह विशेष लाइसैंस दिये गए उनमें से एक मैसर्ज़ टी० टी० कृष्णमाचारो एण्ड सन्ज हैं । उन्हें ९९,००० रुपये का लाइसैंस मिला है । पिछले दिन माननीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ने मेरे एक प्रश्न के उत्तर के सिलसिले में बताया कि यदि मैं उनके उत्तर से सन्तुष्ट नहीं हूं तो मैं पंडित जवाहर लाल नेहरू को लिख सकता हूं तथा उनके उत्तर से सन्तुष्ट हो सकता हूं । इसीलिए मैं यह मामला सदन के ध्यान में ला रहा हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : लाइसैंस किन को दिए गए हैं, तथा किन को नहीं दिये गए हैं, यह यहां प्रश्न नहीं । हमारा सम्बन्ध केवल इस बात से है किसी वस्तु शेष पर शुल्क लगाने की आवश्यकता है अथवा नहीं ।

श्री वी० पी० नायर : मैं यह इसलिए कहता हूं कि यदि आप सुस्थापित फर्मों को आयात लाइसैंस देंगे, और फिर शुल्क में फेर बदल करेंगे तो वह एक अलग बात है परन्तु यदि आप नवागन्तुक फर्मों को लाइसैंस देकर उन पर केवल पांच प्रतिशत शुल्क लगा देते हैं तो यह एक ऐसी नीति है जो कि राज्य के हितों के विरुद्ध है ।

उपाध्यक्ष महोदय : इसकी और बार बार निर्देश करना आवश्यक नहीं । यहां तो यही कहा जाना चाहिये कि यह अत्यन्त ही आवश्यक कच्चा माल है, आदि ।

श्री वी० पी० नायर : मेरे कहने का प्रयोजन यह है कि सरकार उन पर कुछ और शुल्क लगा सकती थी जो कि उसने नहीं लगाया है; क्योंकि जैसे प्रधान मंत्री ने स्वयं श्री ए० के० गोपालन को लिखा है कि अतिरिक्त आयात कोटा कुछ फर्मों के एकाधिपत्य को तोड़ने के लिये दिया जाता है । मैं यह बात समझता हूं । परन्तु प्रश्न यह है कि क्या इस तरह का अधिकार केवल किसी मंत्री के लड़के को ही प्राप्त होना चाहिये ।

दो और चीज़ें हैं : ब्लैंक फिक्स तथा सोडियम सल्फाइड । जहां तक सोडियम सल्फाइड का सम्बन्ध है यह भारत के उद्योग के लिए एक अत्यन्त ही आवश्यक चीज़ है । इसके लिए भी एक तदर्थ लाइसैंस दिया गया है जो कि मैसर्ज़ टी० टी० कृष्णमाचारी एंड सन्ज

[श्री वी० पी० नायर]

फर्म के नाम पर है । यही बात मैं वित्त मंत्री के ध्यान में लाना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय मंत्री को कुछ कहना है ?

श्री सी० डी० देशमुख : मैं इन बातों के सम्बन्ध में कुछ कह नहीं सकता हूं । इन मामलों का चर्चाधीन विषय से कोई सम्बन्ध नहीं । यह मामले उसी समय उठाये जाने चाहियें जब कि मांगों पर विचार हो रहा हो तथा मेरा विचार है कि माननीय सदस्य ने उस समय इनकी ओर निर्देश किया ।

श्री वी० पी० नायर: जी नहीं, मैंने नहीं किया ।

श्री सी० डी० देशमुख : तो उन्हें आगे कभी ऐसा करना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि

"तृतीय अनुसूची विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

तृतीय अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई ।

खंड १ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक में जोड़ दिए गये ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाय ।"

उपाध्यक्ष महोदय : पंडित भार्गव अब अपना संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं ।

श्री सी० डी० देशमुख : माननीय सदस्य का केवल आंकड़ों को बदलने का इरादा था न कि कालावधि को । कालावधि गलती से रह गई, वह अब कालावधि प्रस्तुत करना चाहते हैं ।

संशोधन किया गया कि :

श्री सी० डी० देशमुख द्वारा प्रस्थापित संशोधन जो कि संशोधनों की तालिका में संख्या ३९ के रूप में छपा है संशोधन संख्या ४१ के बदले में, निम्नलिखित अंत में जोड़ दिया जाये :—

"When the soap so manufactured in any financial year, in the case of household and laundry soap, is in excess of one hundred tons, and in the case of soap of any other kind, is in excess of fifty tons in the aggregate."

["जब किसी वित्तीय वर्ष में इस तरह तैयार किया गया साबुन धोने के साबुन के मामले में, एक सौ टन से अधिक हो, तथा अन्य किसी प्रकार के साबुन के मामले में कुल पचास टन से अधिक हो ।]"

—[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

उपाध्यक्ष महोदय : यह संशोधन अब संशोधन संख्या ४१ के स्थान पर

स्वीकृत किया गया है जो कि पहले ही खंड ८ में जोड़ दिया गया है ।

श्री गाडगिल (पूना मध्य) : यह प्रसन्नता की बात है कि माननीय मन्त्री का रवैया कुछ उत्साहजनक रहा है। यह विधेयक सरकार की मध्य मार्ग नीति का प्रदर्शन करता है । मैं माननीय मंत्री की इस बात को समझता हूं कि हमें करा-रोपण जांच आयोग को निष्पक्ष रूप से काम करने का मौका देना चाहिये । परन्तु हमें इसके साथ यह भी देखना है कि देश में किस तरह का आर्थिक वातावरण तैयार किया जा रहा है । स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से हम देखते रहे हैं कि धनी वर्गों को किस तरह से एक के बाद एक रियायत दी जा रही है । हमारे जैसे गरीब देश में प्राइवेट उद्यम को निर्बाध रूप से प्रोत्साहन देना एक खतरे से पूर्ण बात है । निर्बाध व्यापार में यह ठीक है । परन्तु जब हम जन साधारण की भी हालत सुधारने की सोच रहे हैं तो हमें इन्हें खुली छूट्टी नहीं देनी चाहिये। माननीय मंत्री का यह कहना ठीक है कि गरीबों को भी कर देना चाहिये । परन्तु मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गरीबों के अप्रत्यक्ष करों तथा धनियों के प्रत्यक्ष करों में कोई संतुलन होना चाहिये तथा त्याग समान रूपी होना चाहिये । इस के साथ ही जनता को यह भी बताया जाना चाहिये कि समाज का ढांचा क्या होगा संविधान के अन्तर्गत हमें असमानताएं खत्म करनी हैं । इसलिए हमें धनी लोगों को एक वर्ग की हैसियत से खत्म करने का फैसला करना चाहिये । आप कमज़ोर नीति अपना कर यह उद्देश्य पूर्ति नहीं कर सकते हैं । सरकार अथवा सत्ताधारी दल की साख इसी बात पर निर्भर है कि वह कहां तक योजना को क्रियान्वित कर सकेंगे । इसके लिए यह आवश्यक है कि देश के सारे वित्तीय साधन एकत्र किये जाने चाहिये ।

आवश्यकता इस बात की है कि देश के सारे वित्तीय स्त्रोतों से लाभ उठाया जाये । कोई भी अतिरिक्त राशि निजी व्यक्तियों के पास पड़ी रहने नहीं दी जानी चाहिये । सरकार को यह धन उधार के रूप में अथवा कब्ज़ा करके वसूल करना चाहिये । उसी में देश तथा समाज का कल्याण है, नहीं तो आर्थिक असमानता फैली रहती है ।

मैं समझता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि राष्ट्रीय कल्याण के लिये वह जिस किसी रूप में हो सके, सरकार की सहायता करे । इस सहयोग का फल बहुत अच्छा होगा और हमारे यहां वस्तु-सेम्भरण तथा सेवाओं की स्थिति सुधर जायेगी । परन्तु यह बात तब तक सम्भव नहीं जब तक कि इस नीति को चलाने वाला प्रशासन उचित ढंग से काम न करे वर्तमान प्रशासन में, अन्य त्रुटियों के साथ साथ एक त्रुटि यह भी है कि प्रदेशों तथा भाषाओं के सम्बन्ध में सन्तुलन नहीं । मैं इस बात का उदाहरण देता हूं । आल इंडिया रेडियो में डा० केसकर ने जो कुछ किया है वह बहुत ही कम है । हिन्दी भाषाभाषी प्रदेश तथा हिन्दी भाषा, गुजराती भाषाभाषी प्रदेश तथा गुजराती भाषा मराठी भाषाभाषी प्रदेश तथा मराठी भाषा का उचित प्रतिनिधित्व नहीं है । पन्द्रह वर्ष पूर्व जो निहित स्वार्थ इस में आ गये हैं उन का जोर अभी चल रहा है । परन्तु जब डा० केसकर कुछ करने का प्रयत्न कर करते हैं तो हम शोर मचाते हैं ।

[श्री गाडगिल]

योजना में कुछ त्रुटियां तो हैं परन्तु फिर भी मैं इस को अच्छी समझता हूं क्योंकि केवल इसी तरीके से हम अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़ सकते हैं। यदि हमारी योजना भलीभांति सोच समझ कर बनाई गई हो और हमारे पास पर्याप्त धन हो, कार्यकुशल प्रशासन हो और जनता के सामने उच्च नैतिक आदर्श हों तो निस्सन्देह ही हम आगामी वर्ष स्थिति को और गतिशील तथा प्रगतिपूर्ण पायेंगे।

श्री के० के० बसु: माननीय वित्त मंत्री ने अपने उत्तर में कहा कि राष्ट्र निर्माण के लिये गरीब लोगों को काफी ज़िम्मेदारी अपने ऊपर लेनी पड़ेगी। परन्तु वह यह बात भूल गये कि गरीब लोगों में यह ज़िम्मेदारी लेने का सामर्थ्य भी है या नहीं। जैसा श्री गाडगिल ने कहा है, स्वतंत्रता के पूर्व कुछ समय से धनवान वर्गों को कर के बारे में कई रियायतें दी गई हैं। १९४९ में सरकार ने आय-कर अधिनियम का संशोधन करने के लिये एक विधेयक रखा था ताकि कर से बचने की चालबाज़ियों को रोका जाये। परन्तु इस विधेयक को इस कारण व्यपगत होने दिया गया कि समय नहीं था। मेरा विचार है कि गत वर्ष श्री त्यागी ने भी, जब वे राजस्व तथा व्यय मंत्री थे, यहां कहा था कि विदेशी व्यवसाय संघ भी कर से बचने की चाल-बाज़ियां करते हैं और इसको रोकने के लिये एक विधान की आवश्यकता है। परन्तु अब तक किया कुछ नहीं गया है। इसके विपरीत, गरीब लोगों तथा मध्यम वर्ग के लोगों पर सारा कर का भार डाला गया है। सुपारी, जूतों साबुन तथा कपड़े पर कर लगाया गया है और यह वस्तुएं साधारण व्यक्ति की ज़रूरत की चीजें हैं। इस प्रकार साधारण जनता पर सारा कर-भार डाला जा रहा है। माननीय वित्त मंत्री को देखना चाहिये था कि उन के द्वारा प्रस्तुत किये गये गत चार आय-व्ययकों में करों के बारे में साधारण जनता को कौन सी रियायत दी गई है। क्या यह कर देने पर लोगों में अब कोई सामर्थ्य रहा है?

गरीब लोगों को सुविधायें प्रदान करने के सम्बन्ध में हम अपने लक्ष्य प्राप्त करने में कहां तक सफल रहे हैं? पुनर्वास मंत्रालय के ४ करोड़ रुपये बिना खर्च किये पड़े हैं, यद्यपि विस्थापित लोगों को मकानों की कमी के कारण बहुत असुविधा तथा कष्ट उठाना पड़ रहा है। इसी प्रकार शिक्षा मंत्रालय का कुछ रुपया बिना खर्च किये पड़ा है। 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के सम्बन्ध में भी ऐसी ही बात है। श्रमिकों के आवास के लिये जो थोड़ा सा उपबन्ध हमारी सरकार ने किया है उन में से भी २ करोड़ से अधिक रुपया पड़ा हुआ है। यहां तक कि कोयला खान कल्याण निधि में से भी ५० लाख रुपये खर्च नहीं किये जा सके हैं। यद्यपि गत कई वर्षों से काफी रक़म जमा कर ली गई है।

जब हमें सरकार कहती है कि हम करारोपण नीति की सहमति दे दें तो हमें देखना है कि कहां तक साधारण जनता का कर भार हल्का कर दिया गया है, कहां तक जनता का कल्याण हुआ है?

अपना भाषण समाप्त करने के पूर्व मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। कुछ ही दिन हुए कि समाचारपत्रों में यह खबर आई थी कि लगभग दो लाख रुपये मनीला जाने वाली हमारी ओलेम्पिक टीम के

लिए दे दिये गए हैं। इस थोड़ी सी धन-राशि से हम ने अपने खिलाड़ियों का दल वहां भेजना है। पर इस दल के साथ कुछ अधिकारी जा रहे हैं जिन को खेलों का कोई ज्ञान नहीं। उन में से एक गुप्तचर अधिकारी भी है और उसकी पत्नी भी जा रही है। वह टीम के महिला विभाग का कार्यभार सम्भालेंगी। एक और व्यक्ति किसी प्रचार विभाग से लिए गये हैं.....

उपाध्यक्ष महोदय : क्या हम विधेयक के तीसरे वाचन के समय भी यह बातें उठाई जा सकती हैं? माननीय सदस्यों को चाहिए कि संलग्न बातों तक ही सीमित रहें।

श्री के० के० बसु : मैं कह रहा था कि सरकार की धारणा क्या है। यदि सरकार इसी प्रकार धन व्यय करेगी तो वह गरीबों को अपने ऊपर जिम्मेवारी लेने के लिए नहीं कह सकती।

कल वित मंत्री ने कहा कि नई योजना अधिक व्यापक होगी। यदि हमें देश में एक नया मनोवैज्ञानिक वातावरण पैदा करना है तो हमें चाहिए कि हम कोई ठोस काम करें। केवल व्याख्यानों से काम नहीं चलता। हमारे लोगों ने गत ५० वर्ष में स्वतन्त्रता आन्दोलन के लिए काफी बलिदान दिया है। अब उनको यह अधिकार है कि सरकार से ऐसे कार्य करने को कहे जिन से उन का भला हो। सरकार ने गत सात वर्षों में सिवाय वायदे करने के किया क्या है?

मैं समझता हूं कि सरकार को इन बातों पर विचार करना चाहिए और इन सब बातों पर विचार कर के ही अपनी करारोपण नीति बनानी चाहिए। इस वर्ष सारा भार गरीब लोगों पर डाला गया है। धनवान बचे रहे हैं। परन्तु उन्होंने फिर भी उचित व्यवहार नहीं किया है। विनियोजन की दर में कमी हो रही है। सरकार को चाहिए कि इन सब बातों को ध्यान में रखे और निदेशक तत्वों का पालन करते हुए आर्थिक असमानता का अन्त करे। जनता को यह अनुभव कराया जाना चाहिए, इस बात का विश्वास दिलाया जाना चाहिए कि वह राष्ट्रीय सरकार का अंग है और सब लोगों को एक से अधिकार हैं और सबों को राष्ट्र निर्माण के लिए, देश का भविष्य बनाने के लिए समान रूप से बलिदान भी देना है।

श्रीमती मायदेव (पूना दक्षिण) : मैं आपकी आभारी हूं कि आप ने मुझे बोलने का अवसर दिया है। आज हमें वित्त विधेयक में की गई प्रस्थापनाओं की अनुमति देनी है। परन्तु ऐसा करने से पहले मैं सदन का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहती हूं कि लोक हित के लिए खर्च करने की बजाय रुपया व्यर्थ ही खर्च किया जाता है। मैं स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुदानों का निर्देश कर रही हूं। बी० सी० जी० आन्दोलन के बारे में बहुत प्रचार किया जा रहा है, समाचार फिल्में दिखाई जा रही हैं, फोटो प्रदर्शित किये जा रहे हैं और कितने ही उद्घाटन होते रहते हैं। मेरे पास कुछ आंकड़े तथा तथ्य हैं और मैं उन्हें यह दिखाना चाहता हूं कि यह आन्दोलन वास्तव में है क्या? इस आन्दोलन के समर्थक भी इस से क्षय रोग से पूर्ण मुक्ति प्राप्त करने का दावा नहीं करते। वह यह नहीं कहते कि रोग होगा ही नहीं.....

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे आश्चर्य है कि जब वित्त विधेयक पर चर्चा हो रही है, माननीय मंत्री तथा उपमंत्री सदन में उपस्थित नहीं हैं स्वास्थ्य अथवा अन्य

[उपाध्यक्ष महोदय]

किसी मंत्रालय का निर्देश करने में लाभ ही क्या ? सारा भार माननीय वित्त मंत्री पर ही तो नहीं डाला जा सकता ।

पंडित के० सी० शर्मा (मेरठ जिला--दक्षिण) : स्वास्थ्य उपमंत्री यहां हैं ।

एक माननीय सदस्य : उन्होंने अपनी जगह बदली है ।

१ म० प०

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे प्रसन्नता है कि उपस्वास्थ्य मंत्री यहां हैं । लेकिन दूसरे मंत्री कहां हैं ?

सरदार ए० एस० सहगल (बिलासपुर) : वह अपनी बारी पर यहां आयेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस से वित्त मंत्री किसी उन्नत स्थान पर नहीं पहुंच जाते हैं--मानों कि वही एक मात्र उत्तरदायी हैं।' दूसरे मंत्रियों को भी यहां उपस्थित रहना चाहिए अन्यथा संस्था का क्या उपयोग है ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : आप हर वर्ष यही बात कहते हैं, लेकिन मंत्रीगण नहीं सुनते हैं ।

श्री ए० एम० टामस (ऐरणाकुलम्) : प्रतिदिन ।

श्री एस० वी० रामस्वामी (सलेम) : माननीय वित्त मंत्री वर्ष स्कंध पुरुष हैं और वह सम्पूर्ण कार्य भार वहन कर सकते हैं ।

श्रीमती मायदेव : श्रीमान् जिस उन्मुक्ति का दावा किया गया है वह केवल चार वर्षों के लिए है और तथाकथित सम क कहते हैं कि केवल कुछ समूहों को ही टीके लगाये जाने चाहिए। लेकिन, इतना होते हुए भी हमारा प्रापैगेण्डा १९४८ से आरम्भ है तथा विश्व स्वास्थ्य संस्था की सहायता से इसे अधिक प्रकृष्ट रूप दिया जा रहा है । उस पर एक करोड़ रुपया खर्च कर दिया गया है । कहा जाता है कि ढाई करोड़ व्यक्तियों की जांच की गई और उन में से ८० लाख व्यक्तियों को टीके लगाये गए । लेकिन क्षय रोग की रोक थाम के लिए बी० सी० जी० टीके लाभदायक नहीं हैं ।

हमें यह बीमारी घरेलू पशु--गायों अथवा भैंस के दूध से लगती है । मेमर्स ने सिद्ध किया है कि यह टीका पशुओं तक को लाभदायक नहीं, जब उन्होंने एक युक्त संगत प्रश्न पूछा है : "जब यह टीका पशुओं के लिए भी अनुपयुक्त है तब हम प्राणियों के लिए इसकी सिफारिश किस तरह कर सकते हैं ? इसीलिए मैं कहती हूं कि रुपया व्यर्थ खर्च किया जा रहा है । इस द्रव्य को कुष्ठ, आदि उपयोगी कार्यों पर खर्च करना चाहिए ।

कुष्ठ रोग के सम्बन्ध में १९४१ में केन्द्रीय सरकार द्वारा एक समिति नियुक्त की गई थी । उन्होंने सिफारिश की थी कि रोगियों को अलग रख कर कुष्ठ रोग की समाप्ति के लिए भीषण प्रोपैगेण्डा रचा जाये, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया गया। १३ वर्षों से केवल प्रयोग ही किये जा रहे हैं ।

सरकार आयुर्वेद अथवा होम्योपैथी के विषय में क्या कर रही है ? जामनगर के एक इंस्टीट्यूट को पांच लाख रुपये का आवंटन किया गया है । पिछले तीन वर्षों में कोई प्रगति नहीं हुई है । केवल हमें विभ्रान्त किया जा रहा है कि जामनगर

इंस्टीट्यूट को पांच लाख रुपये दिये गये हैं।

और, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त एक तदर्थ समिति ने सर्वानुमति से यह सिफ़ारिश प्रस्तुत की थी कि होम्योपैथिक में स्नातकोत्तर कोर्स होना चाहिए। इसमें कोई हानि नहीं है। उसे स्नातकोत्तर बनने दीजिये। बम्बई में केवल एक कालिज है और उसकी कैसी स्थिति है?

उपाध्यक्ष महोदय: तृतीय वाचन की स्थिति पर हम इस प्रकार की चर्चाओं का अवसर माननीय सदस्य को नहीं दे सकते।

श्रीमती मायदेव: आगामी अवसर पर इस विषय की चर्चा के लिए पूरा एक दिन दिया जाना चाहिए। तभी हम संतुष्ट हो सकते हैं। हम इस महत्वपूर्ण विषय को यूंही नहीं छोड़ सकते। माननीय सदस्य श्री टण्डन ने भी आयुर्वेद और होम्योपैथी की सरसरी चर्चा की थी।

उपाध्यक्ष महोदय: श्रीमती कमलेन्दुमति शाह।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह: (जिला गढ़वाल-पश्चिम व जिला टिहरी गढ़वाल व जिला बिजनौर-उत्तर): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि इससे पहले मुझे समय नहीं मिला। यह पहला समय है जब कि मैं इस बिल पर बोल रही हूं, और मैं हमेशा अपने भाषण में ८ या ९ मिनट से ज्यादा नहीं लेती। फिर भी इतना कम समय आप ने दिया, इस के लिये मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

मैं इस वर्ष के बजट की बहुत सी बातें बतलाना चाहती थी, और समय भी ज्यादा नहीं लेना चाहती थी। इस लिये जहां तक हो सकेगा मैं अपनी बातें कहूंगी।

यद्यपि मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि करों का बोझ जनता पर नहीं पड़ेगा, फिर भी अप्रत्यक्ष करों का क्या परिणाम होगा, इस की आलोचना आवश्यक हो जाती है। खाद्य की घटी को कम करने के लिये जो अप्रत्यक्ष कर लगाये गये हैं, उन का बोझ सदा जनता पर ही पड़ता है और प्रत्यक्ष करों द्वारा लाभ अधिकतर मोटी आय वालों को ही होता है।

यद्यपि माननीय मंत्री ने दावा किया है कि वे आय कर नहीं बढ़ा रहे हैं, और कुछ वस्तुओं के उत्पादन कर में वृद्धि करने के बाद उन वस्तुओं के कर में रियायत करने की उन्होंने जो घोषणा की है उस से सन्तोष तो होता है, परन्तु वह सन्तोष क्षणिक होता है,। यदि माननीय मंत्री विचार करें तो इन छूटों का लाभ साधारण जनता को न पहुंच कर, व्यवसाइयों को ही पहुंचेगा, क्योंकि बाजार के साधारण नियमों के अनुसार कर से छूट पाया हुआ माल भी बाजार में उसी दाम पर बिकेगा जिस दर पर कर लगा हुआ माल। इस का अनिवार्य परिणाम उस जनता के निर्वाह व्यय बढ़ जाने के रूप में होगा जिसकी क्रयशक्ति पहले ही निर्बल है। इसलिये आशा है माननीय मंत्री इस पर अवश्य विचार करेंगे। जब कहा जाता है कि व्यापार और कृषि की अवस्था सुधर रही है तो फिर घाटे का बजट बनाने में डर किस बात का है?

निम्न तथा उच्च कर्मचारियों के वेतनों में अत्यधिक भेद भाव, कर्मचारियों को

[श्रीमती कमलेन्दुमति शाह]

संख्या में बढ़ोत्तरी, अध्यापकों के साथ असहानुभूतिपूर्ण व्यवहार इत्यादि बातों से न तो जनता में संतोष रह सकता है और न आर्थिक स्थिति ही सुधर सकती है।

बड़ी योजनाओं में लगभग १० अरब धन लगा कर भी हम अपनी आय और क्रय शक्ति को न बढ़ा सके, न बेकारी को ही घटा सके। अपनी सामर्थ्य से बाहर और बड़े बड़े कार्यकर्ताओं की कल्पनाओं तथा निर्णय पर निर्धारित, बड़ी योजनायें बना कर, कर का बोझ बढ़ाये चले जाना, हमारे लिये हितकर सिद्ध न होगा। हमें तो जनता की परीक्षा की हुई छोटी छोटी योजनायें ही बनानी चाहिये तभी जनता को लाभ पहुंचेगा, और जनता का लाभ ही हमारी सब से बड़ी सफलता है। करोड़ों रुपये के घाटे का बजट न बना कर यदि हम चीन जापान की तरह करोड़ों हाथों से काम किये जाने की योजनायें बनायें तो बहुत थोड़े समय में हमारे सुनहले स्वप्न सत्य सिद्ध हो सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह देख कर खेद होता है कि इधर तो कहीं वर्ष भर में ढाई करोड़ तक की मदें लैप्स हो जाती हैं, और उधर मेरे क्षेत्र में हम लोगों को मार्ग निर्माण जैसे अति आवश्यक कार्य के लिये १५,२० लाख रुपये भी नहीं मिल सकते।

श्रीमान, आज यदि मेरे क्षेत्र में मार्ग निर्माण के लिये आर्थिक सहायता मिल सके तो मेरा जिला उत्तर प्रदेश के अन्य सब जिलों से आय में दस गुना बढ़ जाय। यह बात विलीनीकरण से पहले प्रमाणित हो चुका है कि इस क्षेत्र में सोना, चांदी, तांबा, लोहा, अबरक आदि धातुओं तथा नीलम की खानें हैं, विविध जड़ी बूटियों से यह स्थान भरा है, जंगलों की करोड़ों रुपये की सम्पत्ति है, और भांति भांति के फल तथा मेवे के वृक्ष लग सकते हैं, नमक की खानों के कारण यह क्षेत्र आत्मनिर्भर हो सकता है, परन्तु इन सब बातों के लिये मार्ग निर्माण का सब से पहला प्रश्न है। मार्ग निर्माण पर एक बार व्यय कर के वही क्षेत्र सदैव के लिये आत्मनिर्भर हो कर आय का साधन बन जायेगा, जो आज डेफिसिट कहलाता है। इस की सहायता के लिये केन्द्रीय सरकार के अतिरिक्त अन्य किस से मैं आशा करूं? प्रान्तीय सरकार तो मेरे अति पिछड़े हुए क्षेत्र की जो अवहेलना करती है, इस को बताये बिना में नहीं रह सकती। पिछले वर्ष की बात है कि अल्मोड़े में एक हायेस्ट टेन्शन का हाइड्रोलिक पम्प, जो एशिया भर में सब से पहला है, और ६०० फीट नीचे से पानी खींचता है, १२ लाख व्यय कर के बनाया गया है। साथ ही एक टेहरी गढ़वाल का इलाका है जिसकी उन्नति के लिये केवल आश्वासन मिलता है द्रव्य नहीं।

वर्तमान १९५४-५५ के बजट में नैनीताल का ५७ लाख, अल्मोड़ा को १५ लाख और पिछड़े हुए टेहरी गढ़वाल को ११ लाख रुपये विविध मदों के लिये दिये गये हैं। अब सरकार ही बता सकती है कि मैं किस के पास फरियाद करूं कि यह न्यायोचित नहीं है?

श्री गिडवानी (थाना): इस वर्ष के बजट में वित्तीय वर्ष का अनुमानित व्यय ४६७.०९ करोड़ रुपये रखा गया है।

माननीय वित्त मंत्री और सरकार से मेरा निवेदन है कि वह इस रुपये को जन हितकारी उत्कृष्ट कार्यों पर व्यय कर गांधी जी के कथनानुसार हमारी आत्मा के अंतदर्शन के लिये यह समुचित अवसर है। हमें अपने दिलों को टटोल कर यह मालूम करना चाहिये कि क्या हम जनहितार्थ यह रुपया खर्च कर रहे हैं।

मैं इसका केवल एक पहलू लेता हूं। आपको मालूम होगा कि विभाजन के पूर्व, समग्र देश में एकत्व था तब केन्द्रीय सरकार में केवल छः कार्यकारी मंत्रणादाता थे। इसके बाद सन १९४७ में अन्तरिम सरकार की स्थापना पर, मंत्रियों की संख्या ९ थी। इस के बाद यह संख्या बढ़ कर १६ हो गई अब केबिनेट के सदस्य, केबिनेट के सदस्य नहीं किन्तु उसी दर्जे के, उपमंत्री और सभा सचिवों की संख्या कुल मिलाकर ४३ है। इनकी संख्या में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। प्रत्येक मंत्री एक छोटा मोटा राजा या नवाब बनाना चाहता है हमने ६५१ राजा महाराजाओं का निवर्चन कर दिया है। लेकिन मंत्रियों के रूप में राजा-महाराजाओं की एक टुकड़ी खड़ी कर दी है। बंगाल का उदाहरण है। अविभाजित बंगाल आज के बंगाल से तिगुना बड़ा था। उस समय बंगाल केबिनेट में आठ या नौ मंत्री थे। अब ३२ मंत्री हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: इन सब मामलों पर क्षेत्राधिकार नहीं है।

श्री गिडवानी: हां श्रीमान, मैं केवल यह बताना चाहता था कि मंत्रियों को किस प्रकार नियुक्त किया जाता है। इसी तरह सचिवों और संयुक्त सचिवों की संख्या बढ़ रही है। उस दिन शरणार्थियों के पुनर्वास पर जब प्रधान मंत्री से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा मैं क्या कर सकता हूं? रुपया कहां से आयेगा? युद्ध के पूर्व भारत सरकार में ७,००० चपरासी थे अब चपरासियों की संख्या २१,००० हो गई है। सचिवों, सयुक्त सचिवों, उप सचिवों, अपर सचिवों, निजी सहायकों और उप सहायकों की गिनती का पारावार नहीं है। मेरा विचार है कि यदि दिल्ली में आयोजित एक सार्वजनिक सभा में पत्थर फेंका जाय तो यह इन कर्मचारियों में से किसी के सिर पर पड़ेगा। श्री टी० एन० सिंह का कहना है कि हम १४० से ५०० की संख्या तक पहुंच गये हैं। लेकिन हम ५०० हैं; तो क्या इसी लिये मंत्री भी ५०० होना चाहिये। सके बाद भाषावार प्रान्तों की पुकार है।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य कृपया समाप्त करें।

श्री गिडवानी: मैं समाप्त कर रहा हूं। मैं कह रहा था कि आज मनस्विता-पूर्वक हृदय के अंतर्विलोकन की आवश्यकता है।

श्री सी० डी० देशमुख: यह सर्वथा उचित है कि माननीय सदस्यों से करारोपण की एक योजना विशेष रूप से अप्रत्यक्ष करारोपण की योजना पर अन्तिम रूप से सहमति देने के लिये कहा जाता है तो जनता के प्रति गहन उत्तरदायित्व की अनुमति उन्हें होनी चाहिये। यह बिल्कुल ठीक है कि द्रव्य का उचित उपयोग, बर्बादी की रोक और मितव्ययता का उनके मस्तिष्क में सर्वो परिस्थान रहना चाहिये

उन्होंने जो कुछ कहा है उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वस्तुतः मैं उनसे एक स्वर हूं केवल उनके द्वारा उद्धृत कतिपय उदाहरणों को छोड़ कर। पिछले वर्षों में हम यही सोचते रहे हैं कि किस

श्री सी० डी० देशमुख]

प्रकार राजस्व में वृद्धि हो और किस प्रकार उसे खर्च किया जाये । इस के लिये एक उचित योजना की रचना तथा समुचित प्रशासनिक संगठन द्वारा उसे क्रियान्वित करने का प्रश्न अंतर्ग्रस्त है ।

योजना की कार्यान्विति के काल से ही सरकार का कार्य बहुत अधिक बढ़ गया है । मंत्रियों की संख्या बढ़ने का यही कारण है । आज सवेरे ही मैं सोच रहा था कि मुझे कितने घंटे प्रतिदिन काम करना पड़ता है । मुझे ९ या दस घंटे प्रति दिन काम करना पड़ता है । माननीय सदस्य यह अनुभव करेंगे कि जब हम देश का विकास करने पर आबद्ध हैं तो हमें कठिन परिश्रम करना चाहिये । लकिन व्यक्ति की शक्ति शारीरिक क्षमता और वय द्वारा मर्यादित है । सचिवालय के उच्च स्तरीय पदाधिकारी वास्तव में कठिन परिश्रम करते हैं । यह संभव हो सकता है कि किसी विभाग में आवश्यकता से अधिक व्यक्ति हों । इनकी ओर माननीय सदस्य द्वारा ध्यान आंकर्षित करना उचित है । सरकार इन पर सदा ही विचार करती रही है । माननीय सदस्यों और सरकार के दृष्टिकोण में विशेष अन्तर नहीं है । अन्तर वास्तविक कार्यान्विति में है । कभी निर्णयों में भेद रहता है बहुधा त्रुटियां रह जाती हैं और मेरा विचार है कि कोई भी सरकार यह दावा नहीं कर सकती कि वह त्रुटि से परे है ।

जहां तक नवीन करारोपण का प्रश्न है मैं उत्तरदायित्व की गुरुता अनुभव करता हूं । सदन से नवीन करारोपण के लिये सहमत होने से कहने में आनन्द नहीं आता है । माननीय सदस्य श्री गाडगिल ने यह विचार प्रकट किया कि हम गरीब जनता के कर भार में वृद्धि करते प्रतीत हो रहे हैं और धनी वर्ग की सम्पदा को कम करने के लिये हमने कुछ नहीं किया है । मैं केवल यही बात दोहरा सकता हूं कि हम करारोपण के सम्बन्ध में शीघ्र ही कर जांच आयोग की सिफारशें मालूम कर सकेंगे । हमारा ऐसा करने का अभिप्राय पीछे की ओर मुड़ना नहीं है इसका कारण हमारी यह मान्यता है कि विकास के वर्तमान स्तर पर समानता उत्पन्न करने की स्थिति में हम कहीं ऐसी अवस्था में न पहुंच जायें कि हमारे कार्य अनियंत्रित हो जायें और जिस निर्धन वर्ग की हम सहायता करना चाहते थे उसी की हानि कर बैठें । यदि हम निजी प्रोत्साहन म आस्था रखते हैं और यदि हम समुचित स्तर से दूर चले जाते हैं तो संभव है कि प्रोत्साहन ही समाप्त हो कर उद्योग को बन्द करने की नौबत आ जाये, क्योंकि सरकार के पास सीमित संसाधन हैं । और यदि सरकार इसे करने की अभिलाषा करती है माननीय सदस्य आपत्ति प्रस्तुत करते हैं कि मंत्रियों और सचिवों की संख्या में वृद्धि हो रही है । यह उसी पद्धति का एक अंश है ।

सात या आठ वर्षों से हम स्वतंत्र हुए है और इस समय में हमारे देश की आर्थिक समस्याओं के हल निकालने में हमने प्रयत्न किया है । जो कुछ सहायता उपलब्ध है, हमें इसका उपयोग करना चाहिये । कर जांच आयोग इन सब समस्याओं पर विचार करेगा और वह इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि निजी उद्योग अथवा प्रेरणा के लिये गुंजायश है । वह किस तरह किया जाना चाहिये तथा उसकी क्या मर्यादाएं हैं इन सब पर गंभीर रूप से विचार किया जा रहा है । श्रीमान,

वित्त मंत्री का पद ईर्ष्या करने की वस्तु नहीं है और उसे समस्त आलोचनाओं का सामना करना ही पड़ता है। यद्यपि मैं अपने उत्तरदायित्व से नहीं बचना चाहता तथापि कभी कभी मैं अनुभव करता हूं और जिससे मैं माननीय सदस्यों से भी करना चाहूंगा।

औरों की तरफ फेंके हैं गुल, बल्कि समर भी, ऐखानाबार अन्दाज चमन कुछ तो इधर भी।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इसके पश्चात् सभा शुक्रवार २३ अप्रैल, १९५४ को सवा आठ बजे तक के लिये स्थगित हुई।

GIPD—HS—188 PSD—11-10-54—285